राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ५० वां दिवस [संख्या ३३

बुधवार, दिनांक १२ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैटक म० पू० ११ बज कर ३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

तारांकित प्रश्नोत्तर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

[पंचायत, आबकारी, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, पशु-पालन, आयुर्वेद, सहकारी-विभाग]

ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित कैटल पॉन्ड्स

९०१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में ग्राम पंचायतों द्वारा चलाये जाने वाले कैटल पॉन्ड्स में वसूल किये जाने योग्य पशुओं की जुर्माना एवं चराई की क्या क्या दरें स्वीकृत की गई हैं तथा किस आज्ञा द्वारा ऐसी दरें स्वीकृत की गई हैं? सम्बन्धित सरकारी आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : पंचायतों द्वारा चलाये जाने वाले कैटल पॉन्ड्स में लिए जाने वाले पशुओं के जुर्मानों एवं चराई की दरें निम्नानुसार हैं:—

नाम पशु	जुर्माना की दर	चराई व पानी पिलाई की दर
हाथी	५) रु०	१०) रु.
ऊंट	१) रु०	२) रु.
घोड़ा-घोड़ी	१) रु०	२) रु.
भैंस	१) रु०	१)रु., ८ आ.
गाय या बैल	०-७५ न. पै.	०-७५ न.पै.
गधा	०-५० ,,	१)रु.
बछड़ा-बछड़ी	०-५० ,,	०-७५ न. पै.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बकरा–बकरी	०–५० न. पै.	०–२५ न. पै.
भेड़	०–५० ,,	०–२५ ,,
अन्य	०–५० ,,	१)रु.

उपरोक्त दरें राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, १६६१ के अनुसार निर्धारित हैं। इनका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक २० मार्च, १६६१ में किया जा चुका है ।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : जो आपने दरें बताई चराई के अन्दर, तो ७ आइटम्स हैं और जुर्माने में १० आइटम्स बताये, तो ३ आइटम्स का फर्क कैसे है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं।

श्री किशनाराम : चराई और जुर्माने की दरें जो आपने अलग अलग बताई तो एक में ७ आइटम्स हैं और एक में १० आइटम्स हैं, यह क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दोनों में ही १० आइटम्स हैं। ७ और १० नहीं हैं ।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

मद्य–निषेध

६०२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मन्त्री, आबकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने कोई मद्य-निषेध की नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या उस पर अमल भी हो रहा है ?

(२) उक्त नीति पर अमल आरम्भ होने के बाद से पहले वर्ष में राज्य में शराब की खपत कितनी हुई थी और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी हुई है ? तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रखे जायें।

(३) क्या सरकार ने अपनी मद्य-निषेध नीति की सफलता अथवा असफलता का कभी मूल्यांकन कराया है ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार ? यदि नहीं कराया, तो क्या अब ऐसा कराने का इरादा है ?

आबकारी मन्त्री, (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) सरकार की नीति धीरे धीरे शराब का प्रयोग कम करने की है। इसके लिए कुछ कदम सन् १६५६ से अब तक उठाए गए। उनके विषय में मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :—

1. Drinking in bars, restaurants, clubs, cinemas and hotels has been totally stopped and this step has been a complete success.

2. The liquor shops are closed totally on the following days:-

1. Mahavir Jayanti.
2. Republic Day (26th January).
3. Guru Nanak Birthday.
4. Independence Day (15th August).

Page No.3

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

5. Mahatma Gandhi Birthday (2nd October).

6. Harijan Day (9th November).

7. Krishna Janmashtmi.

8. Budh Purnima

9. Birthday of Prophet Mohammed.

3. About 500 liquor shops have been reduced during the last three years as detailed below:-

1957-58:	84
1958-59:	295
1959-60:	121

4. Some of the shops have been removed from the main market and labour areas.

5. The use of liquor has also been prohibited in social functions and parties.

6. A provision has been made in the Government Servants' Conduct Rules that no Government servant shall appear in public places in an inebriated condition. The duty on liquor and licence fees are being increased from time to time, thus raising the price of the liquor.

7. Liquor shops have been closed down in a ten mile belt on Gujarat-Rajasthan border.

जो कदम ऊपर अंकित किए गए हैं उन पर अमल हो रहा है।

(२) सरकार द्वारा इश्यू की गई शराब की बिक्री का ब्योरा इस प्रकार है:—

Year.	Consumption in L. P. gallons.
1955-56	6,44,902
1956-57	7,14,734
1957-58	8,19,797
1958-59	8,20,977
1959-60	9,02,957
1960-61 (upto Jan,1961)	7,27,571

इसका अर्थ यह नहीं कि शराब की खपत बढ़ रही है। नाजायज शराब बनाने की रोकथाम में सख्ती के कारण जायज शराब की बिक्री की वृद्धि साबित होती है।

(३) जो कदम उठाए गए हैं यह स्पष्ट है। उनके विषय में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, यह जो दूसरे के जवाब में आंकड़े दिये हैं क्रम से ६ लाख और कुछ हजार, ७ लाख और कुछ हजार, ८ लाख और कुछ हजार, ८ लाख और कुछ हजार, ९ लाख और कुछ हजार और ७ लाख और कुछ हजार, तो ये तुलनात्मक आंकड़े क्या यह सूचित नहीं करते कि शराब की खपत बढ़ी है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके जवाब

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

में मैंने अर्ज कर दिया है जो आपने सुना होगा कि पहले जो नाजायज शराब बनती थी उस पर रोकथाम ज्यादा करने के कारण जायज़ शराब है वह ज्यादा बिकने लगी है, इसलिए वह आपको बढ़ी हुई मालूम होती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अब नाजायज़ शराब बिल्कुल बन्द हो गई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बन्द हो गई है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं कि लोग नाजायज़ शराब न बनायें और इसके लिए जो सख्ती से स्टेप्स लिये जा रहे हैं उससे नाजायज़ शराब कम बिकने लगी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या यह सही है कि पढ़े-लिखे लोग ज्यादा पीने लग गये हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो आप लोग ज्यादा जानते हैं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या यह सत्य है कि ड्राई डेज़ के ऊपर भी एक्साइज़ डिपार्टमेंट की तरफ से दूकानों की देखरेख नहीं होती है कि ड्राई डेज़ ऑब्जर्व किये जाते हैं या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ड्राई डेज़ पर दूकानों की देख-रेख की जाती है। अगर नहीं की जाती है और माननीय सदस्य बतलायेंगे तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामचन्द्र : झालावाड़ जिले में देखरेख नहीं की जाती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सारे जिले की मैं नहीं कह सकता, मगर आपको किसी खास दूकान का इल्म हो तो बता दें, तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मद्य निषेध नीति सम्बन्धी आपका एक विधेयक है। उसके अन्दर यह भी लिखा है कि कम से कम ५ साल के अन्दर इसका सर्वथा उन्मूलन कर दिया जायेगा। तो ५ साल में क्या प्रगति हुई है ? शायद वह सन् ५७ का है और अब ४, ५ साल होने को आये तो इस अर्से में क्या प्रगति हुई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो कुछ प्रगति हमने की है वह सारी आपको बतला दी है ब्योरेवार। उसमें कोई चीज़ छिपाई नहीं गई है और मद्य निषेध कानून का बिल ड्राफ्टिंग के लिए लॉ डिपार्टमेंट में गया हुआ है। वह आपके सामने पेश कर दिया जायेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसमें ड्राई एरिया बढ़ाने के लिए सुझाव था। वह एक-एक हिस्से में करने का सुझाव था। अगर ४-४ या ५-५ जिले भी करते तो अब तक पूरा हो जाता। उसका क्या समझा जाय, जब कि खपत दिन-ब-दिन बढ़ी है ? इस बात से पता नहीं चलता है कि कब जाकर वह कम होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने जबाब में बताया कि हमने गुजरात से मिलते हुए बोर्डर पर १० मील के एरिया को ड्राई डिक्लेअर कर दिया था।

Page No.5

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो १० मील का एरिया ड्राइ डिक्लेअर किया गया है वह किस कानून से किया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिन स्टेट्स में प्रोहीबिशन लागू है वे स्टेट ऐसा चाहती है कि हमारे से १० मील के एरिया तक कोई शराब की दूकान नहीं हो ।

डॉ० बहादुरसिंह : अपने यहां राजस्थान में किस कानून से किया है ? मान लें कि कोई लॉ तोड़ता है तो किस कानून से कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं अर्ज कर दूं कि १० मील का वे चाहते हैं । दूसरी स्टेट्स जो ड्राई हैं कि हमारे पास में शराब की दूकानें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उसका आव-जाव नहीं हो सके । उसी के लिए एक कमेटी बनी हुई है अपने हिन्दुस्तान में । उसने भी रिकमन्ड किया है कि १० मील का एरिया हरएक स्टेट को डिक्लेअर कर देना चाहिए ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वहां पर कोई शराब पिये या ले जाये तो कौन से कानून के तहत इसका चालान कर सकें ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : पीने के काम में कानून क्या करेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां पर ड्राई एरिया डिक्लेअर कर दिया वहां पर अगर शराब जाती है तो कानून का उस पर असर पड़ेगा ।

डॉ० बहादुरसिंह : डिक्लेअर करेंगे तो किस कानून से करेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह किस कानून के अन्तर्गत डिक्लेअर हो गया ?

श्री सभापति : He means to ask under what provision of law you are declaring that area as dry?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अख्त्यार राजस्थान गवर्नमेंट को है कि किसी एरिया को ड्राई डिक्लेअर कर दे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रलाल : कहीं पर ड्राई एरिया डिक्लेअर करने के बाद में शराब पिये तो राज्य सरकार किस कानून के अन्तर्गत उसका चालान करेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक्साइज़ एक्ट के नीचे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्साइज़ एक्ट के नीचे किसी क्लॉज़ के मातहत पॉवर्स हैं कि किसी एरिया को डिक्लेअर कर दे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां । शराब की दूकानें हम किसी भी एरिया में बंद कर सकते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यू. पी. का मथुरा जिला ड्राई एरिया है, तो उसके १० मील इधर राजस्थान के एरिया लगा हुआ है, उसमें भी ड्राई एरिया डिक्लेअर दिया जायेगा ?

Page No.6

श्री रामचन्द्र चौधरी : यू. पी. का एरिया जो कि अपने यहां से मिलता है उसका कोई ऐसा ड्राई एरिया तो नहीं मिलता है, न कोई उनकी इस प्रकार की मांग आई है।

श्री सतीशचन्द्र आग्रवाल : क्या यह सही है कि एक्साइज़ के तहत एक दिन ड्राई डिक्लेअर करने के बारे में है लेकिन ड्राई एरिया डिक्लेअर करने का सरकार को अधिकार नहीं है एक्साइज़ एक्ट के तहत।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरी ऐसी मान्यता है कि दूकानें शराब की हम बन्द कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मान्यता है या एक्चुअली है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह आप बतला दें।

अधिक आबादी वाली पंचायतों (अलग अलग यूनिट वाली) की एक से अधिक पंचायतों में परिणति

९०३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जयपुर में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनकी आबादी तीन हजार से अधिक है?

(२) उपरोक्त पंचायतों में क्या आबादी एक ही ग्राम की चारदिवारी में है या ढाणियों में व छोटे छोटे ग्रामों में बसी हुई है?

(३) क्या सरकार अधिक आबादी वाली पंचायतों को, जिनकी यूनिट अलग अलग बसी हैं, एक से अधिक पंचायत बनाने का विचार कर रही है?

(४) यदि हां, तो किन किन पंचायतों को तथा कब तक?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) ३४ पंचायतें हैं।

(२) २५ ग्राम पंचायतें एक ही ग्राम की हैं। शेष ९ पंचायतें एक से अधिक ग्राम की हैं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामकरणसिंह : जिन ९ पंचायतों की आबादी ३ हजार से अधिक है वे ऐसी हैं कि एक गांव की नहीं हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं। इनको अलग अलग पंचायतें बनाने में सरकार को क्या बाधा आ रही है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रेवेन्यू विलेज एक ही है, उसमें आबादी अगर बिखरी हुई हो जैसे एक ढाणी १ एक या आधा मील पर भी हो तो उसकी अलग अलग पंचायत बनाने की नीति नहीं है और वह उपयुक्त भी नहीं होगा।

श्री रामकरणसिंह: क्या यह सही नहीं है कि बहुत सी पंचायतों के रेवेन्यू विलेज अलग नहीं होने पर भी पिछले टाइम में अलग अलग किये गये हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं आपका प्रश्न समझा नहीं।

श्री रामकरणसिंह : आपने बताया कि रेवेन्यू विलेज अलग नहीं होने की वजह से या उनके पटवार सर्किल एक होने की वजह से, ऐसी दिक्कतें आपने बताई, अलग अलग गांव के होते हुए भी नहीं करने की। तो क्या यह सही है कि बहुत सी पंचायतें पहले टाइम में जो बनीं वे इसी प्रकार की केटेगरी में आते हुए भी अलग अलग बनी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं, ऐसा नहीं हुआ है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि पंचायत एक्ट के तहत 'विलेज' की जो डेफिनिशन की है तो उसमें विलेज इस तरह से डिफाइन किया गया है कि कई विलेजेज़ की एक पंचायत बन सकती है और पार्ट ऑफ विलेज के लिए भी अलग पंचायत बन सकती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह बात ठीक है।

श्री भीमसेन : अगर यह बात ठीक है तो ये जो ६ पंचायतें बनीं हैं जिनकी आबादी ३ हजार से ऊपर है तो उनकी अलग अलग पंचायतें १५०० की आबादी पर कानून के मुताबिक अलग अलग क्यों नहीं बना देते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां पर ऐसा नहीं है। ६ पंचायतों में स्थिति ऐसी है कि २ हजार या २ हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव हैं, उनके पास में ये गांव या ढाणियां हैं जिनकी कहीं पर जनसंख्या १० है और कहीं पर २० है। तो १६-२० की जनसंख्या के लिए अलग पंचायत बनाना मुमकिन नहीं था, इसलिए जोड़ा है।

श्री भीमसेन : इन ६ पंचायतों की अलग अलग जनसंख्या बता सकते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, मैं निवेदन कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, जनसंख्या तो मालूम हो जाय इन गांवों की :

प्रश्न संख्या ६०४

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

पंचगांव (धौलपुर) के ब्लाक्स में गेहूँ की फसल को निभी की नहरों से पानी मिलने में विलम्ब

६०५. **श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) धौलपुर तहसील के पंचगांव के ब्लॉक्स में गत गेहूँ की फसल को पहला पानी निभी की नहर से कब दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि गेहूँ की फसल को नवम्बर मास के अन्त तक पानी मिल जाना चाहिए ?

Page No.8

(श्री सूबेदारसिंह)

(३) उक्त नहर से अब तक उक्त ब्लॉक्स में कितनी बार पानी दिया गया ?

(४) समय पर पानी न मिलने से जो फसल का नुकसान हुआ है, क्या सरकार उसका काश्तकारों को मुआवजा देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) रबी ६०-६१ में पंचगांव के ब्लॉकों में २८-१२-६० को पानी छोड़ा गया था।

(२) समय पर बोई हुई फसल को साधारणतया नवम्बर के अन्त तक पानी की जरूरत पड़ जाती है। परन्तु यदि फसल देर से बोई गई हो या पहले पानी के समय बरसात हो जाये तो पानी देर से लिया जाता है।

(३) उक्त नहर से रबी की फसल में गत वर्ष तीन बार पानी दिया गया था।

(४) पानी समय पर आवश्यकतानुसार दिया गया था और फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : मन्त्रीजी बतायें कि पानी छोड़ा तो कितना छोड़ा गया था ?

श्री दौलतराम सारण : यह इनफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है कि कितना छोड़ा गया था, लेकिन नहर का पानी जरूर छोड़ा गया है। इसलिए मैंने वह निवेदन किया है।

श्री सूबेदारसिंह : पानी देर से छोड़ा जाता है जिससे काश्तकारों को नुकसान होता है, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जब काश्तकारों को जरूरत हो तभी पानी मिल जाय ?

श्री दौलतराम सारण : पानी देरी से छोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने निवेदन किया है।

श्री सूबेदारसिंह : २८. १२. ६० को छोड़ा है उसमें क्या देरी नहीं हुई ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य ने मेरे प्रश्न के उत्तर को नहीं सुना है। मैंने कहा कि : "समय पर बोई हुई फसल को साधारणतया नवम्बर के अन्त तक पानी की जरूरत पड़ जाती है, परन्तु यदि फसल देर से बोई गई हो या पहले पानी के समय बरसात हो जावे तो पानी देर से लिया जाता है।"

श्री सूबेदारसिंह : फसल समय पर बोई गई है और पानी की बहुत जरूरत थी। लेकिन पानी नहीं मिला और गेहूँ उखड़ गये और वे इन्जीनियर के दरवाजे पर फैंके गये।

श्री दौलतराम सारण : मुझे जो सूचना मिली उसके अनुसार दो बार वर्षा हुई है। एक बार ३ इंच ५ नवम्बर के आसपास और दूसरी बार जनवरी के फर्स्ट वीक में ३० या फर्स्ट को २ इंच वर्षा हुई है। इसलिए इस वर्षा की वजह से वहां के लोगों को पानी नहीं दिया। जहां वर्षा नहीं हुई थी उस क्षेत्र के लोगों ने पानी लिया भी था,

(श्री दौलतराम सारण)

लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने पानी नहीं लिया।

श्री सूबेदारसिंह : दो दफा वर्षा हुई तो गेहूँ बोने के पहले हुई है।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न के उत्तर को सुनते तो उनको मालूम होता कि मैं उत्तर निवेदन कर चुका हूँ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : बाद में जरूरत पड़ती है लेकिन भूमि में नमी नहीं हो तो गेहूँ बोने से पूर्व भी पानी की जरूरत पड़ती है, क्या यह सही है ?

श्री दौलतराम सारण : आपको वहां की स्थिति का ज्ञान नहीं है। वहां पर स्थिति भिन्न है। वहां इनन्डेशन होता है। यह सही है कि कुछ जगह जहां वर्षा की कमी हुई या जमीन सूखी है वहां पर फसल बोने से पहले पानी लिया जाता है, यानी जहां जमीन पहले तैयार कर ली जाती है बुआई करने के लिए वहां पर पानी की फसल बोने के बाद ही आवश्यकता पड़ती है।

प्रश्न संख्या १०६

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०७

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०८

श्री जेठमल बरवाड़।

तहसील परबतसर के ग्राम बंबाल के जीर्ण शीर्ण दो बांधों का पुनरुद्धार

१०८. श्री जेठमल बरवाड (नावां-सु.): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि परबतसर तहसील में गांव बंबाल के दो बांध बहुत समय से टूटे हुए हैं तथा इस कारण ८ गावों की उपज में बहुत कमी आ गई है और कुओं में पानी की गहराई बहुत नीची चली गई है ?

(२) क्या यह सही है कि जब बांध मौजूद थे तब इन गांवों में कपास पैदा होती थी ? यदि हां, तो सरकार इन दोनों बंधों को कब तक तैयार करा देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): जी हां। जब बांध टूटे हुए है तो गांवों की उपज में कमी होना और कुओं का पानी नीचा होना स्वाभाविक है।

(२) ऐसी सूचना विभाग के पास नहीं है। जो जो बांध टूटे हुए हैं उनकी सर्वे कराई जा रही है और उसके बाद में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ये बांध कब टूट गये थे ?

Page No.10

श्री दौलतराम सारण : ये बांध पुराने समय से टूटे हुए हैं।

श्री भीमसेन : सर्वे कब से कराई जा रही है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं कह रहा हूं कि सर्वे कराई जा रही है।

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : सर्वे का काम कब से शुरू हुआ था, तारीख बता दीजिये ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख की मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन सर्वे कराई जा रही है। फाइनल रिपोर्ट आयेगी उसके बाद जिस तरह की स्थिति होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री चुन्नीलाल : जब सर्वे कराने की तारीख निश्चय नहीं है तो क्या काम होगा ?

श्री दौलतराम सारण : जब मैं एश्योरेन्स दे चुका हूं कि सर्वे होने के बाद कार्यवाही की जायगी तो आपको विश्वास रखना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या यह सही है कि १० साल से सर्वे चल रहा है ?

श्री सभापति (श्री रामप्रसाद लड्ढा): ऑर्डर प्लीज़।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि इस प्रश्न के पूछने के बाद सर्वे शुरू हुई है ?

श्री दौलतराम सारण : जैसा कि मैंने निवेदन किया बहुत दिनों से बांध टूटे हुए हैं, जब सरकार के ध्यान में आया तब सर्वे कराई जा रही है।

श्री भीमसेन : यह प्रश्न पूछने के बाद सरकार के ध्यान में आया ?

श्री चुन्नीलाल : यह मान लिया जाय कि तारीख का निश्चय नहीं है तो सर्वे क्या करायेंगे ?

बीकानेर में कम्पाउन्डर्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था

१०६. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या बीकानेर के कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंग के लिये जोधपुर या कोटा जाना पड़ता है ? क्या सरकार बीकानेर में ही इन लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है, जिससे बीकानेर अस्पताल व मैडीकल कॉलेज के योग्य अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बीकानेर में कम्पाउन्डर्स को तीन वर्ष की ट्रेनिग (पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग) नहीं दी जाती है। अतः जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उनको नजदीक के प्रशिक्षण केन्द्रों पर ही प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जाना पड़ता है। इस समय बीकानेर में उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है।

Page No.11

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि वहां पर मैडिकल कॉलेज होते हुए भी इस तरह की सुविधा नहीं होने से कम्पाउन्डर्स का अभाव है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी हमारे पास चार केन्द्र मौजूद हैं इसलिये वहां और खोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भीमसेन : चार केन्द्र होने पर भी आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो एक और केन्द्र बीकानेर में खोलने में क्या हर्ज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हर एक केन्द्र में ५० केन्डिडेट्स लेते हैं, इस तरह से २०० केन्डिडेट्स निकलते हैं। और आवश्यकता होगी तो और सोचा जावेगा।

श्री भीमसेन : क्या आप यह बताने की स्थिति में हैं कि कितने कम्पाउन्डर्स की आवश्यकता होती है और कितनी डिमान्ड मीट होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास जितनी आवश्यकता होती है उतने ट्रेनिंग केन्द्र हैं।

श्री भीमसेन : क्या आप यह जानकारी दे सकते हैं कि कितने कम्पाउन्डर्स की आवश्यकता है और कितने निकलते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग प्रश्न पूछेंगे तो सूचना दूंगा।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : अब तक कितनी कितनी आवश्यकता पड़ी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकता जितनी पड़ी उतने कम्पाउन्डर्स हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री किशनाराम : लेडी डाक्टर्स तो पूरी नहीं है ?

श्री सभापति : श्री बेनाराम गहलोत।

खारची व सोजत पंचायत समिति में नल लगाने की योजना

६१०. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खारची व सोजत पंचायत समिति के कई ग्रामों में नल लगाने की योजना सरकार के समक्ष भेजी गई है ? यदि हां तो, किन किन गांवों से ?

(२) क्या सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) गांव ढाकरी में नल लगाकर पानी देने की स्कीम सरकार के समक्ष भेजी गई है।

(२) यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री बेनाराम गहलोत : यह कब भेजी गई थी ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ७.४.६१ को।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि सरकार नल लगाने की योजना में अनुदान देती है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ज्यादातर सरकार का ही खर्चा होता है। ६५ प्रतिशत सरकार देती है और ५ प्रतिशत गांव वाले।

पाली जिले के पशु चिकित्सालयों की संख्या में अभिवृद्धि की अपेक्षा

६११. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में किस किस स्थान पर पशु चिकित्सालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार पाली जिले में मवेशियों की संख्या को देखते हुए पशु चिकित्सालयों की यह संख्या पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार कहां कहां पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

(३) क्या सरकार पशुओं की बीमारी को देखते हुए जब तक पर्याप्त पशु चिकित्सालय नहीं खुल जायें जिले में एक चल पशु चिकित्सालय भेजने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक भेज दिया जायेगा ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची संलग्न है।

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार का विचार रानी और रोहट में पशु चिकित्सालय खोलने का है।

(३) पाली जिले में १ चल पशु चिकित्सालय सन् १९५६ से कार्य कर रहा है अतः नया खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : चल चिकित्सालय को गांवों में घूमते हुए नहीं देखा। वह शायद डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ही काम कर रहा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गांवों में घूमता तो होगा लेकिन शायद आपके ध्यान में नहीं आया होगा। फिर भी आपको शिकायत हो कि वह गांवों में गया नहीं तो जानकारी करेंगे।

लेखापाल प्रशिक्षण विद्यालय

६१२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सन् १९५७ से एकाउन्टेन्ट्स को एकाउन्टेन्ट्स की ट्रेनिंग के लिये एक स्कूल चलाया जाता है ? यदि हां, तो उसके स्टाफ का वार्षिक खर्चा क्या है ?

(२) क्या यह सत्य है कि जिन एकाउन्टेन्ट्स को ट्रेनिंग में बुलाया जाता है उनकी जगह वहां पर दूसरे एकाउन्टेन्ट्स मुकर्रर किये जाते हैं ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस ट्रेनिंग में ऐसे भी एकाउन्टेन्ट्स बुलाये जाते हैं जो पी. एस. सी. द्वारा एकाउन्टेन्ट्स के पद के लिये पास हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.13

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) राजस्थान लेखा प्रशिक्षणालय की स्थापना सन् १६५५ में लेखा सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें न केवल लेखापालों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है वरन् अधिकारी वर्ग एवं अन्यान्य कर्मचारी वर्ग यथा परिवीक्षाधीन लेखाधिकारी, लेखापाल, लेखालिपिक तथा लेखा सम्बन्धी कार्य करने वाले उच्च लिपिक एवं निम्न लिपिक आदि भी इस प्रशिक्षणालय में प्रशिक्षण पाते हैं। अतः उपर्युक्त वर्गों के प्रशिक्षण पर लगभग १ लाख वार्षिक का कुल खर्च आता है जिसमें अधिकतर व्यय प्रशिक्षणार्थी वर्ग के वेतन आदि का ही है। प्रशिक्षणालय का प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय केवल ३६,५०० रुपये ही है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। लेखापालों को लेखा सम्बन्धी कार्यों के लिये पर्याप्त ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जाता है। पी. एस. सी. की परीक्षा केवल नियुक्ति के लिये प्रारम्भिक परीक्षा है।

प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल, बीकानेर का स्टाफ

६१३. श्री रावतमल पारीक (नोखा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल, बीकानेर के किस किस विभागों में कितने कितने डाक्टरों, नर्सों व कम्पाउन्डरों की स्ट्रेन्थ है और इस समय मौजूद कितने हैं ?

(२) राज्य के दूसरे 'ए' श्रेणी के अस्पतालों में प्रत्येक विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या पृथक पृथक क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रावतमल पारीक : मैं पूछ कर आया हूँ सदन की मेज पर तो सूची नहीं है।

श्री सभापति : It is lying in the Notice Office.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सदस्य वहां जाकर आये हैं, वहां पर कोई सूची नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने वहां भिजवाई है। लम्बी लिस्ट है। आपने पूछा है कि बीकानेर होस्पीटल में किस किस विभाग में कितने कितने डॉक्टर नहीं हैं, कितने कंपाउन्डर्स होने चाहिये और कितने नहीं हैं, यह मैंने सूची में बताया है।

श्री भीमसेन : यह तो बताया जा सकता है कि डॉक्टर्स के कितने स्थान हैं, नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स के कितने स्थान हैं और कितनी कमी है ?

Page No.14

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लम्बी लिस्ट है इसको पढ़ने में समय लगेगा।

श्री भीमसेन : लेकिन स्ट्रेन्थ के अनुसार है या कम है और यदि कम है तो उसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्ट्रेंग्थ के अनुसार हैं। कहीं कहीं कम हैं। सीनियर स्पेशलिस्ट ५ होने चाहिये ४ हैं, जूनियर स्पेशलिस्ट चार होने चाहिये और तीन हैं। डॉक्टर्स सी. ए. क्लास २. १० के बजाय ६ हैं।

श्री रावतमल पारीक : कम्पाउन्डर्स ग्रेड १ कितने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ४२ स्थान हैं और ४२ ही मौजूद हैं।

श्री रावतमल पारीक : जिन बातों में कमी है उनकी पूर्ति कब होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉक्टर्स की कमी ऑल ओवर राजस्थान में है।

प्रान्त में प्रस्तावित केन्द्रीय भेड़ ऊन अनुसन्धान कार्य

६१४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान में केन्द्रीय ऊन व भेड़ अनुसन्धान कार्य नामक संस्था खोले जाने का प्रस्ताव है ? अगर हां, तो किस स्थान पर है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि जोड बीड़ बीकानेर में सरकार के पास २००० एकड़ भूमि है तथा वहां पानी की व्यवस्था हेतु पशु पालन विभाग द्वारा कुआं बनाने की योजना है ? अगर हां, तो क्या इस स्थान पर अथवा बीकानेर जिले के अन्य किस किस उपयुक्त स्थान पर उक्त संस्था को खोलने का सरकार का विचार है ?

पशुपालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, किस स्थान पर खोला जायेगा, यह अभी निश्चित नहीं है। पर मालपुरा में खुलने की सम्भावना है।

(२) जी हां। उक्त संस्था को खोलने का निश्चय नहीं है, इसलिये उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मालपुरा में खोलने का निश्चय किस अधिकारी ने किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भारत सरकार की कमेटी आई थी जिसने राजस्थान में भ्रमण किया, जांच की और उनकी राय में यह स्थान उपयुक्त है।

श्री भीमसेन : क्या उनको बीकानेर का इलाका दिखाया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सभी इलाकों को देखा। बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, टोंक सारे इलाके को देखा।

श्री भीमसेन : यह केन्द्र किस उद्देश्य से बनाया जायगा ?

Page No.15

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बहुत बड़ा केन्द्र बनेगा जिसमें व्यय ढाई करोड़ रुपये होंगे। वह हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा शीप और वूल रिसर्च इन्स्टिट्यूट होगा जहां सभी तरह के भेड़, पालन और अनुसन्धान कार्य किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कमेटी किसने मुकर्रर की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भारत सरकार ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या भारत सरकार का ढाई करोड़ रुपया खर्च होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारा खर्चा भारत सरकार का होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार का कितना पैसा खर्च होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक पैसा भी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल्डिंग व लैंड पर भी नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लैंड राजस्थान सरकार देगी। ढाई हजार एकड़ फोर्म के लिये और दो हजार एकड़ इर्रिगेटेड लैंड जिसमें भेड़ पालन हो सके।

श्री भीमसेन : क्या राजस्थान में चौखला किस्म की भेड़ सबसे अच्छी मानी जाती है ?

श्री नाथूराममिर्धा : जी हां। ८ किस्म की भेड़ों में से चौखला अच्छी किस्म है जो बीकानेर, चूरू, सीकर, झुन्झुनू में भी है लेकिन यह सिर्फ राजस्थान का ही रिसर्च स्टेशन नहीं होगा बल्कि उत्तरी हिन्दुस्तान का होगा।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि चौखला हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी भेड़ की किस्म है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। लेकिन भेड़ें मिलने पर ही यहां स्टेशन खोल दिया जायेगा यह सही नहीं है।

श्री भीमसेन : सभापति महोयय, मेरी रिक्वेस्ट है कि यह सबसे अच्छी ब्रीड है, जब दूसरी खराब ब्रीड हैं, उसको इम्पूव्ड ब्रीड में कन्वर्ट करने के लिए इन्स्टीट्यूट कायम किया जा रहा है। चौखला ब्रीड का दूसरी ब्रीडों का मुकाबला करने के लिए क्लाइमेट विशेष के हिसाब से संस्था खोली गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

श्री चुन्नीलाल : मन्त्री महोदय ने बताया कि कमेटी ने जांच की, वह कमेटी किस किस तारीख को आई और किस किस जगह की जांच की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना मेरे पास नहीं है, वह कमेटी एक्सपर्ट्स की थी,

Page No.16

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उन्होंने छान-बीन की और सोच-विचार कर रिपोर्ट पेश की ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Will the Hon'ble Minister lay a copy of the report of the Committee on the Table of the House ? Tnis is an important matter and a sum of Rs. 2½ Crores is being spent no this sheme.

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा भी किया जा सकता है । अगर मेम्बर्स की इच्छा है, तो कमेटी की रिपोर्ट को हाउस में रख देंगे ।

श्री सभापति : प्रश्न संख्या ६१५ ।

ग्राम मीणों की झुपडियां, मालियों की झुपडियां, गौडों की झुपडियां भाट-नाड पागडी (उनियारा) का पंचायत क्षेत्र से पृथक् करना

६१५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा के ग्राम मीणों की झुपड़ियां, मालियों की झुपड़ियां, गौडों की झुपड़िया, भाटनाड-पागड़ी को किसी भी पंचायत एरिया में नहीं रखा गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्रामों को जनता ने कई बार सरकार के पास किसी न किसी पंचायत क्षेत्र में शुमार करके वोट देने के अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध में मांग की है ?

(३) अगर हां, तो क्या हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में उपरोक्त ग्रामों की जनता के वोट लिये गये थे ? अगर हां, तो किसमें ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

पंचायत उप-मन्त्री(श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) हां, केवल पागड़ी ग्राम को छोड़ कर ?

(२) जी नहीं, राज्य सरकार के पास ऐसी कोई मांग नहीं आई है ।

(३) ग्राम पंचायत पलाई के निर्वाचन में ग्राम पागड़ी की जनता को भी वोट देने के अधिकार थे । शेष ढानियों का उनियारा के अधीन होने से पंचायत चुनाव में वोट देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । उनियारा में नगरपालिका है ।

रावराजा श्री सरदार सिंह : क्या यह सही है कि इस सेशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कहा था, ये गांव है, वहां तक उनियारा म्युनीसिपैलिटी की सीमा नहीं है, इसलिए उनियारा म्युनिसिपैलिटी की सीमा में शामिल नहीं किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे शामिल उसमें हो सकते थे । अगर उसमें भी एतराज था तो वे अलग से शिकायत कर सकते थे कि हमको किसी पंचायत में 'रख लिया जाय । जहां पर म्युनिसिपैलिटी है, अगर बाहर की

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

आबादी, बाहर वाले लोग म्युनिसिपैलिटी एरिया में नहीं आते हैं, रेवेन्यू एरिया में आते हैं, तो उनको ऑप्शन है कि वे दर्ख्वास्त देकर अपने आपको दूसरी पंचायत में शामिल करवाते। ऐसा नहीं किया है, तो अब भी मौका है। जिस पंचायत में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए दर्ख्वास्त दे दें और अगर काफी जन संख्या है तो पंचायत भी बन सकती है, पंचायत बनवालें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि ढानियों की जनता ने रजिस्टर्ड आवेदन-पत्र कलेक्टर को भेजे थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं भेजे, अब बाद में भेजे होंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूँ कि पंचायत नहीं बनी थी उसके पहले जब ऑब्जेक्शन मंगाये गये तब भेजे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा है कि पंचायत के क्षेत्र को निर्धारित करने की एक अवधि थी। उसके बाद वार्ड बने, फिर उनकी वोटर लिस्ट बनी। तो लेट स्टेज पर भेजे होंगे, एक स्टेज निकल गई होगी। अव्वल तो सूचना नहीं है; अगर उन्होंने भेजे हैं तो पंचायतों के पुनर्गठन की मियाद निकलने के बाद भेजे होंगे। इसलिए उन पर कार्यवाही नहीं हो सकती। अब तो एक ही इलाज है कि अगर वे म्युनिसिपल एरिया में नहीं रहना चाहें तो उनके क्षेत्र की काफी जन-संख्या हो तो पंचायत बना सकते हैं या किसी पंचायत के साथ जुड़ सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत पुनर्गठन के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसके चैयरमैन हेतुदान उज्जवल थे, उनके पास वहां की जनता ने रजिस्ट्री के द्वारा आवेदन-पत्र भेजे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके चेयरमैन हेतुदान उज्वल थे ही नहीं, पंचायत परिषद् के चेयरमैन श्यामलालजी थे। मैं समझ गया, वही गलती हो गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : गलती कैसे हो गई ?

श्री सभापति : श्री बेनाराम गहलोत।

बानियावास (पाली), सिरीयारी, कन्टालिया रेणीया व कोलपुरा (खारची) बांध

६१६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बानियावास, तहसील पाली, सिरीयारी व कन्टालिया (तहसील खारची) बांध की सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और अब इनका निर्माण कार्य किस स्थिति पर है ?

(२) क्या यह भी सही है कि खारची तहसील में रेणीया व कोलपुरा (धनला के पास में) बांध की भी सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और कार्य की प्रगति क्या है ?

Page No.18

उप–मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां। पर इन योजनाओं का तखमीना अभी फाइनेलाइज़ नहीं हुआ है।

(२) जी नहीं।

श्री बेनाराम गहलोत : यह 'जी नहीं' कैसे कहा ?

श्री दौलतराम सारण : जैसे आपने पूछा।

श्री सभापति : श्री रावतमल पारीक।

प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल, बीकानेर, को प्राप्त दवाइयां

६१७. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

बीकानेर के प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल में सन् १९४५–४६ में कितने रुपयों की दवाइयां आईं और सन् ६० में कितने रुपयों की ? सन् ६० में सन् ४५ के मुकाबले में दवाइयों की कीमत में मंहगाई मात्रा घटी है या बढ़ी है ? यदि बढ़ी है, तो कितनी गुनी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बीकानेर के प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल में सन् १९४५–४६ में कितनी धनराशि दवाइयों के लिये व्यय की गई, इसका इस समय कोई रेकॉर्ड ऊपलब्ध नहीं है। सन् १९६० में १, ६१, ००० रु० की दवाइयां आईं। सन् १९६० में १९४५ के मुकाबले में दवाइयों की कीमत में ७५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त ऐसी कई दवाइयां जैसे सल्फाएन्टी बायोटिक्स इत्यादि का प्रयोग इस समय किया जाता है, जिनका १९४५–४६ में आविष्कार ही नहीं हुआ था।

श्री रावतमल पारीक : यह रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं उपलब्ध है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो राजस्थान बनने के पहले का रेकॉर्ड है, यह अवेलेबल नहीं है।

श्री रावतमल पारीक : क्या रेकॉर्ड गुम गया, ऐसा मान लेना चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जानकारी मंगाई, मुझे सूचना मिली कि रेकॉर्ड नहीं मिला है।

श्री रावतमल पारीक : मैं समझूं कि सरकार ज्यादा आबादी और मरीजों की बढ़ती संख्या को देख कर दवाइयों की मिकदार बढ़ायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह मिकदार ऑलरेडी बढ़ाई हुई है।

श्री रावतमल पारीक : मैं अर्ज करूं कि दवाइयां ऑलरेडी नहीं बढ़ी हुई हैं; दवाइयों की मिकदार वही है जो पहले मंजूर होती थीं, उतनी ही आज हैं। इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १६५२–५३ में ६,५०० की दवाइयां मंजूर हुई थीं, १६६०-६१ में १,६१,००० रुपये की मंजूरी हुई है। ये फिगर्स हैं, जो यह सूचना देते हैं कि बढ़ोतरी हुई है।

श्री रावतमल पारीक : आप बढ़ोत्तरी कीमत में ७५ प्रतिशत फर्मा रहे हैं, उसके मुकाबले में इतना रुपया नगण्य है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कीमत का प्रश्न नहीं है, १६५२–५३ के फिगर्स हैं, उसके मुकाबले में अधिक मंजूरी हुई है।

डॉ० चन्द्रकला : दवाइयों की पहले के मुकाबले में कीमत बढ़ गई है, इसलिए रुपये की मंजूरी बढ़ गई है, न कि मिकदार बढ़ी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं है।

प्रश्न संख्या ६१८

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

महिलाओं के लिये आयुर्वेदिक शिक्षण की व्यवस्था

६२०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में इस समय कुल कितने आयुर्वेद कॉलेज, रसायनशालायें व रसशालायें हैं ? कृपया सूची दें।

(२) इनमें से कहां कहां पर महिलाओं के लिये आयुर्वेद सीखने की व्यवस्था है ?

(३) राजस्थान में आयुर्वेद सम्बन्धी परिचारिका एवं धातृ शिक्षा (नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी ट्रेनिंग) की व्यवस्था कहां कहां पर है ? इनमें से प्रत्येक का पाठ्यक्रम कितने समय का है ?

(४) प्रान्त में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय इस समय चल रहे हैं ? क्या उनमें काम करने के लिये वैद्यों की संख्या पर्याप्त है ? इन औषधालयों में कितनी महिला चिकित्सक, परिचारिका एवं धातृ काम कर रही हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) राज्य में इस समय २ राजकीय व ५ सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—

राजकीय कॉलेज—१. जयपुर, २. उदयपुर तथा सहायता प्राप्त कॉलेजेज़—१. सीकर, २. रतनगढ़, ३. सरदारशहर, ४. बीकानेर एवं ५. पिलानी। राज्य में वर्तमान में प्रमुख दो रसायनशालायें हैं जो अजमेर व उदयपुर में है। अजमेर रसायनशाला के अधीन जोधपुर व भरतपुर में दो निर्माण केन्द्र भी चालू हैं।

Page No.20

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(२) सभी कॉलेजों में महिलाओं को आयुर्वेद सीखने की सुविधा है।

(३) आयुर्वेद सम्बन्धी धातृ शिक्षा की व्यवस्था उदयपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में है। इनका पाठ्यक्रम १ सत्र का है, परिचारिका का कोई पाठ्यक्रम नहीं है।

(४) प्रान्त में इस समय १,१६३ औषधालय चल रहे हैं। सभी औषधालयों में वैद्यों की नियुक्तियां की जा चुकी है। इन औषधालयों में महिला चिकित्सक ११, धातृ ११२ एवं दाई १३ कार्य-रत हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपके आयुर्वेदिक कॉलेजों में इस वक्त कितनी महिलायें शिक्षण प्राप्त कर रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सवाल पूछा नहीं आपने।

डॉ० चन्द्रकला : महिलाओं को सब आयुर्वेदिक कॉलेजों में शिक्षण प्राप्त करने की सुविधा है, यह सिर्फ सरकार की एक कल्पना है या सचमुच में सब जगह प्रसारित है, सबको मालूम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी क्वालिफाइड लड़की ने आवेदन दिया हो तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया।

डॉ० चन्द्रकला : धातृ की शिक्षा के लिए उदयपुर में व्यवस्था है और दूसरी जगह नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पहले से ट्रेनिंग सेन्टर चल रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : यह जरूरी है कि पहले से ट्रेनिंग सेन्टर चल रहा है तो दूसरी जगह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता सरकार महसूस नहीं करे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर आवश्यकता होगी तो दूसरी जगह चालू किया जायेगा। इस वक्त एक चालू है।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने कहा कि महिलाओं के लिए व्यवस्था है। क्या आयुर्वेदिक कॉलेजों में सीट्स रिज़र्व हैं महिलाओं के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जितनी क्वालिफाइड लड़कियों ने एप्लाई किया, उनको रिफ्यूज़ नहीं किया। मेडिकल कॉलेज में रिफ्यूज़ कर देते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज में क्वालिफाइड लड़कियों को एडमिशन रिफ्यूज़ नहीं किया। आप जितनी लड़कियों के लिए कहें, मैं उन्हें भरती करा दूंगा।

डॉ० चन्द्रकला : ११ महिला चिकित्सक विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजों में काम कर रही हैं। क्या यह सही है कि उन्होंने राजस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने बाहर प्राइवेट प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है।

डॉ० चन्द्रकला : यह अलग से सवाल

(डॉ० चन्द्रकला)

नहीं है। राजस्थान सरकार ने व्यवस्था नहीं कर रखी है, इसलिए महिलायें बाहर से प्राइवेट प्रशिक्षण प्राप्त करके काम करता हैं इसका मतलब है कि राजस्थान में शिक्षण नहीं मिलता है, उनके लिए सरकार व्यवस्था नहीं करती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जितनी क्वालिफाइड लड़कियों ने एडमिशन लेना चाहा उनको जरूर दिया है। इसके अलावा आप एप्रोच कीजिये I will get them admitted. आप बतायें कि किसने एप्लाई किया ? आप हर वक्त महिलाओं की तरफ से शिकायत करती रहती हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): एक डाट में चुप कर दिया आपने।

प्रश्न संख्या ६२१

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२२

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्रीमती सतवन्तकौर।

तहसील पदमपुर के भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

६२३. श्रीमती सतवन्तकौर (श्री करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पंचायत समिति, पदमपुर के आदेशानुसार तहसील पदमपुर की ग्राम पंचायतों ने जो भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र पंचायत विभाग, राजस्थान को भेजे थे उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : यहां कोई ऐसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती सतवन्तकौर : इतनी दर्ख्वास्तें भेजीं और आप कहते हैं कि कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(विराम)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे पंचायत ने जिला परिषद् को भेज दीं। वे दर्ख्वास्तें जिला परिषद् ने डाइरेक्टर ऑफ कॉलोनाइजेशन को भेज दीं, हमारे पास नहीं भेजीं। वैसे हमारे विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री सभापति : श्री बेनाराम गहलोत।

पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक का सिरोही जिले में बकाया दायित्व

६२४. श्री बेनाराम गहलोत(खारची): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में अलग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक स्थापित हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(श्री बेनाराम गहलोत)

(२) क्या यह भी सही है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक की सिरोही बैंक में लाएबिलिटी बाकी है? यदि हां, तो कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि सिरोही बैंक स्थापित होने से पूर्व उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि हम पाली बैंक की लाएबिलिटी जो सिरोही जिले में बाकी है वह लेना स्वीकार करते हैं ? यदि हां, तो अब तक यह लाए-बिलिटी क्यों नहीं ली गई ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, दिनांक २०—३—५८ को।

(२) जी हां, परन्तु लाएबिलिटी के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हुआ है ।

(३) जी हां, परन्तु लाएबिलिटी कितनी ली जावे, यह निर्णय दोनों बैंकों के बीच अभी न होने के कारण लाएबिलिटी नहीं ली गई है।

श्री बेनाराम गहलोत : दोनों बैंकों ने तो निर्णय ले लिया है और प्रस्ताव पास कर दिये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक हमारे पास सूचना नहीं पहुंची है ।

श्री बेनाराम गहलोत : कभी का प्रस्ताव पास कर दिया है और निर्णय ले लिया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जानकारी कर लूंगा और निर्णय ले लिया है तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न संख्या ६२५

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।

श्री सभापति : श्री जेठमल ।

मकराना पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था

६२६. **श्री जेठमल बरवाड** (नावां-सु.): क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसे ग्राम हैं जिनके कि कुओं का पानी पीने से आदमी कुबड़े व उनके दांत काले हो जाते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों में अच्छा पानी पीने के लिये उपलब्ध करने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जेठमल बरवाड़ : माननीय सभापति महोदय, जो सूचना दी गई है बिल्कुल गलत है ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : यह सूचना सही नहीं दी है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पीने के पानी की गड़बड़ है तो पंचायत समिति को इसके लिये अनुदान दिया जाता है, उसका प्रबन्ध करना चाहिये । इसका सम्बन्ध सीधा सरकार से नहीं है ।

श्री सभापति : Question No. 925 has to be replied first.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The question was 925.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The Chairman called the name of Shri Jethmal. So I replied Question No. 926.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The Chair did not call Shri Jethmal.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The Chair called Shri Jethmal and he said Question No. 926.

श्री सभापति : ६२५ ।

ग्राम वाटिका (सांगानेर) में बन्ध का सर्वेक्षण

६२५. श्री नाथूलाल करोल (लालसोट—सु०) [श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या भारत सेवक समाज द्वारा ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में एक बन्ध का सर्वे कार्य किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस बन्ध के कागजात सिंचाई महकमे में भिजवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी हां ।

जी हां ।

भारत सेवक समाज द्वारा तैयार की हुई योजना अपूर्ण थी, अत: उसे पूर्ण रूप से तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : भारत सेवक समाज ने सिंचाई विभाग के पास यह योजना कब भेजी थी ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो मेरे पास नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, हर प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय कह देते हैं कि तारीख मेरे पास नहीं है और आसानी से छुटकारा पा लेते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : आप और पूछ सकती हैं, तारीख के लिये मैंने निवेदन किया कि अभी मेरे पास नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : तारीख अब आ गई है, बता दीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : ६—७—१६६० ।

श्री सभापति : प्रश्न संख्या ६२६ ।

मकराना पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था

६२६. **श्री जेठमल बरवाड़** (नावां-सु.) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसे ग्राम हैं जिनके कि कुओं का पानी पीने से आदमी कुबड़े व उनके दांत काले हो जाते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों में अच्छा पानी पीने के लिये उपलब्ध करने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि उपमंत्री महोदय, ने जवाब दिया है, वह सही नहीं है । वास्तव में वहां का पानी इतना खराब है कि उसके पीने से दांत काले हो जाते हैं व आदमी कुबड़े हो जाते हैं । क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी जांच की हुई है । इत्तला यह है कि वहां का पानी कड़वा है। राजस्थान में कई जगह पानी कड़वा है । स्थानीय समस्या के लिये अनुदान पंचायत समितियों को दे देते हैं । यदि किसी तरह की खराबी है तो वे वहां प्रबन्ध करें । सरकार के लिये सीधा प्रबन्ध करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : उप-मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह जांच के आधार पर दिया है या बातचीत के आधार पर ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे पास रिपोर्ट है, उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूँ ।

श्री जेठमल बरवाड़ : माननीय सभापति महोदय, यह जवाब बिल्कुल गलत है, वहां का पानी पीने से दांत काले हो जाते हैं और आदमी कुबड़े हो जाते हैं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्या वहां के सभी आदमी कुबड़े हैं और उनके दांत काले हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बार मन्त्रि-मण्डल की बैठक वहां कर दें । सब मालूम हो जायेगा ।

श्री जेठमल बरवाड़ : हमारी मांग यह है कि यदि पंचायत समिति वहां व्यवस्था नहीं करती है तो क्या सरकार वहां पर व्यवस्था नहीं करेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वहां के पानी को एग्ज़ामिन करा लेंगे ।

प्रश्न संख्या ६२७

श्री सभापति : श्री महेन्द्रसिंह पंवार ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये).

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६२८

श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री धन्नालाल हारित (छबड़ा-सु०) : सभापति महोदय प्रश्न संख्या ६२८ का उत्तर दिलाया जावे ।

जिला कोटा के चम्बल क्षेत्र के खेतीहर मजदूरों को नीलाम की जाने वाली भूमि का आवंटन

६२८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): श्री धन्नालाल हारित (छबड़ा-सु०) द्वारा पूछा गया] क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर ने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार कोटा जिले के चम्बल क्षेत्र में जमीन नीलाम कर रही है ?

(२) कोटा जिला चम्बल क्षेत्र में ऐसी कितनी एकड़ जमीन है जो नीलाम को जा रही है ?

(३) कोटा जिला चम्बल क्षेत्र के खेती-हर मजदूरों की संख्या क्या है ?

(४) क्या सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये नीलाम समाप्त कर उन खेतीहर मजदूरों को जमीन का अलाटमेंट करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : सभापति महोदय, इसका उत्तर रेवेन्यू मिनिस्टर अपनी टर्न पर देंगे ।

प्रश्न संख्या ६२६

श्री सभापति : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६०४

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : इसका उत्तर दिया जाय ।

बांसवाड़ा जिले की सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण

६०४. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) [श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बांसवाड़ा जिले में प्रचलित सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा समय पर ऋण दे दिया जाता है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या ऋण के उपयोग की पुष्टि निरीक्षक, सहकारी समितियों द्वारा कर ली जाती है ?

(३) क्या सहकारी विभाग द्वारा प्रचलित समितियों में उचित व्यवस्था हेतु ग्रुप सेक्रेटरीज़ की नियुक्ति कर दी गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(३) जी हां, कुछों में कर दी गई है और कुछ एक में जैसे जैसे ट्रेन्ड व्यवस्थापक मिलते जायेंगे, की जावेगी।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

सहकारी समितियों वाले ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में बीज भंडारों की व्यवस्था

६०६. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) [श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सहकारी विभाग बीज भंडारों की व्यवस्था कर रहा है ? अगर हां, तो जिला बांसवाड़ा में किस किस जगह ऐसी व्यवस्था की गई है ?

(२) क्या ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी जहां जहां सहकारी समितियों हैं बीज भंडारों की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है।

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी, हां निम्नलिखित जगहों पर :

बांसवाड़ा १, घाटोल १, गामड़ी १, अन्जना १, बागीडोरा १, खैरा १, कुशलगढ़ १, व परतापुरा १।

(२) जी नहीं।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु०) : सभापति महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

ग्राम पंचायत वैर को मिली धनराशि का दुरुपयोग व गबन

६०७ **श्री शंकरलाल** (रायपुर)[श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु.)द्वारा पूछा गया]:क्या पंचायत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) पाली जिले की रायपुर तहसील की ग्राम पंचायत वैर को दिनांक ३१.८.५६ से १८.६.६० तक कितनी धनराशि किन किन कार्यों के लिये पंचायत समिति द्वारा दी गई ?

(२) इनमें से कितने कार्य पूरे हुए, कितने अधूरे रहे और कितने प्रारम्भ नहीं हुए ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का दुरूपयोग व गबन करने का आरोप ग्राम वैर के निवासियों ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक १७-१-६१ को जिलाधीश पाली, डेवलपमेंट कमिश्नर, जयपुर व पंचायत मंत्री, जयपुर के समक्ष पेश किये ?

(४) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (२) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इस सूचना का भी उल्लेख कर दिया गया है।

(३) जी नहीं।

Page No.27

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(४) जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जांच कब से की जा रही है और किसके द्वारा की जा रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १७-१-६१ को प्रार्थना-पत्र यहां पेश हुआ था, आदेश दिये गये थे, फरवरी से जांच हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच कौन कर रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कलेक्टर।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम परिहार : सभापति महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

भूमि बंधक बैंकों को समय पर एनकम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट न मिलने से गत्यावरोध

६१८. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) [श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु.) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूमि बंधक बैंकों को एन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट नि:शुल्क मिलने का हर साल आदेश प्राप्त करना होता है ? क्या यह भी सत्य है कि यह आदेश छ माह तक नहीं मिलने के कारण कार्य बन्द रहता है और वेतन स्टाफ को बिना काम किये ही चुकाना होता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार सदैव के लिये इस सम्बन्ध में आदेश क्यों नहीं देती है ?

(२) क्या यह सही है कि पाली जिले की भूमि बंधक बैंक की दिनांक २५.२.६१ से एन्कम्ब्रेन्स सर्टिफिकेट मिलने बन्द हो गये हैं जिससे उसका काम बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में कब तक आदेश देने का विचार है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा)

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। अतः सब आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

श्री सभापति :

प्रश्न संख्या ६२२

श्री मनरूपराम परिहार : सभापति महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

रानी, खारची, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी व बूसी बृहत् बहुधन्धी सहकारी समिति में सरकारी व्यक्तियों का मनोनयन

६२२. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु.) द्वारा पूछा गया] :क्या सहकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर

Page No.28

(श्री शंकरलाल)

देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सही है कि रानी, खारची, (मारवाड़ जंक्शन) मार्केटिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी व बूसी वृहत् बहुधंधी सहकारी समिति में अभी तक सरकारी व्यक्तियों को मनोनीत नहीं किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रार, पाली द्वारा सिफारिशें भेजे हुए ६ माह बीत चुके हैं ? यदि हां, तो अभी तक मनोनीत न करने का क्या कारण है और अब कब तक मनोनीत किये जावेंगे ?

(३) क्या यह सही है कि मनोनीत न करने के कारण से कार्य में रुकावट हो रही है ?

सहकारीमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) रानी सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी और बूसी वृहत् बहुधन्धी सहकारी समिति में सरकारी व्यक्तियों के मनोनयन हो चुके हैं। खारची नामकी कोई मार्केटिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटी नहीं है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री मनरूपराम परिहार : गणेश मार्केटिंग सोसाइटी मारवाड़ जंक्शन में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : गणेश मार्केटिंग सोसायटी का पूछा नहीं, इसलिये ना कर दिया।

श्री सभापति : श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द : सांचोर प्रश्न संख्या ६२७ का उत्तर दिया जाय।

हरिजन रेफ्यूजी टिन एन्ड आयरन फेबरीकेटर्स कोआॅपरेटिव सोसाइटी, अजमेर

६२७. **श्री महेन्द्रसिंह पंवार** (अजमेर पूर्व) [श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या भूतपूर्व अजमेर राज्य में हरिजन रेफ्यूजी टिन एन्ड आयर्न फेबरीकेटर्स कोआॅपरेटिव सोसाइटी, अजमेर में कार्य कर रही थी तथा क्या वह अब भी कार्य कर रही है ?

(ख) यदि वह अब कार्य नहीं कर रही है तो उस सोसाइटी का क्या हुआ ? उक्त सोसाइटी के कौन कौन मेम्बर्स थे ?

(ग) उनका कितना कितना दायित्व है, और किन किन से दायित्व वसूल किया गया है तथा कितनी रकम ?

(घ) कितनी रकम सामान के नीलाम से वसूल हुई ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, परन्तु यह कार्य नहीं कर रही है।

(ख) दिनांक २०–६–५३ से अव-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सायन में है। सदस्यों की सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

ग) इसका उल्लेख संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में है।

(घ) ४,६१७) रुपये।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सभापति : शंकरलाल।

श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु.): सभापति महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन रूल्स, १९५७ के संशोधन की कार्यान्विती

९२९. श्री शकरलाल (रायपुर) [श्री मनरूपराम परिहार (खारची-सु.) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ४ अगस्त, १९६० को एक विज्ञप्ति जारी कर राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन रूल्स, १९५७ में संशोधन करने का इरादा प्रकट किया गया था तथा इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी होने के एक माह के भीतर आपत्तियां पेश करने का समय नियत किया गया था ?

(२) क्या इस बारे में कोई आपत्ति अथवा सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त नियमों को संशोधितरूप में लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) ये संशोधित नियम कब तक लागू कर दिये जावेंगे ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) जी हां, जिन जिन स्थानीय अधिकारियों से समालोचनाएं इस विभाग को प्राप्त हुई हैं सरकार ने प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन रूल्स, १९५७ में अपनी विज्ञप्ति संख्या डी. १३५९ । एफ. ८. । १९ । एम. पी. एच. । ६० दिनांक २१।३।६१ द्वारा संशोधन जारी कर दिये हैं।

(३) विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

श्री सभापति : प्रश्न समाप्त हुए।

(११.४० म० प०)

विक्टोरिया अस्पताल (अजमेर) के कम्पोन्डर्स सम्बन्धितस्थगन प्रस्ताव

श्री सभापति : विक्टोरिया अस्पताल, अजमेरमें दिनांक ३१ मार्च, १९६१ की रात्रि को ड्यूटी पर तैनात कम्पाउन्डर्स से सम्बन्धित घटना के बारे में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कम्पा-

Page No.30

(श्री सभापति)

उन्डर्स को जहर दिया जाना पाया नहीं जाता। ये मामूली गेस्ट्रो एन्टर्टिस (Gastro Entirtis) के केसेज़ बतलाये जाते हैं तथा कम्पाउन्डर्स अब अपनी ड्यूटी पर काम कर रहे हैं एवं वे पूर्णतया स्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति में यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं रहता कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर आज विचार किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए स्वास्थ्य मन्त्री महोदय स्थिति पर और प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदय, विक्टोरिया अस्पताल, अजमेर में ३१-३-६१ की रात्रि को स्टाफ नर्स, कुमारी डी. मैथ्यूस, वार्ड लेडी कान्ता और पांच कम्पाउन्डर्स सर्व श्री चन्द्रसेन, जुगलकिशोर, शिवनारायण माथुर, अब्दुलगफ्फार और कन्हैयालाल ड्यूटी पर थे। ता. १.४.६१ को प्रातः काल ५ बजे ड्यूटी से जाने से पहले उन्होंने चायपी और अपने अपने घर चले गये।

बाद में सूचना मिली कि श्री जुगलकिशोर और श्री चन्द्रसेन को डायरिया हो गया। एक रोगीवाहन से उनको अस्पताल लाया गया। उनकी हालत संतोषप्रद थी और कोई घबराने की बात नहीं थी।

बाद में अन्य तीन कम्पाउन्डरों को भी बुलाया गया। श्री अब्दुलगफ्फार कम्पाउन्डर की हालत ठीक थी और वह रात को ड्यूटी पर आया। अन्य दो कम्पाउन्डर्स में से श्री कन्हैयालाल ने कहा कि उनको सुबह दस्त व उल्टी हुई थी, लेकिन उस समय उनको कोई शिकायत नहीं थी। फिर भी उनको जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। श्री शिवनारायण माथुर को भी सुबह के समय दस्त व उल्टियां हुईं और उनको भी जांच के लिए भर्ती किया गया।

सामान्यतः सब की हालत संतोषप्रद थी और अस्पताल में भरती होने के बाद उनको कोई उल्टी नहीं हुई तथा उनकी हालत संतोषप्रद रही।

जांच के लिए पुलिस भी आई और उसने अस्पताल के ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट मांगी जो उनको तत्काल दे दी गई। अस्पताल के ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि ये जहर दिये जाने के केसेज़ नहीं थे, लेकिन मामूली गेस्ट्रो एन्टर्टिस (Gastro Entirtis) के केसेज़ थे। जो कि संभवतया रात का रखा हुआ खाना खाने का परिणाम था। उपरोक्त कम्पाउन्डरों के पूर्णयता नीरोग होने पर ता: ७-४-६१ को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वे अपनी ड्यूटी पर काम कर रहे हैं और पूर्णतया स्वस्थ हैं। सर्किल इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस, अजमेर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच करने के बाद जहर देना नहीं पाया जाता है और यह मामला जल्दी ही फाइल कर दिया जायेगा।

यह कहना सर्वथा निराधार है कि शहर में आन्दोलन फैल रहा है कि जिसके कारण रोगी अस्पताल का बहिष्कार कर रहे

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हैं। यह निर्णय इस बात से निकाला जा सकता है कि रोगी अधिक संख्या में न केवल आउट डोर में ही, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह आपने कहा कि बासी खाना खाने से यह Gastro Entirtis हुआ था, लेकिन क्या यह सही है कि उनको चाय के साथ पकोड़ी खिलाई गई थी और सब को उल्टी और दस्त होने लगे थे ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : क्या खिलाने वाली नर्स थी और उसको पकड़ा गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं खुद वहां गया था और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि से मिला। सब ने यह कहा कि यह जहर देने का केस नहीं है ?

श्री अर्जुनदास : आपने उस नर्स से मुलाकात की :

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी मुलाकात उससे होगी। अजमेर की नर्सों से मेरी मुलाकात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि बासी खाना खाने से यह हुआ। मगर उनको पकोड़ी खिलाई गई थी जिससे उनको दस्त और कै हुए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यूरिस्ट के रिज़ल्ट के आधार पर मैंने कहा है। उन्होंने चाय और पकोड़ी जरूर खाये थे। ३१.३.६१ व १.४.६१ की सुबह को ५ बजे खाया था। यह अन्दाज है कि शायद बासी चीज थी इसलिए यह हुआ।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि बासी खाना खिलाया, मगर वहां तो पकोड़ी और चाय खिलाई थी और चारों कम्पाउन्डरों को दस्त और कै हुई। इससे बासी खाना कहां से आया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह पकोड़ी ऐसी मालूम होती थी। पुलिस द्वारा ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट मांगी गई थी जो तत्काल दे दी गई। ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि यह जहर दिये जाने का केस नहीं है। लेकिन मामूली गेस्ट्रोएन्टर्टिस के केसेज़ थे जो कि सम्भवतया रात का रखा हुआ खाना खाने का परिणाम था। मैं नहीं कह सकता कि वह कब का था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पुलिस वालों को कम्पाउन्डरों ने बयान दिया था उससे उन्होंने कहा था कि उन्होंने चाय और पकोड़ी खाई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट बता दी है। कम्पाउन्डरों का यह कहना है कि उन्होंने पकोड़ी खाई। अब उनकी कोई शिकायत नहीं है कि उनको जहर दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति, मैं खुद वहां पर हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिल कर आया हूँ। उन्होंने बताया कि पकोड़ी में

(श्री भैरोंसिंह)

कोई ऐसी चीज खिला दी गई थी जिससे दस्त हुए, कै हुई और खून की उल्टी हुई। मेरे साथ में एक माननीय सदस्य और भी थे और डॉक्टर थे और अजमेर का प्राइवेट डाक्टर भी लेकर गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे मालूम है, आप गये थे और चन्द्रसेन से आपने बात की। वही बात मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जहर नहीं दिया। उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। हो सकता है कि पकोड़ी खाने से यह ट्रबल हुआ हो। कई दफे इस प्रकार का ट्रबल हो जाता है, बहुत सी चीजें खाने से इस प्रकार की तकलीफ हो जाती है। ज्यूरिस्ट का कहना है कि बासी पकोड़ी है। लेकिन यह सही है कि जहर का केस नहीं है।

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : क्या यह सही है कि उसको मिला कर जमालघोटा दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुलिस से जांच कराई और अभी पुलिस और जांच करने के लिये तैयार है। मैंने एस. पी. से कह दिया है। अगर माननीय सदस्य कोई और भी सबूत पेश करें तो वे लेने को तैयार हैं।

श्री अर्जुनदास : पकौड़ी किसने खिलाई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि ३१-३-६१ की रात को और १-४-६१ को ५ कम्पाउन्डर्स, एक स्टाफ नर्स और एक कोई नर्स दाई थी सब ने पकोड़ी खाई।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी तारीख का वकुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह फर्स्ट अप्रेल का है।

एक माननीय सदस्य : यह फर्स्ट अप्रेल का असर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हो सकता है, मैं नहीं कह सकता।

राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन विधेयक, १६६१

(पुरःस्थापित)

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन विधेयक, १६६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सागरी सिस्टम एबोलिशन बिल, १६६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर स्थापित करता हूँ।

सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा अविलम्ब आरम्भ करने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प पर वैधानिक आपत्ति एवं उस पर वादविवाद

श्री सभापति : गैर सरकारी संकल्प।

(विराम)

Page No.33

(श्री सभापति)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय,....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, इस पर मेरी एक वैधानिक आपत्ति है । मैं संविधान के अनुच्छेद २७ और २८ प्रस्तुत करता हूँ जिसमें अनुच्छेद २७ इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कर दिये गये हों ।

अनुच्छेद २८ में इस प्रकार से है :

"राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी ।"

इसके बाद दूसरा है: "खंड (१) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू न होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी ऐसे धर्मस्व या न्याय के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है ।" तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद २८ है और जो प्रस्ताव है वह इस प्रकार से है: "समस्त सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा अवलिम्ब जारी कर दी जावे"। यह जो है वह हमारे संविधान के अनुच्छेद है उनके बिल्कुल विपरीत जाता है । इसलिए इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जावे !

श्री सभापति : Yes, Shri Jugal Kishore Chaturvedi.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ विधान का शायद अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है । यह माननीय सदस्य को पता नहीं है । यदि वे मेरे पूरे भाषण को सुन लेते तो उनको मालूम हो जाता । उन्होंने जो कहा है कि धार्मिक शिक्षा का विरोध करने का उल्लेख है । मगर मेरे प्रस्ताव की कतई मंशा यह नहीं है, जब कि इसके साथ में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा लगाया गया है, जैसा मैं उनको आगे चल कर बताऊंगा । इस प्रकार का केन्द्रीय सरकार में भी हो रहा है और यू०पी० में तो हाल में शुरू किया गया है । अगर इस प्रकार की कोई वैधानिक आपत्ति हुई होती तो पहले से जारी नहीं होती । इसके लिये किसी प्रकार की सफाई देने की अपेक्षा मैं यह उपयुक्त समझता हूँ कि जब सेन्टर ने इसके लिये एक समिति श्री श्रीप्रकाश, जो बम्बई के गवर्नर हैं, उनकी अध्यक्षता में बना रखी है और वे रिपोर्ट भी दे चुके हैं । इसके अतिरिक्त हाल ही में यू० पी० के जो इस वक्त शिक्षा मन्त्री हैं आचार्य जुगलकिशोरजी उन्होंने अभी चार-पांच दिन पहले ही इस बात को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया है कि यू० पी० में इस प्रकार की शिक्षा रख सकते हैं । राजस्थान में बहुत बड़े २ नेता, विचारक और मनिषी लोग हैं वे इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि राजस्थान में भी

Page No.34

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

डॉ. बहादुरसिंह : मेरी आपत्ति तो संविधान के अनुच्छेद २८ के अनुसार थी, उस पर तो आपका कोई उत्तर नहीं है।

श्री सभापति : This will be decided after the resolution is moved.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): यह तो संविधान का काम है और यह आपको ही डिसाइड करना है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Constitutational objection raised by Dr. Bahadur Singh has first to be decided before it is taken up.

श्री सभापति : It has been admitted for discussion in the House.

श्री श्रीमानसिंह : Discussion does not mean that the members should be deprived of their rights : o raise objections.

श्री सभापति : This Objection can be raised and this is also a point for discussion and everybody is free to express his view but ultimately the House will decide this issue.

श्री श्रीमानसिंह : But for the present, whether this resolution can be moved or not, this has to be decided.

श्री सभापति : Objection can be discussed side by side.

श्री श्रीमानसिंह : No, it cannot be. Constitutional point is first to be disposed of.

श्री सभापति : Ruling is reserved for sometime and in the meanwhile, you may discuss both the points.

श्री श्रीमानसिंह : On a Constitutional point raised in this House, a ruling cannot be reserved.

श्री सभापति : I am just giving the ruling within a fiew minutes.

श्री श्रीमानसिंह : Your honour can reserve the ruling but you can hear other members on this point as well.

श्री सभापति : Yes. On this point if any Hon'ble member wants to speak he can.

श्री जुगकिशोर चतुर्वेदी : तो मैं, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में कह रहा था कि मैं इस संकल्प को सबसे अधिक आवश्यक और सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ, इस दृष्टि से कि देश को स्वतन्त्र कराया तो क्यों कराया ? स्वतन्त्र होने के बाद देश को क्या करना जरूरी है ? हमारे सामने आज सबसे बड़ी समस्या जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, हमें हमारे देश का सर्वांगीण विकास करना है। जब से हमारे देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की हम देश के विकास के लिए पूरी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तौर से लगे हुए है। हमने अपने देश का पूर्ण रूप से भौतिक विकास किया है, आर्थिक विकास किया है, सामाजिक उत्थान भी हम कर रहे हैं। लेकिन इस सब के मूल में जो किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है वह है राष्ट्र के चरित्र का निर्माण। हमारा भौतिक उत्थान हमको संहार की ओर ले जावेगा अगर राष्ट्र के चरित्र की उन्नति नहीं होती है, हमारे राष्ट्र में नैतिकता का प्रचार नहीं होता है। इसी दृष्टि से हम कहते हैं कि देश में उस....

डॉ. बहादुरसिंह : मैंने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था उस पर तो नहीं बोल रहे हैं।

श्री सभापति ; On that point, I have reserved my Ruling and you can address on the point raised by him,

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप तो यह बताइये कि इस पोइन्ट पर बोला जा सकता है या नहीं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूँ, जहां तक संविधान में जिसका उल्लेख है और जिस धर्म की मैं व्यख्या करने जा रहा हूँ, वह नहीं है। हो सकता है कि कॉम्युनल चीज़ उसमें हो। सरकार पूरी की पूरी सहायता जिसमें देती है वे होती हैं एडेड स्कूल्स और जिनको सरकार सेंट परसेन्ट एड देती है और ऐसी संस्थायें जो धार्मिक नामों से बनी हुई हैं, उदाहरण के तौर पर, इस्लामिक कॉलेज, जैन कॉलेज और ऐसे धार्मिक कॉलेज और संस्थायें जो सरकार से सेंट परसेन्ट एड लेती हैं, जैसे सिक्ख सम्प्रदाय की कोई संस्था चलती है तो वहां शिक्षा दी जाती है सिक्खों के धर्म की, सनातन धर्म की संस्था है तो वहां शिक्षा दी जाती है सनातन धर्म की, इस्लामिया कॉलेज है तो वहां इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार की संस्थाओं के लिए संविधान में जो प्रावधान है वह उनके लिए हो सकता है। लेकिन जिस नैतिक शिक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने यह बताया कि....

डॉ. बहादुरसिंह : माननीय सदस्य तो केवल रिज़ोल्यूशन पर ही बोल रहे हैं, कॉन्स्टीट्यूश्नल पोइन्ट पर नहीं।

श्री सभापति : He is explaining what he means by religion.

श्री श्रीमानसिंह : रिलीजियन, की तो कोई डेफिनिशन नहीं है।

श्री सभापति : Definition of Religion, as envisaged by him in his resolution is not against the Constitution-that is what he wants to explain.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूं कि संविधान का अनुच्छेद २८ ए क्लीयर है। कोई सरकारी संस्था हो, ऐसी संस्था जिसको राज्य सरकार चलाती हो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जावेगी। यह जो रिजोल्यूशन लाया गया है उसमें "नैतिक और धार्मिक" दोनों ही शब्द हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह रिजोल्यूशन रखा जा सकता है ? 'नैतिक' शब्द

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

रखा जाय तब तक तो ठीक है, 'धार्मिक' शब्द इसमें नहीं रखा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Yes, Any Hon'ble member wants to speak ?

श्री श्रीभानसिंह : इसमें कुछ बोलने की तो कोई गुन्जाइश नहीं है। २८ में क्लियर है और वह यह है :– "No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.' इसमें ज्यादा बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती।

श्री अर्जनदास (अजमेर-पश्चिम) : I believe, there is no objection to this resolution at all, because the Hon'ble member who has raised the point of order has probably forgotten to use one word: "सिफारिश करता है", This must be done. We make a recommendation that this should be done.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ऐसी सिफारिश नहीं कर सकता जो संविधान के खिलाफ हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सिम्पली रिकमन्डेशन राज्य सरकार माने या न माने।

श्री अर्जनदास : We can certainly make our recommendation to the State Government and also we can make recommendations to the Central Government and ought we know that after hearing all the views of the Legislatures in India, even the Government may feel like amending the Constitution itself. There is no bar, that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह इस "प्रकार है सदन यह सिफारिश करता है कि समस्त सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा अविलम्ब आरम्भ कर दी जाये।" इस सम्बन्ध में धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संवैधानिक आपत्ति प्रस्तुत की है वह आपत्ति सही नहीं है। कारण यह है कि जिस प्रकार से यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह रिकमन्डेटरी फॉर्म में है। मैं यह समझता हूँ कि अगर हम संविधान में भी परिवर्तन कराना चाहें तो उसके लिये रिकमन्डेटरी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि संविधान में अमुक अमुक प्रकार का संशोधन किया जाय, सदन यह सिफारिश करता है कि संविधान में इस प्रकार की चीज लागू की जाय।

इसके अलावा यह भी है, इस संकल्प में दो चीजें हैं, केवल एक ही चीज़ नहीं। वह है नैतिक और धार्मिक। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि किसी संकल्प में इस प्रकार से दो चीजें हैं और उनमें से एक को कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ भी माना जाता है तो भी सारे के सारे संकल्प को संविधान के खिलाफ मानकर टर्न डाउन नहीं किया जा सकता। The whole resolution as such is not at all against the Constitution. At the most, a part of it can be described to be against the Constitu-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

tion. I would, therefore. submit that the whole resolution cannot be turned down. It is only one word and the amendment can be moved.

श्री श्रीभानसिंह : There is no amendment.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then, Sir, moreoever the third point I would also like to submit that on certain bills which were moved in the House, a question was raised that the Bill was against the Constituion and a Ruling was given by the Chair that it could be discussed side by side and that the House has got full authority to throw out or reject the Bill as a whole. Similarly the House is of the view and I think, the House is even competent to reject this Resolution. I think the point of order so raised by the Hon'ble member is not at all proper and the discussion can proceed and this point may be discussed when the Hon'ble members get chance to speak for or against the Resolution.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairmon, Sir...

श्री तनसिंह (बाडमेर) : When he has raised the point of order he is not competent to...

आपने एक बार प्रवचन दे दिया, दूसरे सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन, इस रिज़ोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस पर ऑब्जेक्शन यह था कि यह रिज़ोल्यूशन है वह रिकमन्डेटरी है, मेन्डेटरी नहीं। मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि इसमें जो 'अविलम्ब' शब्द प्रयोग किया गया है यानी as soon as the House passes the resolution. यह कार्य रूप में आरम्भ कर दी जावे। ये जो शब्द इसमें आये हैं वे एक प्रकार से मेन्डेटरी हो गये, as soon as the House passes, that means that the State Government must immediately start religious instructions in the schools.

पहले तो यह है कि यह रिकमन्डेटरी नहीं है।

दूसरा यह है कि माननीय सदस्य ने 'नैतिक' और 'धार्मिक' शिक्षा-इस प्रकार से दो शब्द यूज़ किये हैं। इनमें से धार्मिक शिक्षा को निकाल दिया जाय, लेकिन अगर इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट होता तो यह माना भी जा सकता था और हाउस इस पर विचार कर सकता था।

श्री सभापति : There is an amendment by Dr. Bahadur Singh.

श्री श्रीभानसिंह : Amendment has not been circulated.

श्री सभापति : It has been circulated.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़):

Page No.38

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

सभापति महोदय, यह जो रिज़ोल्यूशन है, जब तक यह प्रस्तुत नहीं हो जाता तब तक इसमें संशोधन नहीं हो सकता। अभी तो यही चर्चा चल रही है कि रिज़ोल्यूशन मूव किया जा सकता है या नहीं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री, शिक्षा): माननीय सभापति महोदय,....

श्री श्रीभानसिंह : मैंने अभी खत्म नहीं किया। तीसरा पोइन्ट मैं जो सदन के सामने रखना चाहता हूँ, हम कॉन्स्टीट्यूशनल ऑब्जेक्शन पर वाद-विवाद कर रहे हैं। पहले उसको डिसाइड कर दिया जाय, उसके बाद यह रिज़ोल्यूशन लिया जाय ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री शिक्षा) : सभापति महोदय, यह जो आपत्ति उठाई गई है उस बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। पहला तो इसमें यह है कि जो शब्द 'रिलीजियस' पर आपत्ति उठायी गई है उसके लिये संविधान के अनुच्छेद २८ के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्था में इस तरह की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसके लिये कॉन्स्टीट्यूशन में जो बात कही गई है, " 'Religion' means an orthodox relig. ion or religion practiced in India."

यह जो रिज़ोल्यूशन है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उनकी इस प्रस्ताव के रखने से यह मन्शा है, वे चाहते हैं कि देश के अन्दर जो एक प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है उसके लिये किसी न किसी प्रकार की नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये। इस प्रकार का शब्द यूज़ किया गया है । कॉन्स्टीट्यूशन में रिलीजियन का जो मतलब लिया गया है वह उस धर्म से है, जैसे हिन्दू मुस्लिम ईसाई व पारसी धर्म। इस हिसाब से किसी एक धर्म की शिक्षा के लिये यह प्रस्ताव नहीं है। इसलिये यह संविधान के प्रतिकूल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है । इसके लिए आप इसका साइड नोट है वह भी पढ़ लीजिये....

श्री श्रीभानसिंह : यह तो कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट है, न्यू रिलीजन का सवाल नहीं।

श्री पूनचन्द बिश्नोई : आप इसके लिये इसकी कमेन्टरी भी देख लीजिये, उसमें भी यही है। हालां कि मैंने उसको देखा नहीं है इसका साइड हैडिंग है "Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions". इसमें रेस्ट्रिक्शन इस हिसाब से नहीं किया गया है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिये हो, इसका मतलब यह नहीं। इस प्रस्ताव का मतलब है मोरल और धार्मिक शिक्षा जो सब धर्मों में समान शिक्षा हो; जैसे सच बोलना। सच बोलना सभी धर्मों में अच्छा माना है और उसूलन सच बोलना अच्छा है। तो जहां तक इस प्रकार की शिक्षा देने का सवाल है उसमें किसी प्रकार की संवैधानिक आपत्ति नहीं हो सकती। यह तो एक प्रकार से युनिवर्सल मोड ऑफ मोरल कन्डक्ट है। इस तरह की शिक्षा से वंचित नहीं रखना है। इस प्रस्ताव द्वारा किसी एक पर्टीकुलर धर्म की शिक्षा देने का सवाल नहीं है। पर्टीकुलर धर्म की शिक्षा के लिये हम बाध्य नहीं कर सकते । सरकार

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

उसको पेट्रोनाइज़ नहीं कर सकती, इसी मायने में यह लिया गया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : झूठ बोलना स्कूलों में सिखाते हैं क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरा, इस रिज़ोल्यूशन के बारे में यह कहा गया कि यह संविधान के खिलाफ है। इसके बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है । यहां केवल धार्मिक शिक्षा का ही प्रश्न नहीं है, नैतिक शिक्षा का प्रश्न है। इसलिये यह कहना कि इसमें 'धार्मिक' शब्द आ जाने से संविधान के प्रतिकूल है, यह ठीक नहीं है। मेरा यह मत है कि यह संविधान के अनुकूल है इस पर बहस हो सकती है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी आया कि यह तो सिफारिश कर रहे हैं सिफारिश करना मना नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। रिज़ोल्यूशन अगर विधान सभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो वह रिकमन्डेटरी होते हुए भी मेन्डेटरी हो जाता है उसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। इसलिये यह कहना कि यह रिकमन्डेटरी है इसलिये चाहे संविधान के प्रतिकूल भी हो, हम इस पर बहस कर सकते हैं, मैं इसको मानता नहीं। अगर इसको संविधान के प्रतिकूल माना जाता है तो यह पेश ही नहीं हो सकता रिकमन्डेटरी हो, चाहे मेन्डेटरी। उस हालत में किसी भी प्रकार से इस पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें जो संवैधानिक आपत्ति उठाई है उसमें जिसका हवाला अभी माननीय सदस्य ने दिया है उसी की भाषा को पढ़ कर मैं स्थापित करूंगा कि उसकी कतई मंशा नहीं है कि यह संकल्प नहीं लिया जा सकता । उन्होंने २७ वी धारा का उल्लेख किया है। उसमें स्पष्ट यह है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं किया जावेगा, जिसके आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हैं। तो मेरा यह प्रस्ताव किसी विशेष धर्म के लिये नहीं है। इसकी स्पष्टता के लिये मैं धर्म की व्यवस्था करूंगा, वह इसमें यों है:–

"राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी !" जिसमें राज्य निधि से कोई पोषण नहीं दिया जाता उस में धर्म की जैसी शिक्षा देनी चाहते हैं वैसी देते हैं। उन पर आज भी कोई बाधा नहीं है । इसलिये मेरे इस प्रस्ताव से इन दोनों अनुच्छेदों पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं किसी विशेष धर्म या संस्था की बात नहीं कहने जा रहा हूँ । मैं तो उस धर्म का प्रतिपादन करने जा रहा हूं जो मानव मात्र के लिये अंकुश है, जो मानव धर्म के नाम से कहा जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह आपत्ति so called धर्म के लिये हो सकती है, पर जिस धर्म की उदात्त और उदार भावना को लेकर मैं इस संकल्प को ला रहा हूं, इसमें इसका कोई भी किसी प्रकार का व्याघात नहीं पड़ता है।

सभापति महोदय, इसका सबसे बड़ा

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

प्रमाण यही है, आज मैं भी अपने इस कथन की पुष्टि में जिन तथ्यों को लेकर आया हूं उनमें सबसे पहली मेरे पास एक पुस्तिका है, जिसमें, "सर्व धर्म सम भाव"........

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूं कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर कोई बहस हो तो वे करें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं विशेष किसी धर्म के लिये नहीं कह रहा हूं। बाधा उसके लिये है जो विशेष धर्म के प्रचार के लिये हो। मेरा यह संकल्प किसी विशेष धर्म के लिये नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कॉन्स्टीट्यूशन में भी विशेष धर्म का नहीं है।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संवैधानिक पोइन्ट उठाया है, मैं समझता हूं उसका कोई औचित्य यहां नहीं है। कारण, जैसे कि संविधान को पढ़ कर बताया गया है, उसका कोई प्रभाव माननीय सदस्य के संकल्प पर नहीं पड़ता। दोनों की भावनाओं में बहुत अन्तर है। किसी पर्टिकुलर धार्मिक संस्था या सैक्ट से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। सभी विचारक और शिक्षा शास्त्री आज इस देश के लिये यह महसूस कर रहे हैं कि देश की वर्तमान स्थिति में हमारी शिक्षा में नैतिकता का जो ह्रास आज बढ़ता जा रहा है उस स्थिति में वह नैतिक स्तर जो हमारे देश के लिये आवश्यक है, कैसे लाया जाय और जो धार्मिक भावना एक व्यक्ति विशेष में मानव धर्म के नाते होनी चाहिये वह कैसे हो। इसी बात को लक्ष्य में रख कर माननीय सदस्य ने यह संकल्प यहां रखा है। उसमें यह चाहा गया है कि आज की शिक्षा में नैतिक और धार्मिक शिक्षा यानी मानव धर्म की शिक्षा का समावेश कैसे किया जावे ? अब सदन अगर इस पर अपनी सहमति प्रकट करता है तो फिर इसके प्रोस और कोन्स पर भी, विचार किया जा सकेगा। मेरे मत से इस में संवैधानिक आपत्ति जैसी कोई बात नहीं पैदा होती। फिर ऐसा भी है कि अगर इसके लिये संविधान में परिवर्तन करना भी आवश्यक हो तो इसके लिये भी सुझाव दिया जा सकता है। तो मैं मानता हूँ, इस सम्बन्ध में संवैधानिक आपत्ति के लिये कोई आधार नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इस पर हमें भी बोलना है।

श्री सभापति : Kindly hear me first. I will allow the Hon'ble member to express his views on the point.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु.): मुझे भी इस पर थोड़ा निवेदन करना है।

श्री सभापति : So far as the question of the Resolution being against the Constitution or ultra vires of the Constitution is concerned, it is not for the Chair to decide it, but the House will ultimately decide whether it is in accordance with the

Page No.41

(श्री सभापति)

Articles of the Constitution or not, after hearing the members who may like to speak on this question. So if any Hon'ble member wants to speak, he may.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): Point of order, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : There cannot be any point of order on the Chair's ruling.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जो व्यवस्था दी है, उसके बारे में अर्ज करता हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह : व्यवस्था के बारे में अर्ज नहीं कर सकते आप ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: सुनने की कृपा तो करें ।

श्री श्रीभानसिंह : आपने जो व्यवस्था दी है उसके बारे में अर्ज कर रहे हैं, तो व्यवस्था के बारे में नहीं अर्ज कर सकते ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो अर्ज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता ?

अर्ज यह है कि जब किसी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर यह बात उठाई जाय कि यह संविधान के पक्ष में है या विपक्ष में तो इसके फैसले के लिए क्या वोट होगा इस पर ? हाउस किस तरह तय कर सकेगा इस इश्यू को ?

श्री सभापति : I am fortified by the precedents of the House of people about the obseruations made by me.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कानूनी बात वोट से तय नहीं होगी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार सदन भी अपनी किसी प्रकार की राय या निर्णय नहीं दे सकता, जब तक कि वह इस मसले के मूल में नहीं जाता । तो मैंने इस बारे में सोचा और सोच कर संविधान को भी देखा और इस नतीजे पर पहुँचा कि पहले धार्मिक शिक्षा के बारे में आगे सोचने के लिये बढ़ने से पूर्व यह देखा जाय कि धर्म क्या है और इसके बारे में भिन्न भिन्न लोगों ने क्या कहा है । मैंने इस बारे में आज के प्रसिद्ध विचारक सन्त विनोबा की लिखी एक किताब 'शिक्षण विचार' देखी । इसमें उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर अपने विचार रखे हैं । इसमें एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है और इसी को पुस्तक का रूप दे दिया गया है । प्रश्न वह चार लाइन का है, उसको मैं थोड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह : वह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर नहीं आ सकता ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : उन्होंने व्यवस्था दी है, उसी पर बोल रहे हैं ।

श्री सभापति : He is drawing the attention of the House whether it goes against the Constiution. He wants to express his views thereon.

श्री मुरलीधर व्यास : पक्ष-विपक्ष में बोलने के लिये व्यवस्था दी है। तो मैं पहले धार्मिक शिक्षा क्या है, इसको समझने की बात कहता हूँ।

श्री सभापति : Yes...

श्री मुरलीधर व्यास : तो श्री आप्टे लिखते हैं : "यह प्रश्न घर घर पूछा जाता है कि छोटे बच्चों के लिये पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जावे ? बहुत से लोगों को इसकी उपयुक्त कल्पना नहीं है। अवश्य ही इस विषय में सब एक मत हैं कि सन्तों के प्रवचन कंठस्थ कराये जावें, पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का रूप कैसा हो इस बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये। वह सूत्र रूप में हो तभी चल सकता है।" इसके उत्तर में विनोबाजी ने जवाब दिया है कि, धार्मिक शिक्षा की सच्ची योजना यह है कि उसमें कहा है निस्सन्देह धार्मिक शिक्षा दिलचस्पी का विषय है पर आज ऐसी शिक्षा को संकुचित और समाज भंजक बना दिया गया है। यही कारण है कि विचारशील लोगों के विचार विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा न देने की ओर हैं। मेरी दृष्टि से सच्ची धर्म-शिक्षा साहित्य का विषय ही नहीं है। शास्त्र, विश्व, ईश्वर ये सब और अवश्य पृथक आत्मा के भाव हैं यह धर्म की शिक्षा है, और वह सत्पुरुषों को संगति से ही मिलती है। इसलिये शास्त्र शिक्षकों की योजना ही मेरी धर्म शिक्षा की योजना है। तो मेरे विचार से यह धर्म शिक्षा का रूप यथार्थ है। इसके द्वारा ही धर्म शिक्षा दी जा सकती है। तो धर्म को आज जो संकुचित रूप दिया जा रहा है, उसके सामने संविधान की धाराओं को देखता हूं तो मैं समझता हूँ कि यह विपरीत है और जब तक धर्म और धार्मिक शिक्षा के बारे में स्पष्टीकरण न हो तब तक विचार करने में कुछ कठिनाई अवश्य होती है। धर्म का मतलब धारण करने योग्य शिक्षा से भी ले सकते हैं। बावजूद इसके धार्मिक शिक्षा का किसी धर्म विशेष शिक्षा से तात्पर्य लेकर इस विषय पर चर्चा ही न करें तो यह सोचने का विषय है। मैं समझता हूं, इस पर विचार हम टाल भी नहीं सकते और इसलिये माननीय सदस्यगण इस पर विचार का मौका अवश्य देंगे। ठीक बात है, उसमें किस प्रकार के विचार आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा उल्लेख इस सम्बन्ध में किया है।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के विषय में जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है मेरे खयाल से वह ठीक नहीं है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विधान में मूलभूत अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से धार्मिक स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है कि हमको कोई ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जिससे कि दूसरों के धर्मों पर आघात पहुँचे और एक ही धर्म जबरदस्ती बच्चों पर या विद्यार्थियों पर थोप दिया जाये। हम सब जानते हैं कि धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। धर्म का संकुचित अर्थ तो होता है रिलीजियन, कोई सम्प्रदाय विशेष। विधान में जो अर्थ लिया गया है वह इस तरह का ही लिया गया है क्योंकि अंग्रेजी में जो हमारा विधान है उसमें 'रिलीजियन' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। दूसरा धर्म का प्रयोग होता है कर्त्तव्य के रूप में। जैसे कि माता पिता

(डॉ० चन्द्रकला)

की सेवा करना बच्चों का धर्म है, यानी यहां ड्यूटी से अर्थ है। जहां संविधान ने बन्धन लगाया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाये वहां यही मन्शा है कि रिलीजियस शिक्षा किसी स्कूल में अनिवार्य नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे जो मूलभूत अधिकार धर्म स्वातन्त्र्य का है उस पर आघात पहुँचता है। लेकिन इस संकल्प में जो प्रावधान किया जा रहा है उसके द्वारा धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाये और वह धार्मिक शिक्षा जो कि हमारे जीवन को धारण करती है। जैसा बताया गया है उस धर्म में रोजमर्रा के कर्त्तव्य रोजमर्रा की दिनचर्या के अलावा हमारा आध्यात्म, ईश्वरीय श्रद्धा सभी इसमें आते हैं। जहां तक इस संकल्प का मतलब है उसमें आध्यात्म भी है, ईश्वर सम्बन्ध भी है और दैनिक जीवन को ऊंचा उठाने का संकेत भी है और इसके साथ साथ नैतिक शब्द भी जुड़ा हुआ है और बिना 'नैतिक' शिक्षा के हमारी शिक्षा बेकार है। इस दृष्टि से यह संकल्प लाया गया है और यह बहुत ही उपयुक्त और आवश्यक है और यह शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। हम इसका प्रावधान करें या न करें लेकिन किसी न किसी रूप में वह शिक्षा हमको मिलती है, चाहे वह कहीं से भी मिले, चाहे समाज से मिले, चाहे माता पिता से मिले, चाहे स्कूल के संगठनों से मिले। अस्तु यहां संकल्प की जो मन्शा है वह कतई संविधान के विपरीत नहीं है इसलिए इस संकल्प को विचारार्थ लेने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा में जो भी संकल्प आता है वह कानून की दृष्टि रखने लग जाता है। अगर वह पास किया जाता है तो कानून की नजर में उसका पालन किया जाता है। तो अभी जो बातें बताई गई कि संकल्प रखने वाले माननीय सदस्य की भावना ऐसी नहीं है, यह यहां नहीं देखना है, बल्कि संकल्प के शब्दों को देखना है कि संकल्प के शब्दों में क्या बातें हैं और क्या वे संकल्प के शब्द संविधान के खिलाफ तो नहीं है, अगर संविधान के खिलाफ हैं तो वह रिजोल्यूशन पेश नहीं हो सकता और अगर संकल्प के शब्द संविधान के विरुद्ध नहीं हैं तो रखा जा सकता है। अब मैं निवेदन करूं कि यहां हमारी भावना मानव धर्म की है, आध्यात्मवाद की है, यह शब्द नहीं हैं। यहां साफ लिखा है कि समस्त सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा अविलम्ब प्रारम्भ कर दी जाये। नैतिक धर्म होता तब भी ठीक था नैतिक और धार्मिक यह दोनों बातें हैं। नैतिकता का धर्म अलग होता है और धर्म अलग। तो नैतिक शिक्षण संस्थाएं जिनमें सरकार पूरा खर्च करती है ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, ऐसा संविधान में उल्लेख है। इसलिए यह कहना कि हमारी भावना अलग है तो यह भावना का प्रश्न नहीं है। इस संकल्प को यों ही रख दिया जाये तो इसके साथ भावना यह जायेगी कि धार्मिक शिक्षा भी दी जाये। तो ऐसी स्थिति में यह संविधान के खिलाफ हो जाता है। चाहे हम यहां से रिकमन्ड करें तो वह भी उसी स्थिति में रिकमन्ड किया जा सकता है कि जब कि कोई चीज संविधान के विरुद्ध न जाती हो। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद २८ (१) है वह साफ है कि किसी

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

भी सरकारी संस्था में जहां कि पूरा खर्चा सरकार उठाती है वहां धार्मिक शिक्षा कभी नहीं दी जायेगी। ये शब्द हैं संविधान में और इसमें यह और लिखा है कि अविलम्ब शुरू कर दी जाये तो यह संविधान के विपरीत पड़ता है। मैं मानता हूँ कि मेरे माननीय मित्र जिन्होंने इस संकल्प को रखा है उनका विचार नहीं है कि यहां धार्मिक यानी रिलीजियस पॉइन्ट ऑफ व्यू से शिक्षा दी जाये। लेकिन यहां विचार और भावना का सवाल नहीं है, लेकिन यहां सवाल तो यह है कि संकल्प के शब्द क्या हैं? नैतिक व मानव धर्म लिखते तो अलग बात होती लेकिन यहां लिखा है नैतिक और धार्मिक तो यह संविधान के खिलाफ बात है। ऐसी स्थिति में यह पेश नहीं हो सकता।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय सभापति महोदय, जो आपत्ति उठाई गई है उसके सम्बन्ध में मुझे थोड़ी सी बातें निवेदन करनी है। पहली बात तो यह है कि जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें तो संकल्प के शब्दों पर जाना है। ऐसे शब्द यदि कोई माननीय सदस्य बता सकें कि जिसका कोई पर्यायवाची नहीं हो और जिसके दो अर्थ नहीं निकलते हों और अगर दो अर्थ निकलें तो उसका कौनसा अर्थ प्रयोग में लाया जा सकता है और कौनसी व्याख्या की जा सकती है? यह जिस संदर्भ में प्रयोग किया गया है उसको देखना है और उसे ही देखने से ज्ञात हो सकता है कि किस संदर्भ में शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक स्पष्ट चीज है कि हमको धार्मिक स्वतन्त्रता है, धर्म के सम्बन्ध में हमारी उपासना के सिलसिले में या जो रिलीजियन मानना चाहते हैं उसकी हमको स्वतंत्रता है। यह है मूलभूत भावना जो कि हमारे संविधान में दी हुई है। उसका कभी यह मतलब नहीं है कि किसी धर्म में अच्छी चीजें बताई गई हैं उनकी बिलकुल उपेक्षा कर दें। यदि ऐसा ही होता तो यह 'सत्यमेव जयते' जो कि सिद्धान्त रूप में हम सब ने स्वीकार किया है जो कि सभी धर्मों में है इसका अर्थ है सत्य बोलना तो सत्य बोलना किसी विशेष धर्म का उपदेश नहीं है और यही मन्शा कॉन्स्टीट्यूशन की है और माननीय सदस्य यह बताना चाहते हैं कि जो धर्म कहता है वह कहीं पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि धर्म यदि यह कहता है कि सत्य बोलना चाहिए तो हमारे विद्यालयों में यह सत्य का पाठ पढ़ाना ही नहीं चाहिए। यह शब्दों को अनावश्यक रूप से तोड़-मरोड़ कर रखना है। असल में संविधान की मन्शा यही है कि जो उपासना की पद्धति है या जो सम्प्रदाय विशेष के सिद्धान्त हैं वे एक दूसरे पर नहीं थोपे जा सकते। जो प्रस्तुत संकल्प है उसकी भाषा और भाव बिल्कुल स्पष्ट हैं। उससे तो स्पष्ट संबंध यह है कि हम किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं उसमें मानवेत्तर भावना, कुछ सामाजिक भावना, कुछ चारित्रिक भावना और नैतिक भावना का ही संकेत है। जब तक यह शिक्षा नहीं दी जाये, चाहे मैथेमेटिक्स में अच्छे केल्कुलेशन्स करलें, चाहे हम विज्ञान में उन्नति कर लें लेकिन फिर भी जो शिक्षा मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकती तब तक उससे कोई अभिप्राय नहीं है। इसलिए जो माननीय सदस्य ने संकल्प रखा है उसका स्पष्ट मतलब है। उसका मतलब यही है कि मनुष्य को शिक्षा के द्वारा मनुष्य बनाया जाये। धार्मिक और नैतिक शिक्षा का जो माननीय सदस्य ने शब्द लिखा है उससे स्पष्ट यही अर्थ होता है। मैं

Page No.45

(श्री तनसिंह)

कहता हूँ कि यह संकल्प न तो किसी धर्म और न किसी संविधान को डिफाई करता है या उसके विरुद्ध जाता है। इसलिए जो आपत्ति उठाई गई है यह सार्थक नहीं है और जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है वह बिल्कुल इन आॅर्डर है ।

दूसरी बात, मान लीजिये थोड़ी देर के लिए कि यह संविधान के, इनके इन्टर-प्रिटेशन के मुताबिक खिलाफ पड़ता है तो हम इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं ले सकते हैं। यह निर्णय लेने का, इन्टरप्रिटेशन का काम, कोर्टस का है। लेकिन रिजोल्यूशन को और इसको दोनों को एक जगह मिलाया नहीं जा सकता है। उसका प्रभाव दूसरा होता है और इसका प्रभाव दूसरा हो सकता है। यह तो केवल रिकमन्डेशन है।

(विद्युत् प्रकाश अदृश्य होने पर)

डॉ० बहादुरसिंह : आप सच बोलिये तो बत्ती जलती है।

श्री तनसिंह : पहले बहुत बठे हुए हैं। एक बोले तो क्या ?

माननीय सभापति महोदय, यह जो आपत्ति उठाई गई है, मान लीजिये थोड़ी देर के लिए कि यह संविधान की मन्शा के विरुद्ध ऐसा पड़ता है तो जो कुछ रूल्स आॅफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आॅफ बिजनेस हमारे यहां है उसके मुताबिक इसमें कोई आपत्ति नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि हमने संविधान के विरुद्ध कानून भी पास कर दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिज़ोल्यूशन पास कर दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जो कुछ रिज़ोल्युशन के एडमिशन के सम्बन्ध में प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अन्दर एडमिट किया है, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है। वह जो रूल है उसके मुताबिक काॅम्प्रिहेन्सिव होने चाहिए, उसमें आग्यू-मेन्टेटिव नहीं होने चाहिए। जो कुछ भी उसमें दिया हुआ है उन सब के अन्दर मैंने अच्छी तरह से देख लिया कि कोई ऐसी बात नहीं है कि काॅन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट आये। दरअसल में सारे प्रोसीजर को देख लें कि कहीं ऐसी बात नहीं है कि काॅन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट इसके एतराज में उठाया जा सकता हो। पोइन्ट आॅफ आॅर्डर उठाया गया है तो पोइन्ट आॅफ आॅर्डर रूल्स आॅफ प्रोसीजर से कोई सम्बन्ध आता है तो उस सम्बन्ध में उठाया जाता है। तो मान लिया थोड़ी देर के लिए उनका यह शाब्दिक दृष्टिकोण से भी कि यह रिज़ोल्यूशन है वह संविधान के विरुद्ध पड़ता है तो इसका रूल्स आॅफ प्रोसी-जर और कन्डक्ट आॅफ बिजनेस के मुताबिक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हम इसको पास कर सकते हैं।

अब रहा सवाल कि इसका क्या असर जाकर पड़ेगा तो यह सीधी सी बात है कि यह सिफारिश है। जितनी भी रिकमन्डेशन्स होती हैं वे बाइंडिंग नहीं होती है। गवर्नमेन्ट की मरजी है कि गवर्नमेंट स्वीकार करे या न करे। हाउस पास कर ले या और बड़ी आॅथोरिटी पास कर ले, लेकिन रिकमन्डेशन है तो उसका मतलब सिफारिश है जिसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना सिफारिश प्राप्त करने वाले व्यक्ति

(श्री तनसिंह)

के अधिकार की बात है। तो इन शब्दों में नहीं जाकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है, उसको आने देना चाहिए। उस पर विचार करना चाहिए। यह वैधानिक बात नहीं है, मानवीय बात है। समस्त शिक्षा में फैली हुई अनुशासनहीनता अगर है और साथ ही साथ लाखों और करोड़ों रुपये योजनाओं पर खर्च कर दें तो बेकार है। लेकिन शिक्षा का महत्व है। उसको इस पोइन्ट पर, इस पहलू पर विचार करना चाहिए। इसलिए यह संकल्प बिल्कुल ठीक है और इसको आने देना चाहिए।

(१२. ४० म. प.)

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : श्रीमन्, इस संकल्प में जो 'धार्मिक' शब्द का प्रयोग किया गया है वह एक ब्रॉड सेन्स में किया गया है। उसका प्रयोग संकुचित सेन्स में नहीं किया गया है और जब इसका प्रयोग ब्रॉड सेन्स में किया गया है तो हमें इसका संकुचित अर्थ नहीं निकालना चाहिए। यदि इस संकल्प में किसी धर्म विशेष की शिक्षा के सम्बन्ध में जिक्र होता; हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या और अन्य धर्म हैं उनके सम्बन्ध में सिफारिश की गई होती तो आपत्ति की बात हो सकती थी, विधान के खिलाफ बात हो सकती थी, लेकिन यहां पर बहुत ब्रॉड सेन्स में इसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस पर चर्चा करना अवैधानिक नहीं होता।

धर्म से अर्थ जैसा कि यहां पर माननीय डॉ० चन्द्रकला ने बताया, इसका अर्थ है कि इन्सान का क्या कर्त्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, यह धर्म का अर्थ है। हमारे माननीय वाइस प्रेसीडेन्ट। डॉ० राधाकृष्णन जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तब वे धर्म के मामले में दुनिया को शिक्षा देते हैं तब उसका मतलब किसी धर्म विशेष के सम्बन्ध में कुछ बतलाते हों। धर्म से मतलब उस धर्म से लेना चाहिए जिसका जिक्र गीता में किया गया है और गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म का मतलब कर्तव्य और ड्यूटी से बतलाया है और यह हमारी शिक्षण संस्थाओं का कार्य हो जाता है कि हमारे विद्यार्थियों को उन सब बातों की जानकारी करवायें जो कि उनको करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए उनसे भी उनको भली प्रकार परिचित कराया जाय।

आखिर सब धर्म, चाहे वह हिन्दू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो उनका एक ही सार निकलता है कि मनुष्य की ड्यूटी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस विचार से माननीय सदस्य, चतुर्वेदीजी ने, इस संकल्प को हमारे सामने रखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है और यह वैधानिक आपत्ति इस पर नहीं उठाई जानी चाहिए और मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस पर विचार करे। जिस रूप में यह संकल्प आया है वह बहुत अच्छा है।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मुझे कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि यह विधान सभा है या देव-दानवों की लड़ाई का एक क्षेत्र है। आज 'धर्म' शब्द को लेकर जो यहां पर वादविवाद हो रहा है वह कुछ ऐसा लगता है कि कुछ रावण राज्य का नमूना सामने आ रहा है या कंस राज्य का

(श्री रघुवीरसिंह)

नाम सामने आ रहा है, कुछ समझ में नहीं बैठता है ।

धर्म का वास्तव में जो ट्रान्सलेशन रिलीजियन करते हैं यहीं पर आपत्ति होती है, इसी कारण यह गड़बड़ फैलती है । 'धर्म' शब्द इतना व्यापक है कि 'रिलीजियन' उसका कोई ट्रान्सलेशन, कोई अनुवाद नहीं हो सकता है । 'रिलीजियन' बहुत संकुचित है। रिलीजियन को हम सम्प्रदाय कह सकते हैं, लेकिन धर्म संप्रदाय की परिधि से बहुत दूर है । सम्प्रदाय धर्म का एक अंक हो सकता है, लेकिन रिलीजियन तो केवल सम्प्रदाय के अर्थ में ही अंग्रेजी में काम आता हैं । यह अंग्रेजी शब्द है और उसका 'धर्म' शब्द का अनुवाद 'रिलीजियन' से कहीं नहीं हो पाता है । इसलिए यह जो हमारे माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है वह केवल इसलिए कि 'धर्म' शब्द का ट्रान्सलेशन, 'धर्म' शब्द का अनुवाद उन्होंने 'रिलीजियन' से कर दिया । धर्म वास्तव में गुण और कर्म दोनों से संबंधित है । हम कहते हैं कि अग्नि का धर्म जलाना है, तो यह नहीं कि अग्नि का संप्रदाय जलाना है । अग्नि का गुण है जलाना, इसलिए उस वक्त 'धर्म' को गुण के अर्थ में काम में लेते हैं । इधर हम कहते हैं कि मनुष्य धर्म सेवा करना है, तो मनुष्य इस सम्बन्ध में यहां सनातन धर्म, आर्य समाज, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म का ही नहीं है, बल्कि मनुष्य मात्र का धर्म है, कर्तव्य है, कर्म है कि वह सेवा करे । इसलिए गुण और कर्म दोनों के सम्मिलित अर्थ 'धर्म' का करते हैं, जो कि 'रिलीजियन' शब्द से अभिप्राय नहीं निकल सकता है ।

(विद्युत प्रकाश पुनः अदृश्य हो जाने पर)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०): इसीलिये अन्धेरा हो गया है ।

श्री रघुवीरसिंह : अन्धेरा तो होगा ही उधर दानव दृष्टि बैठे हुए हैं। दानव लोगों ने कब्जा कर रखा है । कलियुग का प्रभाव देते है तो अन्धेरा ही होगा ।

एक माननीय सदस्य : जब आप बोलें तो उजाला हो जायेगा ।

श्री रघुवीरसिंह : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, यह प्रश्न मैं कहता हूँ कि आज दूसरी योजना हम समाप्त कर चुके हैं, तीसरी योजना में जा रहे हैं और उत्पादन बढ़ाया जाय । अन्न की उपज बढ़ाओ, कपड़े का उत्पादन बढ़ाओ, अन्य अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाओ, इन सब बातों पर विचार करते हैं, बहस करते हैं, वाद-विवाद करते हैं और करोड़ों और लाखों रुपये सरकार उधार लेकर भी खर्च कर रही है, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि वह सरकार आज यह नहीं देखना चाहती है कि हम भारतवर्ष में सच्चे नागरिक तैयार करें, सच्चे मानव तैयार करें । इस ओर किसी का ध्यान नहीं है । इसलिये मैं कहूँगा कि यह वास्तव में रावण राज्य का नमूना है । भोग-विलास के साधन तैयार कर रहे हैं । लेकिन सच्चा मानव तैयार करने की चिन्ता नहीं है । पहली और दूसरी योजना समाप्त हो रही है, तीसरी योजना सामने आ रही है लेकिन कोई ऐसा ध्यान नहीं है कि मानव को मानव बनावें, भारतवर्ष के सच्चे नागरिक बनावें दो योजनाएं समाप्त हो रही हैं और मानव मानव नहीं बन पाया । इसलिये, मैं श्री चतुर्वेदीजी ने

(श्री रघुवीरसिंह)

जो प्रस्ताव रखा है उससे सहमत हूँ। इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 'धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाय, इस पर कहीं विधान की आड़ नहीं आती । इस पर काफी बहस होनी चाहिये और मैं तो यह कहूँगा कि इसके अनुसार अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : सभापति महोदय, यह संकल्प बड़ा सुन्दर है और जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि विधान में रोड़ा अटकता है, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि रोड़ा तो तब अटकता है जब हम किसी धर्म विशेष को श्रेय देने के लिये प्रस्ताव रखते हों । लेकिन क्योंकि आज जो 'धर्म' शब्द है उसका अर्थ पुराने ग्रन्थों में है, दया और धर्म ।

(विद्युत प्रकाश हो जाने पर)

देख लीजिये उजाला हो गया दया और धर्म के नाम पर । हमारे ग्रन्थों में ही दया और धर्म का मूल्य है । दया का मतलब है प्रेम । क्या हम यह चाहते हैं कि हमारी शिक्षा में 'दया' शब्द न रहे, 'प्रेम' शब्द न रहे ? संकल्प की मंशा बड़ी सुन्दर है । आज झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। संकल्प का मतलब यह है कि 'सांच बराबर तप नहीं।' सचाई बोलने के लिये शिक्षा में यह शब्द बढ़ाना चाहिये ; दया करना सिखाया जाय । आज अनैतिकता बढ़ रही है इसलिये नैतिकता सिखाई जाय, सब के प्रति प्रेम हो, व्यवहार कुशल हों, इन सब बातों के लिये संकल्प है और माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि किसी- धर्म विशेष के लिये है, ऐसी मंशा नहीं है । हम बढ रहे हैं प्रगति की ओर । उसमें चार चांद लगाने के लिये संकल्प है । इसलिये मैं समझता हूँ कि विधान में रोड़ा अटकाता हो, ऐसा बिल नहीं है । इसलिये इसे विचारार्थ लेना चाहिये । इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो धर्म का विरोध कर रही हो । आप बुरा मतलब ले रहे थे तब अंधेरा था, मैं बोल रहा हूँ तब उजाला हो गया। इसलिये इसको लेना चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप व्यवस्था दे रहे हैं या इस पर डिस्कशन का मौका दे रहे हैं, तब तो हम भी विचार व्यक्त करें ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिस संकल्प की सूचना श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने दी है क्या इसमें शब्द 'धार्मिक' संविधान के प्रतिकूल है ? इसलिये क्या इसी रूप में संकल्प प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

जो इससे सहमत हैं वे 'हां' कहें....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : भाषा स्पष्ट नहीं है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिस संकल्प की सूचना....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि संवैधानिक आपत्ति है जो वोट से तय नहीं हो सकती । आसन चाहे तो इसे स्वीकार करे या न करे, वह इसके लिये कांपीटेन्ट है और सदन उसको मानेगा । लेकिन मत–दान के द्वारा संविधान के प्रश्न पर न तो कभी निर्णय हुआ है और न हो सकता है और न सदन की ऐसी परम्परा है कि

[redacted]

Page No.49

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मतदान के द्वारा तय किया हो । इस पर वादविवाद हो चुका है । आप अपनी व्यवस्था देंगे तो अच्छा होगा ।

श्री सभापति : I have heard all the Hon'ble members on this particular point-a constitutional point raised by Dr. Bahadur Singh, and I feel and hold that this resolution moved by Shri Jugal Kishore Chaturvedi is not ultra vires of the constitution and as such it can be moved and disscussed in the House. The objection, thus raised by Dr. Bhadur Singh in here by over-ruled.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): माननीय सभापतिजी, इस संकल्प पर जिन माननीय मित्रों ने संवैधानिक आपत्ति उठाई, मैं समझता हूँ वह इसकी मूल भावना के विपरीत नही है । शायद केवल उनको भ्रम हुआ है तो 'धर्म'' शब्द हटा सकते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके पड़ोस में ही भ्रम रहता है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आप भी ज्यादा दूर नहीं हैं । तो मैं सबसे पहले इसमें 'धर्म'' शब्द का प्रयोग हुआ है उस धर्म शब्द की व्याख्या इस सदन के सम्मुख कर दूं....

(विद्युत प्रकाश अदृश्य होने के कारण)

श्री श्री भानसिंह (बयाना): ओन ए पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज, सर, जब तक बिजली की व्यवस्था ठीक न हो तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय । न तो सुनाई देता है;....

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : न आसन दिखाई देता है । यह पता नहीं चलता है कि आसन भरा हुआ है या खाली है ।

श्री श्रीभानसिंह : This is very serious, Sir.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Let the House be adjourned.

श्री श्रीभानसिंह : The Department should be held...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : We can condemr the Electricity Deprtment.

श्री सभापति : Don't worry. It may be restored a within few minutes.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): We may adjourn for some time.

श्री सभापति : Yes. Shri Chaturvedi to continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रस्तावक महोदय बहुत जोर से बोल सकते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं प्रयत्न करूंगा कि सदन के बाहर भीआवाज जावे ।

तो मैं यह कह रहा था कि हमको भ्रम उत्पन्न हुआ है वह 'धर्म' शब्द को लेकर हुआ । सभापति महोदय, जैसा कि मेरे साथी सदस्यों ने बताया ''धर्म'' ऐसा शब्द किसी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दूसरी भाषा में है ही नहीं । मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि 'धर्म' शब्द जिस रूप में संस्कृत में आया है वह न फारसी भाषा में है, न अंग्रेजी भाषा में है और न दूसरी भाषाओं में सही नाम से मिलता है । ऐसा बतलाया है कि 'धर्म' का अर्थ जो कि संपूर्ण रूप में आ सकता है, रिलीजियन या मजहब । रिलीजियन का मतलब जहां तक डिक्शनेरी में देखा, इस रिलीजन का डेरिवेशन है "रिलीजो" धातु से निकला है, जिसका मतलब पीछे बांध कर रखना है । अब कहां रखना है, कैसे रखना है, इसकी विशेष व्याख्या समझ पाया हूँ तो मतमतान्तर दूसरी चीज है जिसमें जितनी विशाल से विशाल और उदात्त से उदात्त भावना मानव के अन्तर्गत हुई है वह इसमें आ सकती है । उदाहरण के रूप में बतलाऊं तो 'धर्म' ड्यूटी के अर्थ में आता है, नीति के अर्थ में आता है; जैसे नेत्र का धर्म देखना है, लेकिन नेत्र का रिलीजियन देखना है, ऐसा नहीं कहते । नेत्र का धर्म देखना है, पुत्र का धर्म पिता की आज्ञा का पालन करना है, यहां विवेक के अर्थ में आया है ; व्यापकता को लेते हुए धर्म किसी अंग में नहीं जुड़ा है; बल्कि धर्म के विशाल अंग को भावनाओं से संबंधित किया है:

धृति क्षमा दमस्तेय, शौचमिन्द्रिय निग्रहः ।
धीर्विधा सत्यमक्रोधो, दशकं धर्म लक्षणं ।।

वहां उसमें किसी विशेष धर्म को लेकर नहीं कहा है बल्कि उन्होंने धर्म के लक्षण बताये हैं-धृति, धैर्य जिसके अन्दर हो धृति धर्म का लक्षण है, क्षमा धर्म का लक्षण है, धृति क्षमा दमस्तेय, दमः स्तेय मायने चोरी करना, इसी प्रकार शौचम् मायने पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह । इस प्रकार से लक्षण बतलाये हैं, धर्म के दसलक्षण हैं । इसी प्रकार से सदाचार भी धर्म के लक्षणों में एक आता है-"श्रुतिस्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन.." महाभारत में तो कहते हैं, धर्म की लम्बी चौड़ी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है । एक श्लोकार्ध में बता देते हैं: "आत्मनः प्रतिकूलनानिपेक्षा मा समाचरेत्" ।

तो धर्म में सब कुछ आ जाता है । जो मनुष्य के अपने लिए अप्रिय है, अपने लिए प्रतिकूल है, दूसरों के प्रति वह न की जाय। इस प्रकार धर्म की विशद व्याख्या की है । मैं केवल इस चीज को कह रहा हूँ, शायद मैं संकीर्ण मनोवृत्ति वाला व्यक्ति हो सकता हूँ । सारा संसार इस बात को मानता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस युग के सबसे बड़े महान् पुरुष हुए हैं, वे धर्म पर सबसे अधिक जोर देते थे और इस बात की आवश्यकता अनुभव करते थे कि हमारी स्कूलों के अन्दर, हमारी शिक्षण संस्थाओं के अन्दर बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाय । यहां धर्म का अभिप्राय है; जैसे गांधीजी की प्रार्थना-प्रवचन के अन्दर वेद मन्त्रों का उच्चारण होता था, जहां गीता-पाठ होता था, जहां कुरान की आयतें पढ़ी जाती थीं, जहां जैन धर्म ग्रन्थों के सूत्रों का अर्थ होता था, जहां जापान की प्रार्थना बोली जाती थी, जहां बाइबल के सरमन्स ऑन दी माउन्ट और इसी प्रकार दूसरी दूसरी चीजें पढ़ी जाती थीं, क्या इन महात्मा गांधी की धार्मिक भावना को किसी विशेष धर्म से सम्बन्धित कर सकते हैं ? मैं समझता हूँ कि किसी विशेष धर्म की भावना महात्मा गांधी की कभी भी नहीं रही । मुझे स्मरण है, महात्मा गांधी उस वक्त मैसूर में घूम रहे थे; वहां एक पादरी साहब ने उनको कहा था, आप और आपके

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दूसरे लोग कहते हैं भारत देश एक आध्यात्मिक देश रहा है, उसकी आध्यात्मिकता बहुत ऊंची है, लेकिन मैंने तो यहां मैसूर राज्य की जितनी शिक्षण संस्थायें देखी हैं, मैंने धर्म के मामले में विद्यार्थियों को बिल्कुल शून्य पाया। फलतः महात्मा गांधीजी स्वयं भी एक स्कूल में गये। उन्होंने बाद में बतलाया कि मैंने सौ विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए धर्म सम्बन्धी प्रश्न पूछे। मैंने एक प्रश्न पूछा", क्या आप लोग गीता समझते हैं, गीता को जानते हैं? तो महात्मा जी कहते हैं, सौ विद्यार्थियों में से केवल दस विद्यार्थी मिले, जिन्होंने बताया कि हमने गीता को पढ़ा है और उनमें से दो विद्यार्थी मिले, जिन्होंने कहा हमने गीता के तात्पर्य को समझने की चेष्टा की है।"उस वक्त महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा था, जिसको मैं सदन के समक्ष पढ़ना आवश्यक समझता हूँ। महात्मा जी ने लिखा है, 'मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि मैसूर की शिक्षण संस्थाओं में, राज्य की स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती।" और इसके आगे महात्माजी ने यह भी लिखा "यदि हिन्दुस्तान की आध्यात्मिकता का दीवाला नहीं निकालना है तो हमें धार्मिक शिक्षा को भी वैयक्तिक शिक्षण के बराबर ही महत्व देना पड़ेगा।" यह धर्म के सम्बन्ध में मैं विवेचन कर रहा हूँ कि धार्मिक संस्थाओं का जो अर्थ लिया जा रहा है मत मतान्तर। उसका मजहब और मतमतान्तरों को साथ जोड़ना उचित नहीं। इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा हमारे मुल्क में दी गई तो हमारे देश में विश्व बन्धुत्व, भाई चारे की जो परम्परा रही है, सर्व धर्म सम भाव की परम्परा रही है उस पर आघात होगा। इस प्रकार मत मतान्तरों की भावना से यूरोप महाद्वीपों में सौ वर्ष में युद्ध हुए थे और वे युद्ध होते हैं धर्म के नाम पर, उसी प्रकार की हमारे यहां गति आ सकती है। मैं यह कह रहा हूं कि संसार जिस विनाश की ओर जा रहा है उसका एक मात्र कारण है, वह हमने देखा है कि अपने इस देश में क्या, दूसरे देशों में भी नैतिकता का जब जब ह्रास हुआ है, आध्यात्मिकता कमजोर हुई है और जहां भौतिकवाद बढ़ा है वहां हमेशा संहार हुआ है। आप महाभारत काल को ही लें, क्योंकि नैतिकता का शनैः शनैः पतन होता जा रहा था, महिलाओं को सरे आम सार्वजनिक रूप में अपमानित किया जा रहा था, गुरूजनों की बातों पर विचार नहीं किया जाता था, उनकी अवज्ञा की जाती थी, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ।

आज हमारे सामने विश्व व्यापी दो युद्ध हुए। हम दो विश्व व्यापी युद्ध देख चुके हैं। उसका कारण सारे संसार में भौतिकवाद का बढ़ना था। इसलिए अपने देश में, जो आध्यात्मिकता की थाती रही है, यदि उस थाती को अक्षुण्ण रखना है और हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनके नाम को जीवित रखना है तो उनकी परम्परा को फिर से लेना होगा। उस परम्परा का आरम्भ कहां होता है? हमारे यहां पर शतपदी ब्राह्मण में लिखा है, "मातृदान, पितृमान, आचार्यवान पुरूषो वेदः"। मनुष्य की शिक्षा का प्रारम्भ तीन स्थान पर होता है; या तो माता के द्वारा शिक्षा दी जाती है या दूसरी शिक्षा दी जाती है पिता के द्वारा अथवा तीसरी शिक्षा दी जाती है, आचार्य के द्वारा, आचार्यवान् पुरुष

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ही शिक्षा देगा । कहा जाता है कि माता-पिता अब अपने कर्त्तव्य का पालन क्यों नहीं करते, घर में अपने धर्म की शिक्षा क्यों नहीं देते ? सभापति महोदय, खेद इस बात का है, जिस युग में हम लोग हुए हैं, मैं भी एक माता-पिता के रूप में हूँ, मेरे बहुत से सदस्य माता-पिता के रूप में होंगे, हमारा युग है, इसके अन्दर जो प्राचीन पद्धति थी वह नष्ट हो चुकी है, इसलिए आज के माता-पिता का जहां शिक्षा का यह स्तर है, जहां शिक्षण की मात्रा आठ–नौ प्रतिशत रही है, जहां साधारण शिक्षा देने में पूरे योग्य नहीं हुए माता–पिता से वहां धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, बच्चों को सदाचारी बनाने सम्बन्धी शिक्षा की कल्पना कहां कर सकते हैं ? इसलिए सबसे बड़ा भार आचार्य के ऊपर पड़ता है, शिक्षकों पर पड़ता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारी शिक्षा का आरम्भ हमारे स्कूलों में, हमारी शिक्षण संस्थाओं में हो सकता है ! यह हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि शिक्षा के अभाव में देश की अधोगति हो रही है । भौतिक रूप से हम बहुत कुछ उन्नति करते जा रहे हैं । लेकिन केवल भौतिक उन्नति से कभी सच्चे रूप में देश का विकास नहीं कर सकते ! आज जिस व्यक्तित्व को हमको आगे बढ़ाना है, जिस राष्ट्र के उत्थान के लिए एक एक व्यक्ति को चरित्रवान् बनाना है, सदाचारी बनाना है उसके बिना राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते । हम चरित्र निर्माण आरम्भ कर सकते हैं तो स्कूलों में कर सकते हैं । स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा न होने से ही । सभापति महोदय, आज हम यह परिणाम देख रहे हैं । हम धीरे धीरे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनते हैं, रिश्वत-खोरी की शिकायतें सुनते हैं, चीजों में मिलावट की शिकायतें सुनते हैं, दूसरे के माल को हड़प करने की बात रोजाना सुनते हैं, उनका एकमात्र कारण है कि हमको नहीं बतलाया जाता, पुरानी चीजों को आज शिक्षा देने-वाले नहीं बताते ! भुनीया माँ गहेन स्वद्धनम । हमारे पुराने आचार्यों ने शिक्षा दी थी, ईश्वर की दी हुई चीजें हैं, परमात्मा की दी हुई चीजें हैं, उनका उपभोग करो और दूसरे की चीजों को लेने का लालच मत करो । यह शिक्षा सच्चे मायनों में धार्मिक शिक्षा हो सकती है । यह हिन्दु धर्म की शिक्षा नहीं है, मुसलमान धर्म की शिक्षा नहीं है, ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं है, मनुष्य मात्र की शिक्षा है। आज इस शिक्षा की आवश्यकता है । यह शिक्षा स्कूलों में होनी चाहिए ।

मैं कहता हूँ कि हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी । उसकी विशेषता थी कि सर्वांगीण विकास मनुष्य का होता था और उसकी हमारे देश के बाहर तक लोग प्रशंसा करते थे । इस देश में मकानों में ताले नहीं लगते, लोगों के घरों में चोरी नहीं होती, जहां शराब खुले आम नहीं मिलती, जहां लोग दुराचारी नहीं हैं । ये सारी चीजें इस-लिए थी कि उस समय की शिक्षा राष्ट्रीय आधार पर, नैतिक आधार पर और चारित्रिक आधार पर दी जाती थी । आज हम जब कभी देश की संस्कृति की चर्चा करते हैं, सभापति महोदय, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति का अर्थ ऐसा संकुचित हो गया है, आज धर्म के नाम पर और संस्कृति के नाम पर जहां कहीं देखते हैं केवल लोक नृत्य और लोक गीत को संस्कृति समझ लिया

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

गया है। सारी संस्कृति इन दो चीजों में सीमित हो गई है। कहां हमारी भारतीय संस्कृति, कहां हमारा आचरण था। जहां राम-राज्य में हनुमान जैसे भक्त पैदा हुए, जहां लक्ष्मण जैसे मातृभक्त पैदा हुए, जहां सीता जैसी सावित्री पतिव्रता पत्नियां हुईं, जहां ध्रुव जैसा निष्ठावान बालक पैदा हुआ, शिवाजी और राणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए वहां की जो संस्कृति थी वह सदाचार की थी।

लेकिन आज उस संस्कृति को हम नहीं देखते कि बाहर के देशों में हमारे यहां से जो लोग जाते हैं तो कभी कभी दुख होता है, खेद और संकोच होता है जब वे अपनी नैतिकता की छाप दूसरे देशों पर नहीं जमा पाते। हमारे यहां के जो लोग बाहर हो कर आये हैं उनकी बातों को सुनते हैं तो पता चलता है कि हमारे यहां के अच्छे सभ्य, शिक्षित और जिम्मेदार लोग जाते हैं, डेलिगेशन्स बाहर जाते हैं, उनके बारे में भी, सभापति महोदय, उन शब्दों को कहने में संकोच होता है कि वे जिस प्रकार का इम्प्रेशन, जिस प्रकार का प्रभाव अपनी संस्कृति का, नैतिकता का दूसरे देशों पर छोड़ कर आते हैं वह हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत होता है।

मेरे एक मित्र ईरान से आये। वहां की स्थिति उन्होंने मुझे बताई कि वहां किसी आदमी की कोई चीज गिर जाती है तो लोग उस चीज को नजदीक के पुलिस स्टेशन पर या किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर पहुंचा देते हैं। वहां कोई चोरी या बेईमानी नहीं। यह तो हमारा बिल्कुल पड़ौसी देश है। मेरे मित्र ने वहां के लोगों से कहा कि आप लोगों में इतनी उच्च नैतिकता की भावना कहां से आई? तो उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि आप तो भारतवर्ष से आये हैं न? मेरे मित्र ने कहा कि 'हां'। तो उन्होंने बताया कि हमने यह सब भारतवर्ष से ही सीखा है, आपके यहां की पुस्तकों को पढ़ कर उनसे सीखा है। वहां यह होता है कि एक युवती पूरे आभूषण पहिन कर जंगल में से निकल सकती है, पर वहां के धर्म में बंधे हुए लोग, नैतिकता में बंधे हुए लोग उसे किसी प्रकार की कुदृष्टि से नहीं देखते। यह सब उन्होंने हमारे यहां से ही सीखा है।

यदि यह फिर से हमें हमारे यहां करनी है तो इसका आरम्भ इन शिक्षण संस्थाओं से होता है। यहां इस पर यह आपत्ति उठाई गई कि शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार की शिक्षा देना हमारे संविधान के खिलाफ है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार यह संविधान के खिलाफ है। हमारे देश के केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने बम्बई के गवर्नर श्री श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी मुकर्रर की कि सदाचार सम्बन्धी, नैतिकता सम्बन्धी, धार्मिक विचार अथवा मानव को उच्च मानव बनाने सम्बन्धी विचार हमारे यहां के नागरिकों में हों, इस प्रकार की शिक्षा दी जाय। इस सम्बन्ध में एक कमेटी मुकर्रर की। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में इस प्रकार की नैतिकता तथा धार्मिक शिक्षा देना स्वीकार किया है। सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया है, इसका पता नहीं। पर तीन चार-दिन पहले समाचार पत्रों में आया है कि यू. पी. के शिक्षा मन्त्री, आचार्य श्री जुगलकिशोर ने घोषणा

Page No.54

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

की है कि इस प्रकार की नैतिकता की शिक्षा को यू. पी. में अनिवार्य किया जाय। तो मैं समझता हूँ राजस्थान अपने आपको कितने ही मामलों में अग्रणी समझता है, कितने ही सुधारों में—भूमि सम्बन्धी सुधारों में, कई आर्थिक योजनाओं के सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण की योजना के सम्बन्ध में अग्रणी होने का दावा करता है और हम भी गर्व अनुभव करते हैं, फिर इस सम्बन्ध में कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं कि वहां इस प्रकार की नैतिक शिक्षा शुरू हो गई है तो हमारी राजस्थान सरकार इस ओर पहल करे और बताये कि वह इस मामले में भी किसी से पीछे नहीं है।

इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि किस प्रकार इस शिक्षा का प्रसार करें? मैं स्वयं शिक्षक रहा हूँ, चार वर्ष नहीं, निरन्तर १६ वर्ष तक शिक्षक रहा हूँ। मैंने उस शिक्षा में धार्मिक, नैतिक शिक्षण को स्थान दिया। मैंने सैकड़ों पुस्तकें देखी हैं। आज से पच्चीस, तीस वर्ष पहले ही इस प्रकार की पुस्तकें निकल चुकी हैं जिनमें किसी धर्म या सम्प्रदाय की बात नहीं, तुलनात्मक धार्मिक बातें हैं। मैं अभी एक पुस्तक दिखला सकता हूँ, सर्व धर्म समभाव उसमें बताया गया है। कई बातें हैं जो नैतिक आचरण सम्बन्धी हैं। हम पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या गिरजाघर में जाते हैं। ये व्यक्तिगत चीजें हैं पर इसमें यह है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिये। आज धर्म और मजहब मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बनाये हुए है, आज मनुष्य नैतिकता से गिर चुका है। डॉ० राधाकृष्णन् और हमारे राष्ट्रपति तो बार बार कहते हैं कि विज्ञान और टैक्नोलोजी से काम नहीं चलेगा। यदि केवल ये दो चीजें बढ़ती गईं तो हमारे देश का संहार निश्चित है। इससे देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। विज्ञान और टैक्निक के साथ साथ आध्यात्मिक पुट लगेगा तभी देश उन्नति कर सकता है। तो इसके लिये यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाओं में इस शिक्षा को लागू करें।

मैंने जान-बूझ कर सरकारी शिक्षण संस्थाएं क्यों रखी हैं? गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को भी रख सकता था, पर मैं बता सकता हूँ कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अधिकतर किसी धर्म विशेष की, सम्प्रदाय या वर्ग विशेष की शिक्षण संस्थाएं हैं, जो अपने अपने धर्म की दृष्टि से शिक्षण देती हैं। हमारे यहां आर्य समाज ने काफी शिक्षण फैलाया है। यू. पी. और पंजाब में और दूसरे प्रान्त में एक समय था जब आर्य समाज ने शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा रखा था। वहां आर्य समाज की शिक्षा दी जाती है। सनातन धर्म की तरफ से बहुत सी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है। मुसलमानों की ओर से भी इस्लामी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें इस्लामी मजहब की शिक्षा दी जाती है। जैन धर्म की ओर से भी कई शिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें जैन धर्म की शिक्षा दी जाती है। ईसाइयों की तरफ से भी कई शिक्षण संस्थाएं हैं। जहां तक ईसाई धर्मावलम्बियों का सम्बन्ध है मुझे मालूम है कि जो ईसाइयों की शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें मोरल साइन्स नाम का विषय है उसकी शिक्षा देते हैं, जिसमें किसी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

धर्म की या बाइबल की बातें नहीं होतीं ।

अब गैर सरकारी संस्थाएं इस प्रकार की शिक्षा दे रही हैं तो कोई कारण नहीं कि आज भी भारत सरकार, अंग्रेजों की तरह गोड-लैस एज्यूकेशन रखे । अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी शासन काल में यह सिद्धांत था कि भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों का बाइकॉट किया जाय । लॉर्ड मैकॉले कहता था कि भारतीय साहित्य और संस्कृति में कुछ नहीं है । उसने कहा है कि : "A single shelf in a good European library is worth the whole Indian and Arabian literature put together."

वह तो यह कहता था कि यूरोप की एक लाइब्रेरी नहीं लाइब्रेरी का एक शैल्फ, उस शैल्फ में जितनी सी पुस्तकें आती हैं उतनी ही पुस्तकों के मुकाबले में हिन्दुस्तान और अरब के सारे के सारे साहित्य को इकट्ठा कर दिया जाय तो भी उसमें उतने भाव नहीं मिलेंगे जितने कि यूरोप की किसी लाइब्रेरी के शैल्फ में आने वाली किताबों में एक छोटीसी किताब में मिल सकते हैं । तो जिन लोगों को हमारे देश के धर्म, संस्कृति और साहित्य की खिल्ली उड़ानी थी उन लोगों के शासन-काल में यदि नैतिकता की और धर्म की शिक्षा नहीं दी गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं; पर हमारे देश के स्वतन्त्र होने के बाद तो इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये । हमारे देश की पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास किया था तो स्वतन्त्रता की व्याख्यामें महात्मा गांधी ने बताया था कि केवल राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता ही नहीं होगी। गांधीजी अनुभव करते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य के कारण हमारे देश का नैतिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक पतन हुआ है । इस लिये उन्होंने कहा था कि जिस समय हमारा देश स्वतन्त्र होगा तो हमारा सांस्कृतिक, चारित्रिक, राजनैतिक और आर्थिक उत्थान होगा । हमारे देश को स्वतन्त्र हुए तेरह-चौदह वर्ष होने आये, इन तेरह-चौदह वर्षों में क्या कोई भी सरकार बताने को समर्थ हो सकती है कि उसने देश के चारित्रिक, नैतिक उत्थान के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ! कह सकते हैं कि बड़े बड़े बड़े बांध बनाये हैं, सड़कें बनाई हैं; पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें आर्थिक उत्थान की बात है, नैतिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।

"आहार निद्रा भय मैथुनं च,
सामान्यमैतत् पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो,
धर्मेण हीनाः पशुभिर्समाना ॥"

जिसमें धर्म की भावना नहीं है उसमें और पशु में कोई अन्तर नहीं है । हम पाशविकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इस बात को डॉ० राधाकृष्णन् ने भी कहा है ।

अभी कुछ दिनों पहले, महावीर जयन्ती के अवसर पर हमारे राष्ट्रपति ने दिल्ली में भाषण दिया था । उसमें उन्होंने इस पर बहुत चिन्ता प्रकट की कि हमारे देश का नैतिक पतन हो रहा है । इसके लिये विभिन्न धर्म के आचार्यों को बैठ कर इस विषय पर विचार करना होगा कि हमारे देश का नैतिक व आध्यात्मिक ह्रास जो आज हो रहा है उसे किस प्रकार मिटाया जाए । मैं समझ नहीं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पाता कि जब इस प्रकार की स्थिति है और जिसके लिए हमारे राष्ट्रपति व दूसरे बड़े बड़े नेता इस प्रकार कहते हैं और हमारे प्रधान मंत्री यह कह चुके हैं कि केवल टैक्निकल ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, हमें नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी और इस तरफ भी ध्यान देना होगा: इसके लिये अगर कोई साधन हो सकता है तो एक मात्र शिक्षण संस्थाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा लोगों को नैतिकता, चरित्र बल, राष्ट्र प्रेम आदि की शिक्षा दी जा सकती है और यह कार्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा ही हो सकता है। इसलिये मैंने यह संकल्प रखा है और मेरा यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण और समीचीन है। अगर इसको इसी रूप में स्वीकार किया जाता है तो आवश्यकता इस बात की होगी कि जिस तरह से बाल साहित्य आदि के लिये सरकार पुस्तकों का प्रबन्ध करती है और लेखकों को प्रोत्साहन दे रही है उसी तरह से सदाचार सम्बन्धी जितनी पुस्तकें हैं उन सब को विशेषज्ञों के सामने लाये। अगर हम उसमें किसी प्रकार की कमी पाते हैं तो दूसरे लेखकों को इस सम्बन्ध में लिखने के लिये आह्वाहन करें कि वे आगे आकर इस प्रकार की पुस्तकों की रचना करें और उनकी शिक्षा प्राइमरी और सेकन्ड्री क्लॉसेज़ में देना प्रारम्भ किया जाए। मगर इसके लिये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में बहुत पीछे है।

हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने तो T. D C. कोर्स चालू कर रखा है। उसमें सदाचार सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है और पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। मगर हमारी सरकार ही इसमें पीछे है। हमारा राज्य धर्म-निरपेक्ष राज्य होने के नाते धार्मिक विषयों पर शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी सदाचार और नैतिकता की शिक्षा तो हमारी यूनिवर्सिटी चलाती ही है। हमारी सरकार की भी यही भावना होती तो यह शिक्षा स्कूलों में चालू की जा सकती थी। हमारी सरकार का नारा है 'कल्याणकारी राज्य' मैं नहीं समझ पाया कि 'कल्याणकारी राज्य' किस प्रकार से इसकी पूर्ति करेगा। क्या कल्याणकारी राज्य का अर्थ यही है कि हम कुछ थोड़े से लोगों को सर्विस में ले सकें, ले लें और कुछ को टैक्निकल शिक्षा दे दें ? मैं यह कहूँगा कि ऐसा करके हम मनुष्य का जो आध्यात्मिक गुण है उससे हम उसको वंचित रखते हैं और उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य का दावा किस प्रकार कर सकता है ? हमारा नैतिक कल्याण होना चाहिये व हमारा चरित्र-बल होना चाहिये, हमारा आध्यात्मिक गौरव होना चाहिये। दूसरे देशों में भी पुराने समय से हमारा आध्यात्मिक गौरव और महत्व बहुत उच्च रहा है और उसे उसी प्रकार से कायम रखना है तो इस बात की आवश्यकता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में इसकी शिक्षा प्रारम्भ की जाए। गैर सरकारी संस्थाओं में तो ऐसी शिक्षा चलती ही है, मगर उसमें भी हमें यह देखना है कि वह शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा, हम उसमें यह देख सकते हैं कि कोई इस प्रकार की शिक्षा तो नहीं दी जाती है कि जिससे धर्म के नाम पर आपस में कटुता पैदा हो जाए। यदि इस प्रकार की शिक्षा की प्रवृत्ति हो तो उसे हमें रोकना है। आज

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हमारे देश को राष्ट्रीय एकता की बहुत आवश्यकता है। आज हम राष्ट्रीय एकता के लिये चिन्तित हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं आ सकती।

मैं खुद राजनैतिक पार्टी का सदस्य हूँ और मैं जानता हूँ और मेरा विश्वास है कि केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकता हमारे देश में नहीं आ सकती। आज हम देखते हैं कि जात-पांत और भेद-भाव और क्या कहना चाहिये, प्रादेशिक भावना और प्रान्तीयता, कहीं भाषा के नाम पर झगड़े, इस प्रकार की कितनी ही चीजें हमारे सामने हैं और उन चीजों से हम स्वार्थ के वशीभूत होकर बंध चुके हैं। आज अगर कोई चीज है जो राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा कर सकती है और कायम रख सकती है तो वह धार्मिक भावना है। यही धार्मिक भावना है जो उस राष्ट्रीय एकता को पैदा करती थी; जो शंकराचार्य दक्षिण से बद्रीनारायण और द्वारिका से लेकर कामाक्षा देवी तक पहुंचे थे। यह वही धार्मिक भावना है जो देश को एकता के प्रेम में बांधे हुए थी।

आज भी हमारे भारत की पुरानी संस्कृति सारे एशिया में हमको देखने को मिलती है, चाहे वह किसी रूप में देखने को मिलती हो। मैं कहूँगा कि भारतीय पुरानी संस्कृति हमें आज भी जगह जगह पर देखने को मिलेगी। आज बोनियो और सुमात्रा में जाकर आप देखेंगे तो हमें भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी, वहां आप रामायण के चित्र देखने को पावेंगे, बहुत से रीति-रिवाज जो हमारे यहां पर हैं वही वहां भी पावेंगे। यह सब किस तरह से हुआ? यह सब धार्मिकता से हुआ। पुराने जमाने में भी हमारा देश राजनैतिक नाम पर एक नहीं था लेकिन धर्म के नाम पर एक था। हम संस्कृति व धर्म के नाम पर एक थे। आज हमें यदि अपने देश में बन्धुत्व के भाव को फिर से लाना है और एक रूप में एक दूसरे को बांधे रखना चाहते हैं, इसका एक मात्र साधन हो सकता है तो यही कि हमारे मानव धर्म सम्बन्धी, सदाचार सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार हो और मनुष्य मनुष्य में किसी प्रकार का कोई वैर भाव न हो और सब में आपस में प्रेम हो। वेदों में जैसे कहा है, मित्रस्य चक्षुसा सबीने, भुताति एजीक्षा महे" भूतों तक को निज की दृष्टि से देखने की वेदों में प्रेरणा की है। इतना ही नहीं; बल्कि वेदों में तो यहां तक कहा है कि जो भूत हैं, जो जीव और निर्जीव हैं उनको भी हम मित्र की दृष्टि से देखें। यही भावना है जिसका आधार है कि सब को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिये। इसकी हमें शिक्षा दी जाती थी। वेदों में इस प्रकारकी भावनाओं का प्रचार किया गया है।

आज आवश्यकता है इस प्रकार की शिक्षा की ओर अगर इस सम्बन्ध में कोई पुस्तकें उपलब्ध न हों तो इस प्रकार की पुस्तकों को लिखवाने की और इसकी शिक्षा को स्कूलों में जारी कराने की आवश्यकता है। इससे भी बड़ी आवश्यकता है वह यह कि हमारे शिक्षकों के सदाचारी रहने की है। हमारे शिक्षकों को नैतिक भावना को लेकर काम करना चाहिये। उन्हें राजनैतिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिये। जैसा कि हम आज देखते हैं कि आज हमारी राजनीति ने सब लोगों के दिमाग खराब कर दिये हैं। आज

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उसने सब के दिमाग में घुस कर थोड़ा बहुत उनका दिमाग गंदा कर दिया है। अगर लड़के इस प्रकार के विकृत मस्तिष्क से कुछ शिक्षा हासिल करेंगे तो उनको सदाचार की शिक्षा नहीं मिलेगी और न शिक्षक ही उनको सदाचार की शिक्षा दे सकेंगे। हम यह चाहते हैं कि हमारे शिक्षकों का नाम ऊंचा हो, उनकी वेतन सम्बन्धी बातों को पूरा किया जाए और उसके बाद में उनको बाध्य किया जाए कि उनका काम केवल बच्चों को पुस्तकें पढ़ाने और किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं हो। उनको उनके चरित्रों को भी उज्जवल बनाना है। उनके बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देनी है। जिस प्रकार एक बढ़ई जब शिक्षा देता है तो उसका काम लकड़ी को ठीक करना होता है, वह उसकी शिक्षा देता है और लुहार लोहे को ठीक करने की शिक्षा देता है व सुनार का काम सोना बनाना है उसकी शिक्षा देगा। मगर ये लोग तो चीजों को ठीक करते हैं, लेकिन शिक्षा मनुष्यों को मनुष्य बनाती है। जो मानव चोला है उसको सच्चे रूप में मानव बनाता है। इसलिये जो मानव को मानव बनाता है उसको कितना विशाल और सदाचारी होना चाहिये इसके लिये भी हमारे यहां संस्कृत में कहा गया है :

यान्यस्यनवधानि कर्माणि,
तानि सेवितव्यानि न इतराणी।

यान्यस्माकं सुरुचितानि,
तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि ॥

हमारे यहां जो पुराने आचार्य होते थे कहा करते थे कि हमारे में जो पाप कर्म हैं उनको तुम अंगीकार न करो और जो अच्छाइयें हमारे में हैं उन्हीं को अंगीकार करना है। जो बुराई हो उसको ग्रहण नहीं करना है, यही हमारी पहले की शिक्षा का उद्देश्य रहा है।

सभापति महोदय, यदि राष्ट्र को आज सच्चे माने में हमें प्राचीन गौरव पर पहुँचाना है, उसको पुराने स्थान पर पहुँचाना है तो, माननीय सभापति महोदय मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे देश का पुराना गौरव बहुत ही बढ़ा हुआ रहा है। कितने ही देश ऐसे हैं जिनका अतीत उज्वल नहीं रहा। उनका भविष्य कुछ उज्जवल हुआ है। इसके अलावा कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ प्राचीनता पाते हैं, जिस पर गौरव कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां का प्राचीन काल और अतीत गौरव पूर्ण और उज्जवल रहा है। हो सकता है कि बीच का कुछ काल अवनति का रहा हो। लेकिन भविष्य इसका उज्जवल है। लेकिन इसका दायित्व हमारी शिक्षण संस्थाओं और हमारी सरकार पर है कि हमारे यहां शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार की शिक्षा हो जो मनुष्य को ऊपर उठाने वाली हो व मानव प्रेम की प्रवृत्तियों का प्रचार करने वाली हो। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने यह संकल्प यहां प्रस्तुत किया है और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि इस संकल्प का इसी प्रकार से माननीय सदस्य भी स्वागत करेंगे और जिस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर मैंने यह प्रस्ताव किया प्रस्तुत है उससे

Page No.59

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं इसमें अपने थोड़े से संशोधन प्रस्तुत करता हूं। शब्द 'धार्मिक' के स्थान पर ('सामाजिक') शब्द और 'यथा सम्भव' के 'अविलम्ब' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे। माननीय सभापति महोदय, फिर यह संकल्प इस तरह होगा :

"सदन का मत है कि समस्त सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक तथा सामाजिक शिक्षा यथा सम्भव प्रारम्भ कर दी जाये।"

सभापति महोदय, इस प्रस्ताव के अन्दर जो मांग की गई है, जैसा कि डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने संकल्प रखा है, "यह सदन की सिफारिश है", इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन है कि "की सिफारिश" की जगह "का मत" प्रस्तावित कर दिया जाय। हाउस अपनी ओपीनियन जाहिर करता है न कि रिकमन्डेशन। यह जो भावना उनकी है उसमें भाषा के सुधार की दृष्टि से मेरा संशोधन है "का मत" कर दिया जाय। दूसरा है, "धार्मिक" की जगह "सामाजिक" और "अविलम्ब" की जगह "यथा-संभव" कर दिया जाय।

मैं धर्म और शिक्षा, इन दो विषयों पर कुछ कहना चाहूँगा। हमें यह देखना है कि जहां तक धर्म का प्रश्न है और उसकी परिभाषा है उसके बारे में हमारे आचार्यों ने काफी विवेचन किया है और आज कल जिस चीज को लेकर चलते हैं कि मेरा यह धर्म है कि मैं अपने क्षेत्र की बातें इस सदन में रखूं। मेरा यह धर्म है कि मेरे आश्रित परिवार का मैं पोषण करूं। मेरा यह धर्म है कि मैं सरकार के नियमों का पालन करूं। दूसरा मेरा धर्म यह है कि मैं बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म को मानूं। तो आज धर्म की विभिन्न परिभाषायें हो गई हैं। इसीलिए मैंने "सामाजिक" शिक्षण दिया जाय, यह रखा है। आज हमें शिक्षा के मूल सिद्धान्त पर विचार करना चाहिये। शिक्षा कैसी हो? शिक्षा माने विद्या का जो सिद्धान्त है उसकी पूर्ति हो। हमारे शास्त्रों में विद्या के बारे में जो सिद्धान्त है वह बिल्कुल स्पष्ट है। "सा विद्या या विमुक्तये"। विद्या वह है जो सही, शुद्ध रास्ते हर मानव को ले जाये, आदमी का चाल-चलन सुधारे, आदमी विश्व के बारे में जाने, आदमी दूसरों के अधिकारों के बारे में जाने। जो विद्याविहीन व्यक्ति है वह पशु के समान है। मेरा मानव के साथ क्या व्यवहार होना चाहिये, मेरा समाज, राष्ट्र और परिवार के साथ क्या व्यवहार होना चाहिये, इस प्रकार की जो शिक्षा है, विद्या है वह सामाजिक शिक्षा है, उसका रूपान्तर धार्मिक शिक्षा है। लेकिन आज-कल जिस सेन्स में धर्म को लिया जाता है उसके लिए संविधान में बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है और उस प्रकार की शिक्षा आज हम स्कूलों में नहीं दे सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें इस प्रकार से संशोधन आवश्यक है; नहीं तो वह संविधान के प्रतिकूल होगा, एक अड़चन पैदा होगी। हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। हो सकता है कि राम राज्य परिषद् शासन में बैठ जाय....

श्री तनसिंह (बाडमेर) : वह तो बैठेगी ।

डॉ० बहादुरसिंह : यह तो संभव नहीं है ।

अगर वे सोचें कि शासन में बैठा है, अल्प संख्यक लोग हैं उनके धर्म की शिक्षा देंगे । संविधान में हमारे देश के अल्पसंख्यक लोग है उनको भी अपने धर्म के बारे में गारन्टी दी हुई है । उनका इस प्रकार से मूल रूप में हनन हो जावेगा । वहां तो फिर इस प्रकार की ही शिक्षा दी जावेगी कि राजा परमेश्वर का रूप है । लेकिन आज राष्ट्र में इस प्रकार की बात नहीं है । प्रजा ही परमेश्वर के रूप में मानी जाती है । अब उसकी परिभाषा बदल गई है, वह पुरानी परिभाषा नहीं रही है । जो शासन जिस प्रकार का होता है, अगर संप्रदायवादी शासन करने लग जावेंगे तो फिर राजा ही परमेश्वर का रूप हो जावेगा । इसलिए हमें सामाजिक शिक्षा देनी है । समाज का संचालन किस प्रकार से हो, इसकी व्यवस्था यदि हम करेंगे तो जो संकल्प है वह साकार रूप में बैठ सकता है, संविधान के रूप में भी बैठ सकता है ।

शिक्षा के बारे में भी विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं । पूज्य बापू का जो शिक्षा के विषय में मत है....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय सदस्य पूज्य बापू को दो हिस्सों में न होने दीजिये । पूज्य हैं वे वहीं रहने चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं उनके विचार रख देता हूँ । मैं शिक्षा उसे कहता हूँ जिसको पाकर मनुष्य विनम्र, सेवाभावी और कार्य तत्पर बन जाये । तो बापू ने भी बताया कि शिक्षा वह मानी जावेगी जिसके अन्दर विनम्र बन जाय, दूसरों को परेशान न करे, परोपकारी बन जाय, सेवा भावी हो और अपना जो कार्य है उसमें तत्पर रहे, अपने कार्य से जी न चुराये । इस प्रकार से, मैं समझता हूँ, हमारे सारे कार्य हो सकते हैं । अगर हम धर्म की और धार्मिक शिक्षा की बात करें और सम्प्रदायवादी शासन हो तो उस वक्त मौलवी और पंडितों को नियुक्त कर दिया जाता है । एक उर्दू की कहावत है, उसको मैं सदन में रखना चाहूँगा । कहावत यह है कि:

"नीम हकीम खतरे जान ।
नीम मुल्लां खतरे ईमान ॥"

अनपढ़ आदमी हैं, जो धर्म की व्याख्या ही नहीं जानते हैं और वहां पढ़ाने के लिए पंडित को मुकर्रर कर दिया जावेगा तो धर्म खतरे में पड़ जावेगा ! इसलिए मैं समझता हूँ कि संकल्प की जो भाषा है उसके सुधार की बहुत आवश्यकता है और उसके सुधार के लिए ही मैंने यह संशोधन सामने रखा है ।

धर्म की परिभाषा के बारे में भी जो हमारे विद्वान् और आचार्य हुए हैं, उन्होंने बहुत कहा है । हालांकि यहां कोई धर्म की चर्चा नहीं है, न धर्म से ही इस शिक्षा का सम्बन्ध है, न प्रस्ताव में है । प्रस्ताव केवल शिक्षा को लक्ष्य करके रखा गया है और यदि यह होता कि धार्मिक शिक्षा शासन में लागू कर दी जावेगी तो मैं मान लेता; लेकिन कुछ विशेषण जोड़ा गया है नैतिकता का । नैतिकता का विशेषण जोड़ा गया है तो

(डॉ० बहादुरसिंह)

धार्मिकता परे हो जाती है। मेरा संशोधन है "नैतिक तथा सामाजिक"। नैतिकता क्या है? यदि मैं झूठ बोलना चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति मेरे सामने है जिसके सामने मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे झूठ को वह न समझ सके तो मैं उसको अपनी नैतिकता मान लूं और अगर पकड़ा गया तो झूठ हो गया। इस प्रकार से जो हमारी नैतिकता है, जो सत्य है और वास्तविक है, सही चीज़ है, जो हमारा कर्त्तव्य है उस पर विचार कर लेते हैं और उसका पालन कर लेते हैं तो धार्मिक भावों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा सामाजिक कर्त्तव्य सामने आ जाता है। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि "नैतिक तथा सामाजिक शिक्षा" हो; बजाय "धार्मिक शिक्षा" के आज "नैतिक और सामाजिक शिक्षा" की अत्यन्त आवश्यकता पड़ती है।

"सा विद्या या विमुक्तये"। वह विद्या जो मुक्ति की ओर न ले जाये वह विद्या नहीं, अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं होती। वेद व्यासजी ने भी सामाजिक आचरण को ही धर्म माना है। महर्षि वेद व्यासजी ने कहा है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): हिन्दू रिलीजियन की सारी बातें होने लगी हैं। इससे लोगों का मेन रिज़ोल्युशन से ध्यान हट गया है। जो रिज़ोल्युशन है उस पर बात होनी चाहिये।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आप हिन्दू धर्म से क्यों चिढ़ रहे हैं?

डॉ० बहादुरसिंह: सभापति महोदय, अब मैं नैतिकता पर आता हूँ। नैतिकता के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। नैतिकता के बारे में पूज्य बापू ने जो विचार व्यक्त किये हैं उस पर विचार कर लें तब सब स्पष्ट हो जायेगा। नैतिकता के बारे में, चरित्र निर्माण के बारे में बापू ने बताया है, "अगर हम व्यक्ति के चरित्र का विकास कर लें तो समाज अपनी परवाह स्वयं कर लेगा"। इस प्रकार के व्यक्ति के हाथ में संगठन सौंपा जा सकता है। अगर हम सामाजिक शिक्षा का समावेश इसमें कर देते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को दूसरे के अधिकारों को समझने लग जावेगा। उसी प्रकार से समाज के क्या कर्त्तव्य हैं; उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो सकती। अगर समाजीकरण देश का हो सके, क्योंकि चरित्र के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि जिस देश के लोगों का चरित्र जितना ऊपर उठा हुआ होता है उतना ही उस राष्ट्र का मूल्यांकन किया जाता है। अगर हमारा चरित्र गिरा हुआ है तो यह मानी हुई बात है कि राष्ट्र का चरित्र ऊंचा नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रस्ताव के लाने के बाद सदन में प्रतीत हो रहा है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली जो चल रही है उस शिक्षा के अन्दर किसी भी प्रकार की न तो नैतिकता है और न समाजीकरण ही; गोया हम केवल अक्षर ज्ञान ही दे रहे हैं। मैं इसको मानता नहीं हूँ। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा, अगर हम नैतिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा का भी सम्बन्ध कर देते हैं तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरा हो सकता है। आज हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, अनुशासनहीनता की बातें करते हैं। हमें देखना यह है कि क्या यह जो भ्रष्टाचार देश में है वह क्या हमारी शिक्षा की कमियों

(डॉ० बहादुरसिंह)

के कारण है ? मैं इस चीज को मानने के लिये तैयार नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसके भी कुछ कारण हैं। यह क्यों बढ़ता है ? भ्रष्टाचार के बढ़ने का कारण स्पष्ट है। आज-कल के रहन-सहन का ढंग, आजकल की आवश्यकतायें इस कदर बराबर बढ़ती जा रही हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास सुन्दर मकान है, बैठने के लिये कार है; पहिनने के लिये सुन्दर कपड़े मिलते हैं और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास रहने को मकान नहीं, न पहिनने को कपड़ा तो वह निश्चित तौर पर, अगर, उसे मौका मिलेगा तो वह चोरी करके और भी किसी प्रकार से अपने स्टेंडर्ड को ऊंचा करने की कोशिश करेगा....

श्री मदनसिंह : यह समाज को कौन सिखा रहा है कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आप सिखा रहे हैं।

(१.४०. म.प.)

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में, चरित्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि हम खादी का प्रयोग करते हैं वह प्रयोग इसलिये था कि इससे रहन-सहन का ढंग साधारण तौर पर आना चाहिये। चरित्र निर्माण के बारे में जहां तक भ्रष्टाचार में कमी करने का सवाल है उसमें हमारे रहन-सहन का ढंग खास पार्ट अदा करता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कभी खादी घर गये हैं ? वहां देखा है खादी के फैशन को ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं निवेदन कर रहा था चरित्र निर्माण के बारे में। हमें अपने आप इस ओर ध्यान देना पड़ेगा ! इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसका सामाजिक असर क्या होता है ?

अनुशासनहीनता की बात भी कही गई। मैं समझता हूँ, एन० सी० सी० और ए० सी० सी० जो हमने चालू की हैं वह व्यक्ति में अनुशासन की ओर ले जाने के लिये एक कदम है। व्यक्ति में अनुशासन तभी आ सकता है जब कि वह एक आवाज के अन्दर इस प्रकार का काम करने लगे। वहां आवाज परेड की होती है। उसमें विद्यार्थियों में अनुशासन बढ़ता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे छात्रों में अनुशासन में वृद्धि हुई है। मौजूदा छात्रों के अन्दर हम देखते हैं इस प्रकार के कार्यों से अनुशासन में वृद्धि हुई है। इसलिये मेरा इसमें सिम्पल सा संशोधन है। वह इस प्रकार का है कि नैतिक और सामाजिक शिक्षण दिया जाय। धार्मिक शिक्षा को अगर हम इसमें रखते हैं तो हमें एक प्रकार का खतरा है। इससे कई लोग साम्प्रदायिकता उभाड़ सकते हैं। धर्म के नाम पर जो खून खराबी हमने होती देखी है उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिये मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे प्रस्तावक महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ राजस्थान में आज दिन एक ऐसा सूर्य उगा है कि यहां धर्म की शिक्षा असेम्बली में हो रही है; जिसके

(श्री मदनसिंह)

लिये मैं समझता हूँ रामराज्य परिषद्, जनसंघ आदि जितनी भी संस्थायें हैं सब इस बात को सराहेंगे। जिस दिन को हम उडीक रहे थे वह दिन आज आया। आज हमारे सत्तारूढ़ दल का भारतवर्ष में क्यों पतन हो रहा है ? उसके लिये मुझे बड़ी खुशी है कि डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव पर जिस प्रकार का उनका भाषण हुआ उसमें सारा विवरण दे दिया गया है। उसके लिये मुझे खुशी है। जैसे लंका के अन्दर बहुत पुराने समय में भगवान राम द्वारा विभीषण को ज्ञान हुआ था उसी प्रकार का ज्ञान आज माननीय सदस्य को हुआ है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आज के राम आप ही हैं।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, राम और विभीषण बनने की हिम्मत तो कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ रावण भी होना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : राम की सूरत हम देख रहे हैं।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, यह निश्चित बात है कि शिक्षा के जरिये हम मनुष्यों में सदाचार, विचार और आचरण की शिक्षा देते हैं। यदि शिक्षा में इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है तो वह सही रूप में शिक्षा होती है। इसलिये मैं तो यह समझता हूं, महात्मा गांधी ने जिनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं मैं भी इस बात को मानता हूं कि आजादी की लड़ाई उन्होंने किस बेसिस पर लड़ी ? वे हमेशा कहते थे कि मुझे न तो अंग्रेजों से नफरत है, न मुसलमानों से और न किसी भी धर्म के व्यक्ति से; मुझे नफरत है तो केवल उनके कानून का जो तरीका है, उनका जो आचार है, विचार है वह हमारे भारतीय विचारों के अनुकूल नहीं। इसलिये मैं यहां भारतीय राज्य चाहता हूं। भारतीय राज्य कैसे हो सकता है ? जब भारत में जितनी भी शिक्षण संस्थायें हैं उनमें आश्रम का प्रचार हो। अब प्रश्न आता है कि धर्म क्या है ? माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत साफ है। उसमें यह नहीं कि हिन्दू धर्म की शिक्षा दी जाय या किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा दी जाय और न किसी धर्म ग्रन्थ की शिक्षा देने से ही इसका सम्बन्ध है। जहां तक धर्म ग्रन्थों का सवाल है चाहे वह हिन्दुओं की गीता हो, मुसलमानों की कुरान हो, ईसाइयों की बाइबल हो, सबका सम्बन्ध ईश्वर से है। ईश्वर का हमारे शरीर से, आत्मा से क्या सम्बन्ध है ? शिक्षा का ईश्वर के साथ क्या सम्बन्ध रहता है ? इसका ज्ञान होना आवश्यक है और इसी शिक्षा को मैं मानता हूं धार्मिक ज्ञान है। आज जो शिक्षा मिल रही है वह इस प्रकार की शिक्षा नहीं, कानूनी शिक्षा है, जिस पर आज सारे देश का ढांचा निर्भर है। देश का नैतिक पतन क्यों हो रहा है ? वह इसलिये कि कानून को ही लेकर देश आगे बढ़ रहा है, धार्मिकता को लेकर नहीं बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी स्कूलें हैं वहां धार्मिक चर्चा नहीं होती है और जहां धर्म की चर्चा नहीं होती वहां ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता और जहां ईश्वरी ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती वहां

(श्री मदनसिंह)

धार्मिक शिक्षा हो नहीं सकती। आज मनुष्य केवल कानून को लेकर चल रहा है। जहां हमारा देश इस प्रकार की कानूनी शिक्षा की ओर आगे बढ़ेगा तो देश का नित्य प्रति पतन होगा। इसका कारण हमें मोटे रूप में अदालतों में देखने को मिलता है। एक तरफ एक वकील खड़ा हो जाता है दूसरी तरफ दूसरा। एक तो न्याय की पक्ष की तरफ होता है दूसरा अन्याय के तरफ, लेकिन हम देखते हैं न्याय की अपेक्षा अन्याय का पक्ष ज्यादा जीतता दिखाई देता है। मैं समझता हूं इस प्रकार के लाखों केसेज़ हमें हिन्दुस्तान की अदालतों में देखने को मिलेंगे जहां नित्य प्रति पांच रुपये का गवाह खड़ा करना पड़ता है, पांच आदमी ऐसे तैयार करने पड़ते हैं। जिसने अन्याय किया या न्याय किया सभी को तैयार करने पड़ते हैं। गांवों में जब से न्यायलय हो जावेंगे तो वहां भी नित्य प्रति लोगों की यही तैयारी होगी। चाहे कुछ भी हो जिसके पांच गवाह ठीक होंगे वह न्यायी होगा, धर्मी होगा ईश्वर और धर्म की अदालतों में सौगन्ध ले लेते हैं और यह नहीं सोचते कि असत्य और सत्य क्या है। इसलिये शिक्षा में धर्म का प्रवेश होना चाहिये कि वे समझ सकें कि सत्य क्या वस्तु है। सत्य से जीवन स्तर कितना ऊंचा उठता है, इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक, सभापति महोदय, मैं समझता हूं आप भारतवर्ष में अनेकों योजनाएं बना लें, किसी प्रकार की कही जाने वाली अच्छी से अच्छी और ऊंची से ऊंची शिक्षा आप दे लें, पर अगर इसमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा, असत्य सत्य का भेद नहीं समझ सकेंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में भारतवासी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, न प्रगति ही कर सकते हैं।

एक वह युग था जब नैतिक और धार्मिक संस्कारों और शिक्षा के कारण बिना लिखा पढ़ी के भी लाखों—करोड़ों का लेन—देन करते थे। जिसको देना होता था बगैर किसी लिखा पढ़ी के समय पर देते थे और लेते थे। आज बी. ए., एम. ए. की ट्रेनिंग दी जाती है, वकालत की शिक्षा दी जाती है। उसमें वही सबसे अधिक निपुण और योग्य समझा जावेगा जो जितना बड़ा झूठ बोल सके। लाखों—करोड़ों का व्यापार करके, लिखापढ़ी, रजिस्ट्री और टिकट आदि लगाने और दस्तखत करने के बाद भी, कोर्ट में भगवान् की सौगन्ध खाने के बाद भी इन्कार हो जाय कि मैंने यह लिखा—पढ़ी नहीं की, मेरे ये दस्तखत नहीं हैं, मैंने रुपया नहीं लिया, मुझे कुछ नहीं देना। आज नित्य प्रति अदालतों में यह देखते हैं। यह है आज की शिक्षा। आज नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा नहीं होने से उनको यह ज्ञान नहीं कि सत्य—असत्य से क्या फल मिलता है। तो जब तक देश में धर्म की शिक्षा नहीं होगी, जब तक ऐसे ही कानून और नियम बनेंगे तब तक तरक्की देश की नहीं हो सकेगी। देश रसातल को ओर ही जाता रहेगा। आज इसी नैतिक और धार्मिक शिक्षा के अभाव में लाखों, करोड़ों गायों का बध होता है। कारण, आज शिक्षा में उनको बताया जाता है कि गाय और भैंस में, घोड़ा और भैंस में क्या अन्तर है। आज इस तरह की शिक्षा हो रही है। इसी तरह आज मुसलमानों के लिये ऐसे ऐसे नियम बन रहे हैं जो उनके धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। सेकुलेरिज्म का यह नारा देश में लगा तब

(श्री मदनसिंह)

से देश का इतना पतन हुआ है कि जिसकी हद नहीं। धर्म और सत्य को लोग बिल्कुल भुला चुके हैं। दुनिया में केवल एक भूठ और कानून का आधार लेकर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह सेक्यूलर स्टेट है और उसके बारे में व्याख्या तो प्रस्तावक भी मान कर चले हैं। ये कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इनको रोकना चाहिये।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : Is that a point of order, Sir ?

श्री सभापति : नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गौमाता को याद करते है।

श्री अनूपसिंह : आप पिता, राष्ट्रपिता की आड़ ले रहे हैं। बात एक ही है।

श्री मदनसिंह : मैं यह बात कहने से माननीय सदस्य के रोके तो क्या, कॉन्स्टीट्यूशन के निर्माताओं के रोके भी नहीं रुकूंगा। कहते हैं धर्म की संस्थाओं को खत्म कर देना चाहिये। धर्म में वह हिम्मत है कि अनेकों....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी मार्फत कहलाना चाहता हूं, आप कह दीजिये कि मैं उनकी सफाई दे रहा हूं। आप जो हैं फिक्र मत करिये। आपको निपटने से कोई नहीं रोकेगा।

श्री मदनसिंह : प्रश्न यह चल रहा है, जब तक भारतवर्ष में धर्म की शिक्षा नहीं होगी तब तक माननीय सदस्य और मेरे जैसे गाय माता के नाम पर भी उनको बहुत बुरा लग रहा है और मेरा जैसा कहने से नहीं चुक रहा है। बुरा लगने का कारण यह है कि अंग्रेजों के समय में भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा की कमी थी और आज तो उससे भी अधिक कमी है। ज्यादातर ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि धर्म और संस्कृति की भी शिक्षा उनको नहीं मिल रही है। इसलिये मैं समझता हूँ कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य जो पूर्व संस्कारों से राक्षस है या पुराने संस्कारों से राक्षस वृत्ति में हैं वे ही ऐसी चीजों का विरोध कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे ऐसे प्रस्तावों का स्वागत करेंगे। सभापति महोदय, आज भी इस देश में धर्म और संस्कृति के पोषक कितने कितने महान् नेता हो गये हैं जिन्होंने विदेशों में भी इसकी महानता को स्थापित किया है। महात्मा विवेकानन्द को अगर धार्मिक शिक्षा नहीं होती, उस समय स्कूलों में धर्म का और नैतिकता का प्रसार नहीं होता तो आज भारतवर्ष का धर्म और संस्कृति के नाम पर अमेरिका में ऊंचा नाम नहीं हो पाता। आज माननीय सदस्यों को धर्म का नाम नहीं सुहाता है।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तभी अमेरिका के सर्टिफिकेट की जरूरत है।

श्री मदनसिंह : गांव गांव में आज भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार व्याप्त हो गया है। लोग अपने कर्त्तव्यों को नहीं समझते। यहां कई बार पुलिस के सम्बन्ध में चीजें आई कि आज पुलिस में कितनी गिरावट है, सब

(श्री मदनसिंह)

तो नहीं अधिकांश ऐसे हैं। जिनको अच्छी शिक्षा मिली है, धार्मिक संस्कार पाये हैं वे एकान्त में भी आज भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, पर जहां ऐसा नहीं है केवल अर्थ व्यवस्था और कानून की व्यवस्था को लेकर अपनी ड्यूटी का पालन करते हैं उनको कोई चैक करने वाला नहीं है। पैसे और सिफारिश के बल पर वे कितनी भी सत्य बात के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। सभापति महोदय, कई बार गांवों में ऐसे प्रश्न आये हैं कि इस अनैतिकता, भ्रष्टाचार और असत्य के बहाव को कैसे रोका जाय ? आज अगर धर्म और संस्कृति की शिक्षा होती तो इसमें स्वयं में इतनी चैकिंग की ताकत है कि कोई भी इन्सान या बड़े से बड़ा पुलिस का व अन्य अधिकारी अपने कर्त्तव्य को और सत्य को निभावेगा और लाखों रुपयों का माल भी किसी का पड़ा होगा तो उसको छूएगा नहीं, वह उसे भी ठोकर मार कर निकल जावेगा। इसका कारण क्या होगा !

(१.५७. म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

उसकी धार्मिक शिक्षा के संस्कार होने के कारण वह यह सोचेगा कि यह चीज मेरी नहीं है, जिसकी है उसको मिलनी चाहिये। पर आज की शिक्षा में पले बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी और सेकुलेरिज्म का नारा बुलन्द करने वाले महाशय और धर्म का विरोध करने वाले जिधर से भी पैसा मिल गया लेने में नहीं सकुचाते, जिस किसी भी तरह पैसा बटोरने में ही अपना कर्त्तव्य मान बैठे हैं। इसका परिणाम आज यह सामने आ रहा है कि किसी गांव में कुछ हो रहा है, किसी की सम्पत्ति लूटी जा रही है, किसी की बहिन-बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं कुछ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, आज के पन्द्रह वर्ष पहले ऐसी चीज थी कि किसी गांव या शहर की बहू-बेटी आजादी से गली—बाजार में घूम फिर सकती थी। लोग उसे अपनी ही बहिन बेटी के समान समझते थे। पर आज मोटर गाड़ियों में घूमने वाले लोगों में यह बात नहीं रह गई। इस ढंग का व्यभिचार उनमें है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि केवल नैतिक और धार्मिक शिक्षा का उनमें अभाव है। आज ऐसे ही लोग आकर कानून बना रहे हैं जिनको धर्म का, सत्य का और अहिंसा का ज्ञान नहीं। केवल प्रचार मात्र के आधार पर धन और कानून को लेकर सेकुलर वाद को आगे लेकर भारतवर्ष का सर्वनाश कर दिया है। इसको रोकने के लिये डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है यह सबसे उत्तम चीज होगी।

प्रश्न आ सकता है कि हमारे पास धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने योग्य मास्टर नहीं। तो जैसे एन. सी. सी. के लिये अलग ग्रान्ट हो सकती है तो इसी तरह पंडितों के लिये भी अलग व्यवस्था की जा सकती है। फिर वैसे भी ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो धार्मिक शिक्षण सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क भी देने के लिये सहर्ष तैयार हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी इसके लिये प्राइवेटली संपोर्ट कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा से नैतिक पतन दूर

(श्री मदनसिंह)

होगा, भ्रष्टाचार के अन्दर भी कमी आवेगी, करोड़ों की सम्पत्ति पड़ी हो उसे हाथ नहीं लगावेगा। निश्चित रूप से इससे चोरी कम होगी, अत्याचार और झूठ बोलना कम होगा।

सभापति महोदय, जब सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में होते हैं तो बड़ी बड़ी धर्म की बातों की दुहाई देते हैं, नैतिकता की दुहाई देते हैं, सच्चाई की दुहाई देते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम वहां जावेंगे तो आपके लिये यों करेंगे त्यों करेंगे और जब असेम्बली में आकर जो काम करते हैं और उसका जो रूप मैं देखता हूँ तो उससे कह सकता हूँ कि हमने अपने गांव वालों को दिये विश्वास भुला दिये हैं। उनके विश्वास और सत्य विचार की बातों को छोड़ कर आज कानूनी चक्कर में फंस कर, पार्टीबाजी के चक्कर में फंस कर न्याय का अन्याय भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है ?

आज वह शिक्षा नहीं है, आज वे संस्कार हमारे नहीं हैं कि जो कुछ हम जुबान हिला दें उस पर दृढ़ रह सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े देवता जिन्होंने मनुष्यों की रचना के लिए बड़े बड़े शास्त्र निकाले, सभापति महोदय, यह शास्त्र उनके नहीं हैं, जो लॉबी में बैठ गये और सिगरेट पी पीकर सोचने लगे कि इस कानून को ऐसा टर्न दे दो और वह दे दिया, इस कानून में यह कर दो और वह कर दिया। ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने लाखों वर्ष तपस्या करके, बैठ कर, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होना चाहिए, समाज का कल्याण कैसे होना चाहिए, संस्कृति कैसे बढ़ सकती है, राष्ट्र का कैसे उत्थान हो सकता है, ऐसे लोगों ने विचार करके उन शास्त्रों की रचना की है। हमारे यहां महर्षि हो गए हैं जिन्होंने दूसरों की भलाई में ही सारा जीवन बिता दिया। ऐसा नहीं था कि एक सिगरेट पी उसमें पहला कानून, दूसरी पी उसमें दूसरा कानून और तीसरी पी तीसरा कानून बना दिया। ऐसी चीजें क्यों आई ? उसका कारण यही है कि हमारे यहां पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। अभी अभी डॉ० बहादुरसिंहजी ने कहा कि हमारी धर्म की व्याख्या ही गलत हो जायेगी, अगर शिक्षण संस्थाओं में धर्म की चीज रख दी।

तो मैं, सभापति महोदय, आप से कहूँ कि वही तो सच्चे धर्म की शिक्षा हो सकती है। आज हमारे अन्दर धर्म की कमी है। उसका कारण यह है कि धर्म को हमने अपने घर में ही समझ लिया। कभी गांव में किसी पंडित से समझ लिया, कभी किसी से समझ लिया। आपकी शिक्षा के जो केन्द्र होते थे वहां धर्म और संस्कृति का प्रचार नहीं होता था। इसलिए हम कहते हैं कि कोई धर्म चाहे कुछ भी कहता हो, धर्म चाहे हिन्दू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो वह सब समझते हैं कि एक ईश्वरीय शक्ति है। अगर उस शक्ति का सहारा लेते हैं तो मानव का कर्त्तव्य सिद्ध होता है। जो व्यक्ति ईश्वर और सत्य में विश्वास करने वाला है उस आदमी के हर एक कार्य सच्चे होंगे। सभापति महोदय, आज शिक्षा की कमी है कि जिसके कारण हमारे ऊपर आज बाहर के हमले होते हैं। आज हमारी रगों में वही खून होता और वही धार्मिक भावना होती तो आज चाइना का

(श्री मदनसिंह)

हमला हो सकता था ? एक माननीय सदस्य सीता का उदाहरण दे रहे थे और हिन्दू कोड बना, उस पर भी उन्होंने हाथ उठा दिया। इसलिए उधर के लोग कुछ रुक कर बोलते हैं। संकल्प इस समय लाये हैं और इलेक्शन का टाइम भी आ गया है; ताकि उस समय वे लोगों को कह सकें कि क्या करें प्रस्ताव तो कांग्रेस की तरफ से आया था लेकिन पास नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन स्टन्ट के लिए यह प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव का क्या रूप बनेगा, वह तो गवर्नमेंट का दिलाई होगा उस समय देख लिया जायेगा। हमें देखना है कि जो प्रस्तावक महोदय हैं उनमें धर्म के नाम पर कितनी दृढ़ता है। देखते हैं उनका यह प्रस्ताव मन्जूर नहीं हुआ तो वे कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। पर इतनी मोरेलिटी नहीं है कि यदि उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वे उधर से इधर आ जायेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : धर्म की साक्षात् मूर्ति आप ही मालूम होते हैं ?

श्री मदनसिंह : जो धारण करते हैं वही मूर्ति होते हैं। यह मूर्ति का ज्ञान तो अभी आधा घन्टे में हो जाता है कि कौन है, कौन नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, जिन संस्थाओं ने अपने प्राण दे रखे हैं मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव के लिए अगर माननीय सदस्य यह भी चाहें कि हमारे खून की भी जरूरत पड़े तो भी इस प्रस्ताव के पास करने के लिए खून भी दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रस्तावक महोदय में इतनी हिम्मत कहां है। वह जमाना आयेगा और वह जमाना बहुत नज़दीक है कि जिस समय पता होगा कि किनमें धर्म की शक्ति है। उस समय देखा जायेगा कि धर्म की मूर्ति कौन है ? आज तो मामूली सी हाथ उठाने की बात है, केवल अपने विचार रखने को बात है। सीधा-सादा एक प्रस्ताव है जिसके अन्दर यह लिखा है कि जितनी भी सरकारी संस्थायें हैं उनके अन्दर धर्म की शिक्षा होनी चाहिए, धर्म का बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। आज बच्चों में अनुशासनहीनता है। आज मास्टरों की तरह बच्चे होते हैं। मास्टरों के साथ सिगरेट पीते हैं, मास्टरों से जो लड़के और लड़कियां शिक्षा लेते हैं वे रात में जाकर कैमरा में डान्स करते हैं। क्या यह बापू कहते थे ? क्या यही शिक्षा है ? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बेचारे बापू को हर कहीं घुसेड़ देते हैं। लोग विलायत जाते हैं और शराब पी पी कर उल्टे होते रहते हैं, ऐसी सूचना मुझे मिल है। चोरी करें तो बापू, नाच करें तो बापू और कुछ भी करें तो बापू को बीच में ले आते हैं। वाकई में बापू एक बापू था और आज आपकी जीभ पर आने से वह बापू बापू नहीं रहा; क्योंकि आप हरज गह बापू को ले आते हैं। इस बापू की आड़ आपने भी ले ली और मेरे माननीय सदस्य बहादुरसिंहजी ने भी ले ली। तो आप ही बतायें कि बापू किसका है ? आज तमाम भारतवर्ष में न तो शिक्षा के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था है जिससे कोई नागरिक कह सके कि अमुक तरह की शिक्षा हमें मिलेगी। आज गांव में कोई स्कूल खुलता है तो वहां के बच्चों से पूछा जायेगा, किस बात को शिक्षा दी जायेगी तो वे कहते हैं कि पता नहीं। आखिर बापू के राज्य का क्या लक्ष्य था ? जो मिनिस्टर बन गया उसी ने बस बापू की चीज

Page No.69

(श्री मदनसिंह)

ले ली और खड़ा हो गया फिर बाकी के कुछ भी रोते रहो बापू का कुछ भी नहीं। आज अमेरिका की मिशनरी चल रही है, आज लोग अमारेकी स्कूलों में क्यों जाते हैं इसलिए कि वहां धर्म की शिक्षा होती है। वहां के मास्टरों का यह आचार विचार होता है कि गरीबों को पढ़ाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आज बर्मा के जंगलों के अन्दर जा जा कर जो अमेरिका की मिशनरी काम करती है, हम उसका विरोध करते हैं। अब वे वहां क्या करते हैं ? धर्म की शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा का वहां के लोगों पर असर होता है। उनको यह मालूम होता है कि वाकई में ये लोग देवता हैं और हमारे लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल भाषण देते हैं बापू के नाम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर वोट मांगते हैं। स्कूलें खुलती हैं, वहां क्या होगा ? उनके अन्दर शिक्षा दी जायेगी। आज डॉ० बहादुरसिंहजी को बड़ा दुख हुआ कि कोई पण्डित स्कूलों में पढ़ाने के लिए आयेगा तो वहां पण्डित हो तो आयेगा, मूर्ख तो नहीं आयेगा। आज ऐसे ऐसे मास्टर हैं कि जो आंखों से गीड़ नहीं निकालते, अच्छी तरह गरारे का नाड़ा नहीं बांध सकते। जहां एक मामूली सा प्रस्ताव है और उसका रूप यह है कि धार्मिक शिक्षा दी जाये, जब कि उसके अन्दर यह नहीं लिखा कि किस धर्म की, मुसलमानों की, ईसाइयों की या किस धर्म की शिक्षा दी जाये। मैं समझता हूँ, सभापति महोदय, अंग्रेज लोग इतना धर्म के नाम से नहीं चिड़ते थे जितना कि हमारे कांग्रेसी नेता धर्म के नाम पर चिल्लाते हैं कि यह कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है, यहां असेम्बली में विचार नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कि अगर विचार नहीं हो सकता तो उठ कर चले जाओ। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक धर्म की शिक्षा नहीं होगी तब तक आज जो भारतवर्ष गिरा है वह इतना गिरा है कि कोई भी देश का नागरिक दूसरे देश में नहीं कह सकता कि अंग्रेजों के जाने के बाद आपकी धार्मिक शिक्षा क्या है ? वही असेम्बली आज है, आज पार्लियामेंट क्या है वही की वही चीज है। आपकी शिक्षा के अन्दर कोई धर्म का चिन्ह नहीं दीखता। इसलिए वे अंग्रेज लोग सोचते हैं कि बिल्कुल हमारी नकल कर रहे हैं। इसलिए वह राज्य छोड़ कर गये हैं। इसलिए नहीं छोड़ कर गये कि भारतीय संस्कृति के आधार पर जो शिक्षा-दीक्षा होती थी उसके आधार पर राज्य चलेगा। कहते हैं कि आज फलां फलां शिक्षा मण्डल खुला है जिसमें मोरेल प्रीच होगा। सभापति महोदय, कभी भी मोरेल प्रीच चरखे के तारों में नहीं है। वह तो प्रीच तभी होगा जब कि कुरान, बाइबल और रामायण के उदाहरण दिये जायेंगे; जोविद्या थीं हैं उनको बतलाया जायेगा कि हमारे महापुरुष ऐसे थे। माननीय सदस्य ने महाराणा प्रताप और शिवाजी के लिए कहा। अगर आप उनका एक्शन देख लें तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमारी धार्मिक शिक्षा में वही चीज है कि धर्म के खिलाफ कोई चीज हो तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को उन्होंने जिस प्रेम से रखा है और जिस सचाई से रखा है उसी के साथ, उसी दृढ़ता के साथ बढ़ते रहें। अगर इस प्रचार के साथ रहे तो आप अच्छे बच्चे निकाल सकते हो और हमारे भी गुरु हो

(श्री मदनसिंह)

सकते हो........

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हो सकते हैं नहीं, हैं।

श्री मदनसिंह : अच्छे बच्चे निकाल सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ऐसे निकले हैं और निकल रहे हैं।

श्री मदनसिंह : इसलिए, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि प्राचीन धर्म का जो कुछ नक्शा है वह उसी रूप में लाते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि जब तक धार्मिक शिक्षा नहीं होगी मास्टरों को, यह ट्रेनिंग नहीं दी जायेगी, मास्टरों का सदाचार ठीक नहीं होगा, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। मैं कहूंगा कि बापू के नाम से धर्म निकलेगा या नेहरू के नाम पर धर्म निकलेगा तो वह नहीं होगा। नेहरूजी तो जानते ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म का ज्ञान ही उनको नहीं है। मैं समझता हूं कि यह तो राजस्थान का अहोभाग्य है कि जहां गोहत्या के लिए कानून राजस्थान में है। मैं समझ सकता हूं कि जहां जहां हमारे स्कूल हैं वहां धर्म की व्यवस्था कर दें तो राजस्थान में शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे पैदा हो सकते हैं। आज हमारे यहां धार्मिक शिक्षा का ही अभाव था कि जिसके कारण चाइना और पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं। अगर हमारे यहां धार्मिक शिक्षा होती तो एक एक आदमी टकरा सकता था। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इसके लिए हमारा मत क्या है? हमारा जो जीवन है। हमारी जो संस्थायें काम कर रही हैं, जो शिक्षा फैली हुई है आपने एन० सी० सी० की मिसाल दी वहां चरित्र निर्माण होता है? आपको मालूम नहीं है कि एन० सी०-सी० के ऑफिसर्स रात को क्या करते हैं? आप इधर तो चरित्र निर्माण की बातें करते हैं और उधर रात में जाकर देखिये क्लब में क्या करते हैं? सभापति महोदय, राष्ट्रीय सेवा संघ जैसी संस्थायें हैं जो महाराणा प्रताप की सुबह–शाम प्रार्थना करते हैं उनका नाम लिया जाता है। वहां पूरी ढंग से व्यवस्था होती है। नाम लिया जाता है एन० सी० सी० का जिसमें खुराफातें होती हैं। अगर धर्म और संस्कृति की शिक्षा होती हमारे राजस्थान में तो मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे मास्टर और विद्वान् बैठे हुए हैं जो कि आप से पैसे नहीं लेंगे। आपको शिक्षा देंगे अच्छी तरह और उसकी व्यवस्था चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा: और यह कांग्रेस नाम की जो संस्था कलंकित हो रही है उसका वह कलंक मिट जायेगा, कम से कम राजस्थान से तो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि धर्म और संस्कृति की शिक्षा हो जाय, सभापति महोदय, तो मैं खुद कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में धर्म की शिक्षा हो जाय तो कांग्रेस का विरोध हो ही नहीं सकता है। कोई करेगा ही नहीं। इसलिए यह परीक्षा हो जाय कि ये संस्थाएं विरोध ही करती हैं या वाकई में इनमें सच्चाई भी है, या लगन भी है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि सही मायने में धर्म और संस्कृति की शिक्षा भारतवर्ष में कानूनन हो जाय कि जितने भी स्कूल हैं उनमें

(श्री मदनसिंह)

धर्म और संस्कृति की शिक्षा होगी, तो मैं समझता हूं कि आधा काम भारतवर्ष का कम हो जाये, भ्रष्टाचार मिट जायेगा; चोर बाजारी मिट जायेगी। भारतवर्ष में वह एक दिन था कि चोरी करके चोर वहां पर खड़ा होता था और कहता था कि मुझे दण्ड दो, मैंने चोरी की है। आज अगर कोई चोरी कर लेता है तो ६ गवाह लेकर अदालत में जाता है, और अदालतों के अन्दर कितना भ्रष्टाचार चलता है? कानून को मर्जी आये जैसे तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। एक समय था जिस वक्त कि महात्मा चाणक्य के टाइम में भारतवर्ष की छाप लगती थी। उस महात्मा की छोटी सी कुटिया में वह शिक्षा होती थी। ताले और कूंची शब्द हमारे शब्दकोष में नहीं थे। उसका कारण क्या था? लोग समझते थे कि ईमानदारी क्या है, सच्चाई क्या है और उस पर ही आज यह चीज़ चल रही है।

जहां पूरे राज्य का ढांचा, जहां शिक्षा का ढांचा अर्थ को लेकर हो, कानून को लेकर हो, अर्थ व्यवस्था के नाम पर लूट-खसोट होती है, छोटे बच्चों की हत्याएं हो जाती हैं, डाके चोरियां होती हैं इन सब का कारण क्या है? "धर्म कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, गुरू-वुरू कुछ नहीं।" इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरुओं के घरों के अन्दर ऐसी ऐसी चीजें लड़कों ने की हैं कि जिसका उदाहरण देते हुए में शर्माता हूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण धर्म की शिक्षा की कमी। मैं समझता हूं कि अपने शास्त्र का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे जैनी हो, उनको होना चाहिए; और भारतवर्ष में हम जिसको धर्म कहते हैं वह इतना विशाल धर्म है कि उसके अन्दर सब समा जायं; जिसको ड्यूटी कहते हैं वह तभी हो सकती है जब कि धर्म और संस्कृति की शिक्षा हो। अपनी संस्कृति इतनी विशाल है, जैन धर्म क्या, आर्य समाज क्या, सिख धर्म क्या, सब आ जाते हैं। उसकी आज शिक्षा नहीं होने के कारण ही तो पंजाबी सूबे की आवाज आ रही है। ये अपने धर्म और संस्कृति को भूल गये कि जिन सिखों ने हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा की....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, यह तो उन्हीं बातों का पिष्टपेषण हो रहा है। उसका बारबार उल्लेख करके क्यों हमारे कानों को टैक्स कर रहे हैं?

श्री मदनसिंह : तो, सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज प्रोवीन्शियलिज्म की आवाज उठती है। आज सिख एक नया नारा लगा कर पंजाबी सूबा बना रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनको शिक्षा जो दी गई है वह ऐसी थी कि सिख अलग अलग हैं। अजीब अजीब ढंग की आवाजें हैं कि महाराष्ट्र अलग होना चाहिए, बंगाल अलग होना चाहिए। हमारी शिक्षा में धर्म और संस्कृति का प्रचार नहीं रहा। पहले के युग के अन्दर धर्म और संस्कृति का प्रचार मंदिरों और मठों के ज़रिये होता था। हमारे यहां ४-५ मठ ऐसे होते थे कि जिनमें दक्षिण में भी वही शिक्षा, उत्तर में भी वही शिक्षा होती थी। ऐसा शिक्षा का जाल बिछा हुआ था कि किसी के

(श्री मदनसिंह)

खिलाफ जाने का प्रश्न नहीं आता था। जिन सिखों ने हिन्दू धर्म की रक्षा की वही हिन्दुओं के खिलाफ हैं। कारण क्या है इसका ? कारण यही है कि उनको ज्ञान नहीं है। केवल राजनैतिक लोगों के जरिये उनको पढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ कि उनको अच्छी तरह से धर्म-ज्ञान होता, अच्छी धर्म की शिक्षा होती तो हिन्दू—मुस्लिम रॉयट्स नहीं होते, न पाकिस्तान होता। उस शिक्षा के कारण आज मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि पंडितजी का राज्य एक अजब तौर का राज्य होगा, जहां कि मुस्लिम धर्म को खतरा होगा। यही कारण था कि पाकिस्तान की व्यवस्था हुई। राजा—महाराजाओं के राज्य में मुसलमानों को बहुत आराम था। उनको मालूम था कि उनके स्कूलों के अन्दर कुरान धर्म की शिक्षा होती थी। राजाओं को छोड़ अंग्रेजों के जो क्रिश्चियन स्कूल्स में लोग पढ़ते थे, आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, कि क्रिश्चियन कालेज के अन्दर मन्दिर में जाना कम्पलसरी था। मैं डेढ़, दो साल ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जो कि बिल्कुल क्रिश्चियन था। वहां जो हिन्दू लड़के मन्दिरों में नहीं जाते थे उनको दो, ढाई एक्स्ट्रा ड्रिल मिलती थी। उस युग की शिक्षा ने अच्छे लोग पैदा किये हैं। आज गांधीजी के लिए आप कहते हैं कि गांधीजी महान् हुए तो गांधीजी आपकी पंचायतों की स्कूल से महान नहीं हुए। वह वे स्कूल थे जिनके अन्दर धर्म का ज्ञान होता था। वे धर्म के ज्ञान को लेकर आगे बढ़े हैं; सत्य और अहिंसा को लेकर आगे बढ़ने की चेष्टा की थी, जिसका कि आज अभाव है। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने बोलने के निस्बत या सरकार को खुश करने के निस्बत या पंडितजी के पास यह शब्द चले जायं कि अमुक अमुक नेता ने खूब विरोध किया है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि यह बहुत अच्छा मौका है। अगर यह मौका खो गये तो आगे जो डिफिकल्टीज़, जो जो दिक्कतें आयेंगी वे तो आपको सब पोलिटिकली भी आने वाली हैं। मैं तो कम से कम स्वागत करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जैसे मेरे विचार थे वैसे ही माननीय सदस्य निकले। मैं जानता हूँ कि उनके सारे के सारे भाषण जब जब होते हैं तब धर्म को लेकर होते हैं और इस प्रस्ताव ने यह साबित कर दिया है। मैं समझता हूँ, सदन के बाहर भी इस चीज का प्रचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) सभापति महोदय, आज जो प्रस्ताव डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है सदन के सामने उसमें शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं के अन्दर धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय, ऐसा संकल्प किया है। इस सिलसिले में एक चीज सदन में जो चल रही है धर्म की व्याख्या और उसके बाद जो अतीत है उसका गौरव और जिस अतीत के गौरव के ऊपर अभी मुझ से पहले बहुत ही गिरी हुई जिसको कहते हैं डेविएशन, सड़क से गुमराह ढंग से अभी मुझसे पहले के सदस्य ने रखो है ...

श्री अर्जुनदास (अजमेर—पश्चिम) : माननीय सदस्य कहो।

एक माननीय सदस्य : सम्माननीय सदस्य कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस विषय में सदन से अपील करूंगा कि इस विषय के अन्दर जो हमारा कॉन्स्टीट्यूशन है,जिसको सारे देश ने मान्य किया है, उसकी स्प्रिट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। सवाल तो यह है कि सेक्यूलर स्टेट का मतलब यह नहीं है कि अधार्मिक है, बल्कि मतलब यह है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं उसमें सब को आजादी है कि जिस किस्म का धर्म चाहें मानें। लेकिन स्टेट सभी धर्मों को मानता है और धार्मिक चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन या देश की व्यवस्था में आड़े नहीं आने देता। जिसकी वजह से कॉस्टिट्यूशन में किसी धर्म का विरोध नहीं किया है। धर्म हमारी आजादी का सवाल है, हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन इसको व्याख्या शिक्षण के मामले में बार बार वेद व्यास, चाणक्य, रावण, राम, विभीषण आदि का नाम लेकर इस तरह की भाषा में बोली जा रही है, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वह मेल नहीं खाती।

सवाल तो यह है कि आज शिक्षा को किस रूप में लें और किस रूप में शिक्षा को चलाना चाहते हैं ? जहां सेक्युलर स्टेट को मान्यता दी है वहां सवाल यह है कि इतिहास उठा कर देख लिया जाय धार्मिक शिक्षा कहीं भी दी जाय उससे फेनाटिसिज्म पैदा होता है, कट्टरता आती है ! उसमें मनुष्य वैज्ञानिक ढंग से सोच नहीं सकता और आज के युग में साइन्स इस तरक्की पर पहुँच चुकी है कि अमेरिका और रूस भौतिक ज्ञान की तरक्की के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिये देश को तैयार करना है तो हमारा कॉस्टिट्यूशन ऐसा है जो देश को आगे बढ़ायेगा। आज हम पुराना नुस्खा जो फेल हो चुका है उसकी ओर नजर रखते हैं। मैं इस सिलसिले में एक उदाहरण देकर पूर्व वक्ता सदस्य को जवाब देना चाहता हूँ। मैं उनकी बात गौर से सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि कोई आदमी जाय और बहुत से अंडे जो टट्टी से भरे थे उनकी बात को कान लगा कर सुने तो वे कह रहे थे हम कल गुलाब जामुन थे, इमरती थे, कल ये थे वो थे....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपके मुंह से ऐसा ही निकल रहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्वयं आपको शक्ल नजर आ जायेगी। वे अंडे बातें करते थे कल शाम को हम गुलाब जामुन थे, इमरती थे लेकिन सुबह क्या थे ? आप सुबह अपनी शक्ल देखते हैं तो भिनभिनाती मक्खियें नजर आती हैं लेकिन आप पर असर नहीं पड़ता....

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम): I take a serious objection to the language used by the Hon'ble member. That cannot be parliamentary and that is not desirable at all.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, आपकी मार्फत जो बात कही है वह उदाहरण स्वरूप कही है जिससे कि जल्दी ही इनकी समझ में आ जाय। इनकी समझदारी पर शुबहा हुआ इसलिये मैंने उनको उदाहरण देकर समझाया।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): इस भिनभिनाहट में आसन को क्यों घसीटते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसलिये मैं अर्ज कर रहा था कि यहां पर इस भावना से विचार करें तो हमको, हमारे बच्चों को और आनेवाली पीढ़ी को दुनिया के विकास के साथ हिन्दुस्तान को कहां ले जा सकते हैं तो हमको निराशा होती है। नैतिक हालत से, धार्मिक भावना से तो हमको और नक्शा नजर आता है। चाणक्य, प्रताप और दूसरे जो हुए हैं वे महापुरुष थे। उन्होंने देश के लिये जिस चीज को समझा, ठीक तौर से समझा उस तरह से ले। गये लेकिन आज हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अणु के मामले में, एटम के मामले में देश को उठा कर ले जाय। हमारे दिमाग में छिद्र हैं उनको ऐसी चीजों से नहीं भरना है जैसी यहां रखते हैं, नहीं तो लोग समझेंगे कि यहां के आम लोगों में शिक्षा होते हुए, कोशिश करते हुए वैज्ञानिक युग की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाये। इसलिये कहूँगा कि आप अतीत की बातों को छोड़ दीजिये। जब मैंने सब वक्ताओं को सुना तो लगा कि वे आड में धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म करने योग्य बात हो तो करें लेकिन वेदव्यास, चाणक्य और रावण की बातें करते हैं, लेकिन आज के युग में उनका क्या हाल होगा ? धीरे धीरे ऐसी लड़ाइयां शुरू होंगी....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : (अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : धर्म की व्याख्या करते हैं। वे अपने आप को तो देखें कि किस धरातल पर खड़े हुए हैं। जो ऐसी बातें करते थे उन्होंने सात समुद्र पार से अंग्रेजों को यहां बुलाया था और उनके गुलाम बने हुए थे। वे ही आज इस तरह की बात करते हैं। जो संकल्प रखा है उससे डर पैदा हो रहा है कि इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो दुर्भाग्य पूर्ण होगी। यह विज्ञान से ताल्लुक रखने वाली बात नहीं है। जब हमारे प्रधान मन्त्री अमेरिका और रूस से लौटे थे तब उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था कि मैंने वहां की जनता को देखा। वहां की आर्थिक व्यवस्था अलग अलग है, लेकिन एक बात में समानता है और वह बात यह है कि बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वह शिक्षा दोनों ही जगह एक ही तरह की है। वहां बच्चों का वैज्ञानिक दिमाग बनाया जाता है। वैज्ञानिक दिमाग से मतलब यह है कि तरक्की से ताल्लुक रखनेवाली चीजें बताई जाती हैं। जो चीजें तरक्की से ताल्लुक नहीं रखती हैं उन चीजों से दिमाग का छिद्र नहीं भरा जाय। हमारी आनेवाली पीढ़ी को शिक्षा ही आगे बढ़ा सकती है और दिमाग को इतना ऊंचा ले जा सकती है। आज के दिन हमारे बच्चे वैज्ञानिक ढंग से दूसरे मुल्कों के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। इसलिये मैं अपील करूंगा कि आप पुराने युग से निकल कर नये युग की बातें सोचने की कोशिश करें। आज घर में बच्चों का पालन-पोषण होता है, जिस तरह की हमारी संस्कृति है और जिन संस्कारों में मां-बाप रहते हैं उनको बच्चे देखते हैं। वहां घर का हमारा शिक्षण है उसके अन्दर भी हमें सुधार करना चाहिए, अगर हमें हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके दिमाग को बहुत अच्छा करना है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है कि हम इतने प्रौढ़ हैं। इसलिए हम हमारे घर का वातावरण वैज्ञानिक करें।

आज हम देखते हैं कि लड़का बीमार होता है, वह इन्जेक्शन से बचता है, लेकिन उसकी मां दो मिर्चे चूल्हे में डाल देती है। जब कि हमारे यहां जो डॉक्टर हैं, जो सरकार की एक वैज्ञानिक व्यवस्था है उसमें उस बच्चे का इलाज होता है, टीके लगाने से उसका इलाज होता है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, वे स्माल पॉक्स के लिए माताजी को पूजने जाते हैं। यह सदन और यह सरकार व्यवस्था करती है कि बच्चों के टीके लगाये जायं, जिससे बच्चों की रक्षा होती है। यह एक वैज्ञानिक तरीका है, जो दुनिया में माना हुआ है। इस वैज्ञानिक तरीके को अपने देश में लागू करने के लिए यह सदन एक्ट बनाता है। लेकिन हमने हालत यह देखी है कि शीतला माता का मेला भरता है, उसमें लोग बड़े बड़े घन्टे बजाते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से देश को खतरा है। आज वोट के लिए राम राज्य के राम का नाम लेकर, राम महान् हैं, जनता की धार्मिक भावनाओं का उपयोग करना चाहते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि देश तरक्की के रास्ते पर चल चुका है, वह लौट कर आने वाला नहीं है....

श्री मदनसिंह : आप लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर क्यों चल रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बैठिये, बैठिये। मैं आपको सब समझाता हूँ।

मैं यह बात कह रहा हूँ कि आज शिक्षा के अन्दर मॉर्बिड माइन्ड हैं। आज जिस तरह का धर्म है वह किस तरह समाज में चला है। पहले सरकार नहीं थी, न इतनी बड़ी आबादी थी। हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन था सामाजिक, कॉम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था। उसके द्वारा ही समाज के अन्दर फायदा उठाते हैं और उस फायदे से अपना जीवन-यापन करके जीवन सुखपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन सुखपूर्ण बनाने की कल्पना की बात लेकर अपने दिमाग में, जो जरूरी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन्स पैदा करके उन रिस्ट्रिक्शन्स को समाज पर लगाते हैं तो बच्चों का दिमाग टूटता हुआ हो जाता है। मैं समझता हूँ, हमें दिमाग को आजादी की तरफ ले जाना है। हमें शिक्षा की तरफ देखना है। हमारे बच्चों को आजादी के साथ जिस तरह की बातें करते हैं जिनको समाज गलत समझता है। उन बातों को वे इस तरह रखते हैं कि जितने शिक्षक हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिनको समझ नहीं उनको वे बातें और डान्सर्स बेसुरी और बुरी लगती है जब कि दूसरे के समाज में रह कर उनको डांस करने का मौका मिल जाय तो वे नहीं चूकते....

श्री मदनसिंह : इसमें आप फंसे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऐसी शिक्षा और संस्थायें बनाने के लिए गांधीजी कहते थे, ऐसी संस्थायें बनाने के लिए महाशयजी कहें तो उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि जो खुद सच बोलता है, फिर सच बोलने के लिए कहता है तो उसका असर पड़ता है। उनकी आज सत्य की अपनी खुद की परिभाषा है। वे कहते हैं करोड़ों रुपये, लाखों रुपये पड़े रहते थे, वह ऐसा समय था जब सब चीजें खुली रहती थी, उन पर ताले नहीं लगते थे।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं कहता हूँ कि एक साइन्टिफिक और मनोवैज्ञानिक तरीका है जिससे सब सच बोलें। आज झूठ बोलने की कल्पना करने का यह बहुत बड़ा परिवर्तन मनुष्य में, सामाजिक जीवन में हुआ है, जिससे माइन्ड इस तरतीब से चलता है कि जो जैसा है उसको देख कर वह वैसा ही कहता है। यह जो सच है, यह आज से वर्षों पहले का था। उसकी आप आज बात करते हैं। आज ताले नहीं लगायें, जैसा देखे वैसा कह दें, इस तरह का माइन्ड रिवोल्यूशन हो। इस तरह की बात करने से पहले मैं समझता हूँ कि मनुष्य का इतिहास पढ़ें। उसके अन्दर जहां झूठ कहते हैं, जिसको कल्पना कहते हैं, जो नहीं है। उसको सोचने की बात करते हैं। तो मनुष्य जीवन के अन्दर और मनुष्य जाति के जीवन के अन्दर एक रिवोल्यूशन हुआ। वह यह है कि कल्पना करके फिर स्वीकार करते हैं। हम जब मानते हैं कि एटम इस तरह निकलेगा तो उसका परीक्षण करते हैं। इस तरह सत्य को ढूंढते हैं परिकल्पना के अन्दर। उसके विपरीत आज आप बारहवीं शताब्दी की बात करके देश को रोकना चाहते हैं. शिक्षा को रोकना चाहते हैं। उसको नहीं रोकना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज मनोवैज्ञानिक ढंग से सब चीजों की तरफ देखना चाहिए। हमारी लाइफ और हमारी जिन्दगी धर्म के अन्दर इस तरह बन कर निकल गई है कि आज जो बच्चे होते हैं जवानी के अन्दर वे अपनी प्राकृतिक भावनाओं का दर्शन सही ढंग से करते हैं। तो मैं जातिवाद और धार्मिकवाद– दूसरी चीजों को यहां नहीं कहना चाहता लेकिन उसका नतीजा यह होता है कि उनकी भावनायें कुंठित हो जाती हैं, वे दूसरी तरफ तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आज सही शिक्षा की दूसरी चीजों का विरोध करते हैं और उनके अन्दर धार्मिक स्तर की चीजें लाना चाहते हैं। जो धर्म और नैतिक शब्दों की, संकल्प करने वाले महाशय ने व्याख्या करनी शुरू की तो मुझे तरस आया कि वे व्याख्या नहीं कर सके। ये इतने लूज शब्द हैं, वेग शब्द हैं कि जिस चीज को नैतिक कह दीजिये वह नैतिक हो गई, जिसको धर्म कह दीजिये वह धर्म हो गया, जब कि धर्म वह चीज है जो धारण करने योग्य है। आज दुनिया में जो हो रहा है वह ठीक है और धारण करने योग्य है, तो इतनी बड़ी व्याख्या करके वेद व्यास को क्यों घसीटते हैं, गीता को क्यों लाते हैं? आप स्वयं जानते हैं, आपकी धारणा है, आप मरण की तरफ जा रहे हैं, कब्र में पैर लटके हुए हैं, श्मशान की तरफ जा रहे हैं....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : हम मरने के लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप अब भी बच्चे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो हमें एक तरक्की पूर्ण ढंग से सोचना चाहिए शिक्षा के मानने के अन्दर। आज वाकई दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं। अभी जो एक घंटे के अन्दर न्यूयोर्क से लन्दन पहुंच जाते हैं वहां कुछ मिनट के अन्दर पहुँचेंगे और हम छोटी छोटी बातों को आपस में डिसाइड नहीं कर सकते। हमारे यहां जो शिक्षण चल रहा है उसको इस प्रकार उलझायेंगे तो मैं समझता हूँ कि दस बीस वर्ष पीछे हट जायेंगे। इसलिए

Page No.77

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं सदन के सब माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे सब इन चीजों को सोचने और समझने की कोशिश करें । ये राम राज्य परिषद् वाले हैं, जन संघ वाले हैं, ये इन चीजों के अन्दर देश को अटकाना चाहते हैं, देश की तरक्की में रोड़े अटकाना चाहते हैं, इस देश को दस–बीस वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं। जिन चीजों से देश को जीने का अधिकार मिला है; जो आजादी महसूस करने लगे हैं, जो दुनिया के अन्दर सिर उठा कर सारे मुल्कों के शिक्षक बन रहे हैं, अपने देश की सारी की सारी तरक्की हो रही है उसको उल्टा चलाना चाहते हैं। आप देखें दरिया का पानी कितना बह कर निकल गया है । जन संघ वाले गऊ माता के लिए चिल्लाते हैं....

श्री मदनसिंह : Is it Parliamentary language ? क्या यह भाषा सदन के लिए उपयुक्त है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बैठिये । मैं अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार की ये बातें हैं जो हमारी आज की सामाजिक स्थिति है, इस स्थिति में जितना जन समाज है वह फंसा रहे तब तक आप चाहते हैं कि दो, तीन जगह से जीत कर आ जायें। कोई मौका हो ! आप यह कोशिश करते हैं कि जो धार्मिक भावना है इस प्रकार की भावना को हम कहां लाकर खड़ा कर दें। गांधीजी की जो भावना है उसको मैंने इस तरह इन्टरप्रेट किया है। मैं मानता हूँ कि गांधीजी जीवन की उन्नति के ढंग से सोचनेवाले थे । गांधीजी का आज नाम लेते हैं, वे कहते हैं कि आज कष्ट हो रहा है गऊ को। सवाल यह है कि गऊ हमारी आर्थिक स्थिति पर असर रखती है। मैं यह इसलिए नहीं कहता कि राम राज्य परिषद् वाले कहते हैं, इसलिए नहीं कि जन संघ वाले चिल्लाते हैं....

श्री मदनसिंह : 'जन संघ वाले चिल्लाते है,' Is it the Parliamentaray Lamgnage ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अच्छा साहब, बदल दीजिये, मुझे लफ्ज़ नहीं सूझा, इसलिए जल्दी में कह दिया होगा, बदल दीजिये। मैं अर्ज कर रहा था आप इस बात को सोचने की कोशिश करें। गऊ का महत्व कांग्रेस भी मानती है। राजस्थान में गऊ की बात करना, जहां हमारी सरकार ने उसकी रक्षा करना कर्त्तव्य माना है यहां इस बात को इसलिए लाते हैं कि लोगों में इस तरह की धारणा हो कि राम राज्य परिषद् धर्म की जड़ मजबूत करेगी। इस प्रकार की बातों की उपयोगिता अब नहीं रही है। मैं अदब के साथ आपकी मार्फत सम्माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि इन चीजों में सरकार नहीं आने वाली है। आप मनोवैज्ञानिक ढंग से देखें कि आज की शिक्षा की बात है, मैं समझता हूँ कि शिक्षा की बात के पहले आज पेट के लिए रोटी की बात है। पेट के लिए रोटी नहीं है और आप आध्यात्म की बात करते हैं। जब रोटी मिले तो आध्यात्मक की बात सूझे । इसी आध्यात्मवाद ने देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया है ? गरीबी में लाकर खड़ा कर दिया है। गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती जब कांग्रेस देश की गरीबी से लड़ने को

Page No.78

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कोशिश कर रही है, आप शिक्षा को डिफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि इस तरह की बात चलने वाली नहीं है। आज देश का जन जन, सब के सब इस बात को जान गये हैं कि आपने क्या किया है, किस तरह सरकार ने गये सालों में आर्थिक ढंग को सुधारने की कोशिश की है। क्या हमारा धर्म है, यह जनता जानती है। आज कांग्रेस को सबसे बड़ी धार्मिक संस्था मैं मानता हूँ, जब तक कि वह गरीबी से लड़ने की कोशिश कर रही है। हमारा विश्वास है कि हम किसी न किसी तरह गरीबी की लड़ाई को खत्म करें। आज आप गरीब को डुबाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देश तरक्की के रास्ते पर चल चुका है, कांग्रेस सरकार अपना ध्येय और रास्ता तय कर चुकी है। उसको आप इस तरह की बातें रख कर नहीं रोक सकते। जो शिक्षण की बात करते हैं, उसमें जो धर्म की बात करते हैं उसको इस रूप में नहीं अपनाना चाहते हैं। वैसे जो चरित्र की बात है वह आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। जो संस्थाओं में चरित्र का विषय पढ़ाने की बात है मैं उसके पक्ष में हूँ, सरकार भी उसके पक्ष में है। लेकिन जो धर्म की आड़ लेकर जो कट्टरपन विरासत में मिला है उससे देश को गुलाम बना देना चाहते हैं तो हम आड़े खड़े होंगे और सरकार इस चीज़ को कभी माननेवाली नहीं है। तो मैं आपके सामने सदन से यह अपील करूंगा कि वह इस मसले को शिक्षा शास्त्रियों पर ही छोड़ दे कि वे शिक्षा शास्त्री ही इसको खुद तय करें। मैं इस पर एक बात कहूँगा कि हमारे कॉन्स्टीट्यूशन ने एक बात तय कर दी है, बहुत समझदारी से, आजाद ढंग से चुने हुए लोगों ने कॉन्स्टीट्यूशन को बनाया और उसके लिये आपको काफी समय दिया। फिर भी दो इलेक्शनों में इसके खिलाफ प्रचार करने में आप लोगों ने कमी नहीं रखी। सेक्यूलर स्टेट को रगड़ने में तुम लोगों ने कोई बाकी नहीं छोड़ा। गुनाहों में कोई तरह की कमी नहीं की। स्टेट सेक्यूलर है, आपने उन नारों को छोड़ दिया है अब दुबारा धार्मिक शिक्षा के नाम पर देश को गुमराह करना चाहते हैं, धार्मिक शिक्षा के नाम पर हम आपको देश को गुमराह नहीं करने देंगे। तो मैंने दबे लफ्ज़ों में शिक्षा के बारे में कहा है। बार बार लोग नैतिकता की बात उठा कर, जो हमारे बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा मिल रही है, फ्रीडम से वे आपस में मिलते हैं तो उसको देख कर आपका दिल जलता है। हम vicarious satisfaction लेते हैं, दूसरों को गलत रास्ते पर चला कर हम मजा लेते हैं। इसके अलावा दूसरों को छुप कर करने का मौका मिलता है तो वे चूकते नहीं हैं। जो लोग मठों में छुप कर करते हैं महन्त लोग जो छुप छुप कर करते हैं, उनको रोकते नहीं। महन्तों का सवाल आयेगा तो धर्म की आड़ में क्या क्या होता है, धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार जिन जिन अड्डों में होता है और उनको कन्ट्रोल करने की कोशिश सरकार करती है तो उसका विरोध किया जाता है। तुम्हारे में यह बात भी नहीं कि उसको ठीक किया जाय। धर्म के नाम पर जो पैसा आता है उसको ठीक तरह से खर्च किया जाय। धार्मिक बाप से बेटे पैदा होते हैं, कैसे कैसे कुकर्मों में लोग लगे हुए हैं, उसको नहीं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सोचते और हम हमारी शिक्षण संस्थाओं में वैज्ञानिक ढंग से, प्राकृतिक ढंग से शिक्षा देना चाहते हैं तो तुम इस दृष्टि से नहीं कि बच्चे आगे बढ़ें, उनकी उन्नति हो, बल्कि उनको गुमराह करने के लिये तुम उन बदमाश बच्चों की जगह अपने आपको रिप्लेस कर-के मजा लेना चाहते हो, इसका मैं विरोध करता हूँ। जिससे समाज को खतरा पैदा हो, समाज को पीछे ले जाने वालों की इस प्रकार की हरकत को रोकना चाहिये। जो प्राकृतिक हरकतें हैं संतोष की हरकतें हैं, आजादी की हरकतें हैं, उनको रोकना, प्रकृति ने किया है उसको रोकने की कोशिश करना, इसका मैं विरोध करता हूं। एक तार्किक ढंग से मनोवैज्ञानिक पद्धति देश के लिये बहुत सोच समझ कर रखी है। उसके स्थान पर नैतिकता के नाम पर पुरानी जंजीरों से हमारे देश को जकड़ना चाहते हैं। उसका हम विरोध करते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे बच्चों के भविष्य के विषय में कोई इस प्रकार का निर्णय लें तो निर्णय लेने से पहले खूब सोच-विचार कर, अपनी जवानियों को याद करके और कांटे में तोल करके कुछ करें।

इसके अन्दर मैं एक मिसाल देता हूं। पोम्पियाई देश में ईसाई धर्म का ईसा मसीह ने प्रचार किया तो गांव के लोगों की ओर से कहा गया कि सब सत्य-अहिंसा का प्रचार करेंगे और सब ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म का प्रचार करके जब ईसा जाने लगे तो उनके गांव में एक औरत के साथ व्यभिचार करते हुए एक आदमी को पकड़ा और गांव वालों ने कहा कि हमने ईसाइयत को स्वीकार किया है, अहिंसा को माना है, हिंसा तो करेंगे नहीं, चलो ईसा को पूछें कि क्या करें। तो वे लोग ईसा के पास गये और कहा कि इसने औरत के साथ व्यभिचार किया है, क्या करें ? तो ईसा ने उन लोगों को कहा कि जो अपने गांव की प्रथा से करते चले आये हैं वही करो। तो गांव वाले खुश हो गये और कहा कि हमारे समाज में कोई इस प्रकार का व्यभिचार करे तो सभी गांव वाले चारों तरफ खड़े होकर पत्थरों से उसको मारते हैं और तब तक पत्थरों से मारते रहते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाय। तो ईसा ने कहा यही करो। तो खुशी खुशी गांव वाले उसको बीच में खड़ा करके पत्थर लेकर उसके चारों तरफ खड़े होगये और इशारा किया कि औरत को मारो तो ईसा मसीह वहां पहुंच गये और उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रथा के माफिक पत्थरों से मार डालो, यह तुम्हारे सामाजिक संस्कार की बात है, अब सत्य की बात कहता हूं और ईसा ने अंगुली उठा कर कहा कि इस औरत को पत्थर मारने का हक उसी को है जिसने औरत के साथ व्यभिचार नहीं किया है........

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : यह बात आपको आपके बच्चों ने बताई है क्या, जो मिशन स्कूल में पढ़ते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आता, आप तो अंग्रेजी में ही बोला करो।

तो ईसा ने कहा कि इस औरत को पत्थर से मारने का उसी आदमी को हक है जिसने किसी औरत के साथ व्यभिचार नहीं किया। जितने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हाथ उठे हुए थे पत्थरों के साथ वे सब हाथ झुक गये और वह ईसा की ग्यारहवीं शिक्षा हुई। मैं उन्हीं शब्दों के साथ कहता हूँ कि जब आप नैतिकता की बात करें तो पहले अपने मन में सोच लें कि आप खुद कितने नैतिक हैं, नहीं तो आपकी नैतिकता का कोई असर नहीं होने वाला है। यहां नैतिकता की शिक्षा के नाम पर वही पुरानी कट्टरपंथी चला कर देश को गुमराह करने की कोशिश न करें। मैं इस प्रकार की बात का विरोध करता हूँ। हां मोरेल साइन्स की शिक्षा दी जानी चाहिये, इस पर मैं जोर देता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलनेके लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प सदन के सम्मुख विचारार्थ है उस पर कई सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। जिन्होंने संकल्प का समर्थन किया है और समर्थन में जिस प्रकार के विचार रखे हैं मैं उस प्रकार के विचारों से सहमत नहीं हूँ। जहां तक संकल्प का अपने आपका स्वरूप है, जिस दृष्टि से मैं इस संकल्प को देखता हूँ उस रूप में मैं इसका समर्थन करता हूँ।

मैं सबसे पहले यह भी बताना चाहता हूँ कि समर्थन इस दृष्टिकोण से हो कि यह धार्मिक शिक्षा किसी धर्म विशेष के नाम से नहीं बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की दृष्टि से दी जाय। जो शिक्षा मनुष्य की मानवता को विकसित करने वाली हो इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाय। इस दृष्टि से मैं इसका समर्थन करता हूँ।

आज सही माने में जहां तक 'शिक्षा' और उसके साथ ही साथ 'धार्मिक शिक्षा' दोनों शब्दों की हम जब व्याख्या करते हैं तो सम्माननीय सदस्य जो इस धार्मिक शब्द का अर्थ, हमारे संविधान में जो 'धर्म' निरपेक्ष राज्य की कल्पना का है उसके साथ जोड़ते हैं और यह कह कर जोड़ते हैं कि हमने हमारे देश में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है और संविधान के अन्तर्गत माना है तो ऐसी हालत में किसी धर्म की शिक्षा देना धर्म-निरपेक्ष की नीति को माना है, उसके विपरीत होता है। इसलिये मैं सबसे पहले इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म विशेष की शिक्षा मान कर उसकी व्याख्या करते हैं तो उसके विपरीत है। आज राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि जब मैंने कानोड़ में जैन जवाहर विद्यालय के सम्बन्ध में प्रश्न किया था कि यहां पर बच्चों को अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाती है और वह विधान के विपरीत है तो उन्होंने इसका उत्तर देते हुए कहा कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है मगर अनिवार्य नहीं है, जो लेना चाहे ले सकते हैं। इसलिये यह संविधान के विपरीत नहीं है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का जहां तक जवाब है वे खुद इस बात को मानते हैं कि किसी संस्था के अन्तर्गत जब धर्म विशेष की शिक्षा चल रही थी, जैन धर्म की शिक्षा चल रही थी तो वे खुद इस प्रकार का उत्तर देते हैं कि वह अनिवार्य नहीं थी, इसलिए विधान के प्रतिकूल नहीं है। इस प्रकार की बात

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसके साथ जोड़ी जाती है, परन्तु यहां पर जो विषय है वह इसके विपरीत है और इस विषय पर जो संकल्प रखा गया है उसका तात्पर्य यह है कि आज हमारे देश में धार्मिक चरित्र की शिक्षा न दी जावेगी तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश का विकास नहीं होगा।

आज आप देश का समुचित विकास करना चाहते हैं। उस भावना के आधार पर इस शिक्षा का क्या महत्व है यह क्या महत्व रखती है और इसकी क्या जरूरत है; इसके पहले धार्मिक और शिक्षा दोनों की व्याख्या करना आवश्यक समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि शिक्षा प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक या चाहे उच्च शिक्षा हो, बड़ी से बड़ी शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन शिक्षा का जो अर्थ है, मैं समझता हूँ कि शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको जीवन में उतारते हैं उससे है। उसके संस्कार बचे रहते हैं और जो कार्य करना है वही सही माने में उसकी शिक्षा है। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो मैं समझता हूँ–कि वह उसके जीवन का एक क्षेत्र बन जाती है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा की जो बड़े बड़े लोगों ने व्याख्या की है वह बी० ए० या एम० ए० या बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली उससे नहीं है, लेकिन उसको, जीवन में किस हद तक उतारा है उससे नापते हैं। मैं समझता हूँ कि संस्कार की हमारी शिक्षा होनी चाहिये। जब तक हम कोई चीज पढ़ लेते हैं उसको जीवन में नहीं उतारते तब तक वह शिक्षा नहीं कही जाती। इसलिए उसको जीवन में, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसको जीवन में उतारे। मगर आज हम देखते हैं कि हमारा नैतिक पतन हो चुका है। कोई किसी पक्ष का है और कोई किसी का। जब हम किसी पक्ष की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि इस विभाग में आज भ्रष्टाचार चल रहा है, आज वहां पर भाई भतीजावाद चल रहा है। बुराइयें हुई आखिर कैसे? जब हम चर्चा करते हैं तो आखिर मेरी यह मान्यता है कि आखिर समाज में इस प्रकार की बुराइयें हैं जिनसे यह दिक्कत आ रही है। अब इन दिक्कतों को दूर करना है। वे कब दूर होंगी? जब हम जीवन में शिक्षा की बात को उतारने पर ध्यान देंगे। आज हम उसको जीवन में उतारने की बात नहीं करते, आज हम समाजवाद की बातें करते हैं। यह समाजवाद आदर्श है मगर यहां पर उसको जीवन में उतारने की बात है। हमने माना है कि समाज में विषमता दूर होनी चाहिये, गरीबी और अमीरी का भेद मिटना चाहिये। हमने यह भी किया कि हर आदमी को मेहनत करने पर उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिये। हमने यह माना कि हर व्यक्ति को जीवन निर्वाह करने के लिए साधन मिलने चाहिये। जब हम शिक्षा को जीवन–दर्शन के रूप में, आदर्श के रूप में मान्य कर लेते हैं और जब जीवन में उतारने का प्रश्न है तो हमारे राज्य के मन्त्री या बड़े लोग इस प्रकार की बातें करें कि हम समानता लाना चाहते हैं और हमारे जीवन का जो ढांचा है उसमें ज्यादा खर्च करें और शान शौकत से रहें। हम खुद ज्यादा से ज्यादा जमीन प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा धन बढ़ावें या ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से पैसा पैदा करने की

(श्री मुरलीधर व्यास)

कोशिश करें। आखिर यह क्यों? आप एक तरफ तो कागज में, विचारों में पढ़ाई को रखें और एक नीति स्वीकार करें; लेकिन जहां जीवन में उसे उतारने का प्रश्न है तो उसे नहीं उतारते हैं।

तो मैं यह कहूँगा कि यह हमारे संस्कार हैं। जानकारी हमारे दिमाग में है, ज्ञान होते हुए भी आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं, उसको जीवन में नहीं उतारते। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? वे इसलिये हुई कि हमारे पास ज्ञान है, शिक्षा है लेकिन फिर भी इस बात को जीवन में नहीं उतार सकते। यह बात सबको मालूम है। चाहे वह कोई पुलिस का अधिकारी हो, चाहे किसी दूसरे विभाग का। पुलिस वाला यह समझता है कि उसका काम है सेवा करना, पुलिस के दफ्तर के हर दरवाजे पर लिखा रहेगा। सेवा करने की बात को जानते हुए भी वे सेवा नहीं करते। जो अधिकार उन अधिकारियों को दिये गये हैं वे उनका पालन नहीं करते तो इसका आखिर कारण क्या है? इन सारी बातों का कारण है; शिक्षा है, जानकारी है लेकिन जानकारी के होते हुए भी जीवन में उसको नहीं उतारते हैं। क्यों नहीं उतारते हैं? इसलिये कि आज हमारा लक्ष्य भौतिक लक्ष्य है। आज हमारा दृष्टिकोण इतना भौतिकवादी है कि इसके कारण हम में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिये उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते और इसमें मनुष्य अपनी आवश्यक चीज को पूरी करता है, अपने व्यक्तिगत लाभ तक सोचता है, और और जीवन की सांसारिक परिस्थितियें हैं उसमें इस प्रकार से उलझा रहता है जिससे वह समझते हुए भी बड़े काम नहीं कर सकता।

हमारे महात्मा गांधी हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, राजनीतिज्ञ भी थे। लेकिन महात्मा गांधी की विशेषता क्या थी? उनकी विशेषता यह थी कि वे जिन बातों को कहते थे उनको जीवन में उतारते थे। जब वे कभी बाहर जाते और उनसे पूछते कि आप तीसरे दर्जे में सफर क्यों करते हैं तो वे कहते थे कि मेरा देश गरीब है मैं, इससे भी अगर कोई दूसरा दर्जा होता तो उसमें बैठता। मैं विषमता को दूर करना चाहता हूँ; अगर फोर्थ दर्जा होता तो मैं उसमें सफर करता लेकिन दूसरे दर्जे में नहीं करना चाहता क्योंकि यह भेद-भाव की चीज है और मैं मानता हूँ कि भेद-भाव मिटना चाहिये। तो इस प्रकार के भेद में, मैं खुद बैठूं यह मेरेलिये ठीक नहीं। महात्मा गांधी सादगी से रहते थे, लंगोटी लगाते थे; लेकिन आज के नेताओं से अगर कोई कहे कि आप सादगी से क्यों नहीं रहते, खर्चा कम क्यों नहीं करते? वे कहते हैं कि महात्मा गांधी तो साधु थे, वे महात्मा थे। हम महात्मा नहीं हैं। जहां जीवन में किसी बात को उतारने की बात है वहां तो आपने महात्मा गांधी को महात्मा कह दिया। जहां राजनैतिक या सिद्धान्तों का प्रश्न है और जहां पर दलीलें देने का प्रश्न आता है वहां कहेंगे कि महात्मा गांधी हमारी जमात के थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खून और पसीने से सींचा है इसलिये आप कांग्रेस को मदद दीजिये। जहां मदद का सवाल है, आप महात्मा गांधी को इस तरह से ले लेंगे।

Page No.83

(श्री मुरलीधर व्यास)

(३ म. प)

और जहां जीवन में उतारने का प्रश्न नहीं है उसको अलग छोड़ देंगे। यह जो मनुष्य का दृष्टिकोण बना हुआ है उसको देखना पड़ेगा, वह दृष्टिकोण चाहे किसी में हो। मैंने गांधीजी की बात कह दी, राजनैतिक दृष्टिकोण भी बता दिया। लेकिन बड़े २ मुनि, आज बड़े २ व्यापारियों में जाते हैं अपने भौतिक साधनों को सीमित करने की बात करते हैं कि इसको जीवन में उतारो। लोग उसको सुन लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतार सकते। जीवन में वह चीज़ उतार क्यों नहीं सकते ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जो चीज़ अच्छी लगती है वह उतर जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : तुलसी मुनि हैं। वे अपने कितने ही भक्तों में जाते हैं। करोड़ पति लोग वगैरह उनके पास आते हैं, रात दिन उनके व्याख्यान सुनते हैं। वे उनको कहते हैं कि आप लोग अपनी आवश्यकता से अधिक मत रखो। लेकिन ऐसा कोई, मैं देखता हूं, निकलता नहीं कि इतनी संपत्ति रखे और बाकी की सब छोड़ दे। जब तक इस प्रकार का त्याग नहीं होता, जब तक इस प्रकार की भावना नहीं होती नैतिक उत्थान की ओर किसी प्रकार नहीं जा सकते। शिक्षा का यही तो लक्ष्य है कि जीवन में अच्छे संस्कार हों। ये पड़ते क्यों नहीं ? संस्कार आदमी में डालने का कौनसा जरिया है जिससे हर व्यक्ति में ये संस्कार पैदा किये जा सकें ? उस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि मनुष्य में संस्कार पैदा करने के लिए आखिर मनुष्य को कौनसी शिक्षा दी जाय ? धार्मिक शिक्षा की मेरे दिमाग में एक कल्पना है। मैं उससे सहमत नहीं हो सकता जैसा कि जन संघ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि धर्म की भावना होती तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नहीं होता। उन्होंने नाना प्रकार की बातें कहीं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। लेकिन जिस भावना को लेकर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं उसके पीछे धार्मिक शिक्षा क्या है ? धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत तीन बातें आती है मैं उन तीन तथ्यों को मानता हूं। जैसी गांधीजी ने, विनोबाजी ने धर्म की व्याख्या की....

श्री मूलचन्द डागा : व्याख्या तो रोज बदलती रहती है।

श्री मुरलीधर व्यास : हो सकता है कि आपके दिमाग में उसको व्याख्या बदले। मैं ऐसा समझता हूं कि व्याख्यायें कभी बदलती नहीं हैं। वे ही होती हैं जो वैज्ञानिक हैं, संतुलित हैं और बार बार जिनमें परिवर्तन नहीं होता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): बुद्धि अनुसार हो सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : बुद्धि तो बदलती है। आप कह सकते हैं क्याकि दो–दो मिला कर ६ हो गये ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : गणित शास्त्र है यह, तो।

श्री मुरलीधर व्यास : आप उसकी व्याख्या को इस दृष्टिकोण से मत लीजिये। मेरे दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ व्याख्या का जहां तक सवाल है आज जो

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण है वह उससे भिन्न है। धार्मिक शिक्षा जिससे धर्म से ताल्लुक है। मनुष्य में जब तक चरित्र की निष्ठा न हो, जब तक मनुष्य निष्ठावान न हो उसके साथ साथ ईश्वर के प्रति श्रद्धा न हो आप कहेंगे कि ईश्वर की बात कह दी, विचित्र लगती है। मैं कहता हूँ कि श्रद्धा। यह मान्यता हो कि सच्चा दृष्टिकोण है, उस तरीके का हो जिसको श्रद्धा कहते हैं, बिना किसी प्रकार का उसके प्रति भेदभाव करके या ऐसी चीज़, भेद डाल कर बात कहना वह सच्ची श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा अडिग होती है।

श्री दलीपसिंह (बारां) : ब्लाइन्ड होती है।

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां, ब्लाइन्ड। तीसरी बात यह है कि मनुष्य की अपनी देह से परे आत्मा की जानकारी।

श्री मूलचन्द डागा : आत्मा कहां है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह देह से परे सोचने की बात है। देह से परे है। मनुष्य अपनी देह तक व्यक्तिगत बातें सोच सकता है। जब देह से परे सोचने के भाव बन जाते हैं तो आत्मा का दर्शन हो जाता है। तो ये तीन बातें जब तक व्यक्ति में न हों तब तक धर्म के विषय में या धर्म धारण लायक शक्ति उसमें पैदा नहीं होती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक मनुष्य में तीनों चीजों का समावेश नहीं होता है वह पूरा नहीं होता; बालक में हो जाता है। आपने देखा कि प्रहलाद बहुत छोटा था, लेकिन उसके पिता ने कोई बात कही। मुनि ने उसको कोई बात कह दी। राम नाम उसके मन में बैठ गया और उस पर उसको इतनी श्रद्धा हो गई कि वह बड़ी से बड़ी कुरबानी करने के लिए भी तैयार हो गया। जलाने के लिए लोग उसको तैयार हुए तो वह जलने के लिए भी तैयार हो गया, ऊपर से लोग फैंकने के लिए तैयार हुए तो वह उसके लिए भी तैयार हो गया। इसी तरह से ध्रुव भी छोटा बालक था। लेकिन अपने पिता की गोद में बैठने गया तो सौतेली मां ने कहा कि गोद में नहीं बैठ सकता। उसको उसकी मां ने शिक्षा दी कि उससे भी बड़ा पद है। वह चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई। उसने वह बड़ा पद प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब यह है कि ये जो चीजें हैं बालक के जीवन में भी कभी कभी ऐसी बैठ जाती हैं जिससे उसका जीवन बड़ा ऊपर उठ जाता है। माननीय सदस्य ने रखा है कि सब जगह इस प्रकार की शिक्षा दी जाय। मैं यह मानता हूँ कि जिस प्रकार के ढांचे में आज मुल्क है वहां इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह कठिन है। क्योंकि उस प्रकार की शिक्षा देने के लिए शिक्षक नहीं हैं। परन्तु नीति के रूप में वाकई मुल्क का विकास करने के लिए, मनुष्य के जीवन को उठाने के लिए धार्मिक शिक्षण आवश्यक है या नहीं ? जहां तक मैं समझता हूँ, आज चाहे कुछ भी हो, मैं आपको बताऊं कि डॉ० मजूमदार ने शिक्षा पर एक किताब लिखी है "हमारी तालीम"। मैंने उसको सारा देखा है। वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जब तक मनुष्य के चारित्र्य का निर्माण नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। शिक्षा के लिए चारित्र्य होना आवश्यक है और चारित्र्य निर्माण के लिए

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

धर्म के प्रति आस्था होनी आवश्यक है। धर्म की व्याख्या उन्होंने दूसरे ढंग से की है। जब विकास करना है तो "हमारी तालीम" किताब लिख कर वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जो वस्तु स्थिति है, मनुष्य आज के युग में भौतिकवादी बन गया है और मनुष्य अपने घर तक सीमित है, बच्चों तक सीमित है, समाज तक जाता नहीं और उसका कारण यह है कि उसमें धार्मिक भावना का अभाव है। उसको अपनी देह के प्रति ही प्रेम है और देह से परे आत्म भावना की जो चीज़ होनी चाहिये वह उसमें नहीं आती है और जब तक यह चीज़ नहीं आ जाती है तब तक किसी हालत में समाज का विकास नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा देनी चाहिये, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिये। विज्ञान क्या है? विज्ञान वह है कि किसी चीज़ के बारे में सोचते २ उसके मूलभूत विकास के साधनों को खोज डाले और वहां तक पहुंच जाय। जयप्रकाशजी पहले भौतिकवादी थे। लेकिन भौतिकवादी होते हुए भी वे इस बात को मानने लगे कि मनुष्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए मनुष्य के चारित्रिक जीवन व नैतिक जीवन को उठाना आवश्यक है। जब यह मानते हैं तो हमको यह सोचना है कि धार्मिक शिक्षा क्या है, धर्म क्या है? जैसी मैंने व्याख्या की, मैंने सोचा है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमको कई माने में शिक्षा के रूप को विकसित करना है और देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए हमको इस माने में सोचना पड़ेगा। आज की परिस्थितियों में हो सकता है कि हम आज भौतिक कटहरे में बैठे हुए हैं। इस प्रकार की बातें कहने लगें, लोग इसकी खिल्ली भी उड़ायें, मजाक भी करें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पुराने समय में शिक्षा के लिए बड़े २ आश्रम थे। उनमें लोगों को शिक्षा दी जाती थी। शहरों से दूर गांवों में रहते थे। उस शिक्षा के अन्तर्गत इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा थी या नहीं? उस समय के जो धार्मिक ग्रन्थ थे उनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक ग्रन्थ अलग अलग धर्मों के अलग अलग हैं। लेकिन ऐसा कोई धार्मिक ग्रन्थ नहीं मिलेगा जो यह मानता हो कि धर्म की शिक्षा देने से मनुष्य का जीवन ऊंचा नहीं उठता हो। धार्मिक किताबें चाहे किसी भी सम्प्रदाय की हों वे बुरी नहीं हैं चाहे रामायण ले लीजिये, गीता ले लीजिये.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): तो जो युद्ध यूरोप में हुए वे भी क्या किसी धर्म के नाम पर थे क्या? वहां किस धर्म का असर था?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): वहां धर्म के नाम से नहीं थे, बल्कि सेक्ट के नाम से होते थे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: जिस प्रकार शाक्तों ने वैष्णव धर्म को माना है उसी प्रकार वहां भी था?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: उसको हम धर्म नहीं कह सकते, वह तो एक सम्प्रदायवाद था। वहां धर्म नहीं, सम्प्रदाय है।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं यह नहीं कह

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहा हूँ कि वहां भी धर्म के नाम पर युद्ध हुए। वहां व्यक्ति व्यक्ति का स्वार्थ था। वहां उन्होंने धर्म की व्याख्या अलग ढंग से की है। वह व्याख्या हमारे अनुकूल नहीं बैठती।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आज व्याख्या कौन करेगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : आज कोई भी चीज लें वह बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। इस पर यह कहना कि यह तो सामन्तवादी व्यवस्था थी इसलिये वह बुरी व्यवस्था थी, यह बात नहीं है। हमने जिन ग्रन्थों को पवित्र और धार्मिक रूप में माना था आज उन ग्रन्थों को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक मान लिया गया, यह बहुत गलत है। जो इस प्रकार का धर्म है, चाहे वह किसी का धर्म हो, जिन लोगों ने धार्मिक ग्रन्थ लिखे हैं हिन्दुओं के हों, चाहे मुसलमानों के, चाहे ईसाइयों के हों सारे धर्म का सार है। उनमें कोई चीज बुरी नहीं। धर्म अपने आप में अच्छी चीज है और जिन लोगों ने इस प्रकार के ग्रन्थ लिखे हैं उनका जीवन भी आदर्श रूप रहा है। लेकिन आज समाज के लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के अनुसार उसको तोड़-मरोड़ दिया है यह सब जानते हैं। आज के दृष्टि-कोण से हम इसको लें एक तो यह कि धर्म एक अच्छी चीज है, धर्म ग्रन्थ अच्छे हैं उसके साथ साथ मनुष्य के विकास के लिये बुनियादी चीज की जो आवश्यकता है वह नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से उत्थान नहीं हो सकता। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि धार्मिक शिक्षा की जिस तरह की कल्पना मैं करता हूँ वह आवश्यक है। मैं यह भी मानता हूँ कि इस प्रकार की शिक्षा हिन्दुस्तान में एक दम लागू नहीं की जा सकती और न यह हो भी सकता है। आज हमारे यहां जितनी भी प्राथमिक पाठशालायें हैं वहां पर जिस प्रकार की शिक्षा और उसके देने का ढंग है उसके लिये मेरा निवेदन है कि हमें उसके लिये भी कुछ अच्छे शिक्षक चाहियें। एक, दो, तीन इस प्रकार के आदर्श आश्रम हम खोलें जहां इस प्रकार की शिक्षा मिल सके। जो आश्रम शहरों के वातावरण से दूर और एक प्रकार से अलग अलग हों वहां इस प्रकार के शिक्षकों को शिक्षा दी जाय वहां शिक्षकों का निर्माण हो और वे शिक्षक जाकर समाज में काम करें तो हमारे समाज का ढांचा बदल सकता है। यह बहुत आवश्यक मैं मानता हूँ। कांग्रेस ने साधु समाज बनाया। साधु समाज को मदद दी जाती है, उन साधुओं का सम्मेलन होता है। यह क्यों होता है ? वहां साधु लोगों को क्या शिक्षा दी जाती है। आखिर यह इस-लिये कि धार्मिक शिक्षा को हम आवश्यक मानते हैं। इसलिये उसको मदद देते हैं, सम्मेलन करते हैं। उसमें डॉ० राजेन्द्र बाबू जाते हैं, अन्य नेता गण जाते हैं। आखिर किसलिये जाते हैं ? आप यह कहेंगे कि यह तो ढकोसला है, हम इसको मानते नहीं। लेकिन यह बात नहीं। उनके पीछे हमने यह मान्य किया है, उनके बिना नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया नहीं जा सकता, इसके बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिये इसमें जब तक इस प्रकार के लोग हैं जो धार्मिक शिक्षा देने वाले हैं उनको हम अगर बढ़ावा नहीं देंगे और उनकी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तो जन

(श्री मुरलीधर व्यास)

समुदाय में जो आज तक धार्मिक शिक्षा का प्रभाव रहा है वह नहीं रह पायेगा और उसके बिना देश का उत्थान नहीं होगा। इसको मानते हैं। इसलिये इस प्रकार के संगठन को सरकार भी प्रश्रय देती है।

इसलिये मैं माननीय मन्त्रीजी से कहना चाहूँगा कि आप इसको और कोई दृष्टि-कोण से न लें। जिस दृष्टिकोण को मैंने आपके सामने रखा है, जिस तरह से मैं सोचता हूँ, मैं यह आवश्यक मानता हूँ कि धार्मिक शिक्षा केन्द्र जिस प्रकार हम अलग अलग शिक्षाओं का केन्द्र खोलते हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा जिसको वैज्ञानिक हम नहीं मानते फिर भी उसको मान्यता दी है, हमने इसके दो–चार सेन्टर्स खोले हैं इसी प्रकार से शिक्षा में भी हम नये नये प्रयोग करते चले जा रहे हैं वहां मेरा यह निवेदन है कि यह भी एक आवश्यक प्रयोग है। इसके लिये अगर आपने एक–दो भी आश्रम खोल दिये, आदर्श के रूप में हमने राजस्थान में प्रारम्भ कर दिये, तो हम देखेंगे कि आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। यह भी इस देश के लिये आवश्यक अंग है। इस अंग की पूर्ति करना हमारा कर्त्तव्य है। इस दृष्टि से मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं हालांकि समय की सीमा निर्धारित नहीं है फिर भी वे सीमित समय में ही अपने विचार रखने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, शिक्षा शास्त्रियों ने, धर्म के आचार्यों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, मैंने उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है। एक जमाना ऐसा भी था जिसमें राजा की स्त्री का अपहरण भी किया जा सकता था। मैं आज नहीं देखता हूँ कि किसी राजा की स्त्री का अपहरण कर लिया गया हो, किसी उच्च पदाधिकारी की पत्नी का अपहरण कर लिया गया हो। ये बातें ऐसी हैं जिससे समाज का ढांचा किस प्रकार का था, यह इससे पता चलता है। एक जमाने में ऐसी भी बातें होती थीं जहां लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। मैंने इसके साथ साथ यह भी पढ़ा कि हमारे देश में देवदासी प्रथा का चलन था जिससे सैकड़ों, हजारों स्त्रियां यह अपना कर्त्तव्य समझती थीं कि अगर हम मन्दिरों की अर्चना करेंगी और मन्दिर के पुजारियों को अपने आपको अर्पण कर देंगी तो हमारी मुक्ति हो जायेगी। इस प्रकार की प्रथायें भी चलती थीं।

शिक्षा के बारे में एक शिक्षा शास्त्री ने बहुत अच्छी व्याख्या की है और मैं समझता हूँ उसकी परिभाषा को हमें मानना चाहिये :

"And since we see how man's judgment of right and wrong varies with education, we conclude therefrom that education sharpens our moralities."

जिन्होंने यह परिभाषा की है वहां यह भी कहा गया है कि धरती सुन्दर कैसे हो सकती है। धरती पर जो शिक्षित व्यक्ति चलते हैं उससे धरती सुन्दर मालूम होती है। अब आप शिक्षा में नैतिकता की बातें करते हैं, बड़े ढंग से बातें करते हैं। मुझे बरट्रेन्ड

(श्री मूलचन्द डागा)

रसेल की बात याद है। क्या शिक्षा में खामी है ? सब से बड़ी बात यह है कि आजकल के लड़कों को जो शिक्षा मिलती है उसको एक तरफ हम लोग अनैतिक मान बैठे हैं, सह-शिक्षा को अनैतिक मान बैठे है आखिर नैतिक और अनैतिक की परिभाषा कौन करे ? नैतिकता किसे कहते हैं और अनैतिकता किसे कहते हैं ? यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज कहा जाता है कि गांधीजी लंगोट पहिनते थे। तो क्या लंगोट पहिनने से या उनका अन्धानुकरण करने से नैतिकता आ जाती है ? "नैतिकता" इतना लम्बा-चौड़ा विशेषण है कि इस पर बहुत विचार करना होगा। मेरे दिमाग में यह आया कि जहां सहशिक्षा है वहां लड़के जीवन में अपना कदम रखते हैं उससे नैतिकता का पतन हो जाता है। या यह बात हो या जहां सहशिक्षा में दो-चार बातें कर लेते हैं और कह देते हैं नैतिक पतन हो गया इससे। नैतिक पतन का अर्थ नहीं समझे कि नैतिकता किसमें है और अनैतिकता किसमें है ?

एक आदमी अपनी पैसे की इच्छा को पूरी कर लेता है। आप कहते हैं अजी साहब, यह परिग्रहवाद नहीं मानता। धर्मावलम्बी आज यह कहते हैं और कल उनको भी पैसा मिलने लगे तो परिग्रहवाद की बात भूल जावेगा ? भाषण सब दुनिया देती है। सह-शिक्षा की बात करते हैं। समझ में नहीं आई, अगर किसी ने कुछ कर लिया तो क्या हो गया ? जैसे भूख लगती है सेक्स की डिज़ायर हुई, मिटा ली। तो ऐसा भी कुछ कहते हैं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकना भी महा पाप है। ऐसा भो लोग कुछ सोचते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : आप कैसा सोचते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह जो आप शिक्षा की बात कहते हैं कि शिक्षा में अनैतिकता बढ़ी और नैतिकता की आवश्यकता है। मैं समझ नहीं सका कि आप किस चीज की आवश्यकता शिक्षा में मानते हैं और किसकी नहीं मानते हैं ? उस पुराने युग में भी क्या नल दमयन्ती के किस्से नहीं हुए ? पद्मावती और जायसी और मेघदूत के किस्से क्या हैं ? क्या इनमें आज जिसे आप सैक्स कहते हैं नहीं है ? मेरी समझ में ये लेला मजनू के किस्सों से बढ़ कर हैं। अब उनके प्रेम की घटनाओं को आज के लड़के लड़कियों के प्रेम की घटनाओं को लेकर आप बात कह रहे थे और उदाहरण दे रहे थे। तो मैं तुलना कर रहा था अतीत की उन घटनाओं से और वर्तमान की इन घटनाओं से। क्या उस जमाने में जिस जमाने में कि जानवर, पशु और पक्षी सन्देश लेकर उड़ा करते थे आज के किस्सों से कुछ भिन्न समझते हैं ? आज वे साधन नहीं रह गये। विज्ञान ने करवट ली है तो उनकी जगह टेलीपेथी आ गई है। आज टेलीफोन से होते हैं ये किस्से। आखिर पुरातन में और नूतन में आप अन्तर क्या मानते हैं ? मैं कोशिश कर रहा था, यह सब समझने की कि आप नैतिक और धार्मिक शिक्षा को क्यों महत्व देते हैं ? शिक्षा इट-सेल्फ ऐसी चीज है जो आदमी को आगे बढ़ाती है। आप कोई परिभाषा करिये। क्या होगी आपकी परिभाषा धर्म की ? आप कहते हैं, मैं मान लीजिये जैनी हूँ, कहेंगे मुंहपत्ति बान्धो। आप कहेंगे झूठ मत बोलो। आदमी खुद हो झूठ नहीं बोलेगा, खुद अच्छा बनने

(श्री मूलचन्द डागा)

की कोशिश करेगा। झूठ बोलने में खुद आदमी को कमजोरी महसूस होती है। आत्मा का पतन होता है। कौन कहता है झूठ बोलो? आदमी आज भी मानता है, झूठ बोलने से खुद की ताकत कमजोर हो जाती है। तो इसमें धर्म क्या है? आप शिक्षा इस बात की मत दीजिये इस शिक्षा की बात ने, इन आदर्श और उपदेशों ने सारा मामला खत्म कर दिया। एक दार्शनिक फिलॉसफर की तरह आज घूमता है सारे मुल्क में। एक सांप लपेटे घूमता है। कोई शिवजी की माला लिये घूमता है, एक तन्दूरा लिये मीरा का भजन गाता घूम रहा है और इस दार्शनिकता ने क्या किया? डुबा दिया इस देश को! आज भी जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वे अपना कैरेक्टर अच्छा बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कैरेक्टर के मतलब से? आप क्या चाहते हैं कि एक समय में डाढ़ी बनाते ही नहीं थे, जटाधारी बने घूमें? आप यह चाहते हैं। नैतिकता का मतलब एक ही है मनुष्य किस प्रकार आगे बढ़ता है। आपके बताये मार्ग पर, रूढ़िवादी मार्ग पर चल कर आगे बढ़ा कभी देश तो हमें आप बताये? शिक्षा पर भाषण देने लगे आप तो गौर से सुना। शिक्षा का मतलब एक है। इन्सान खुद सोचता है कि जिन्दगी में कैसे एग्ज़िस्ट होना है। कौन चाहता है खराब चीज हासिल करना? कैनेडी की जिन्दगी आपने पढ़ी होगी। अमेरिका का प्रेसीडेन्ट बना है आज। कौन इन्सान चाहता है कि उसकी जिन्दगी खराब हो? शिक्षा का मतलब यह नहीं कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा उससे अलग है। शिक्षा का मतलब है मिनट मिनट में, क्षण क्षण में आगे बढ़ाने वाली। वह है शिक्षा।

उम्र भर शिक्षा चलती है। जो यहां आये उन एम. एल. एज. का शिक्षण शुरू हो जाता है। तो शिक्षण हर वक्त चलता है। इसका कोई नियम नहीं होता। शिक्षण ऐसी चीज है स्वयं में, जो आदमी को मजबूत और बुद्धिमान् बनाता है। अब अगर कोई कहे कि तुम वैसी ही नकल भी करो जैसी हमारे पुराने लोगों ने की तो कई लोग टोपी पहिनते हैं। खुद टोपी पहिनने से अब मैं कोई गांधी नहीं बन सकता। तो इन चीजों में अन्तर है। इसलिये मैं नहीं समझ सका कि आपके इस संकल्प से आप चाहते क्या हैं? आप शिक्षण संस्थाओं में चाहते क्या हैं? कुछ बच्चों में क्योंकि जैसे बर्ट्रेन्ड रसेल ने कहा था: "A citizen from time to time..." उसने यह बताया, सब अंग्रेजी में है, लम्बा है, पढ़ कर आपका समय नहीं लूंगा। आज लोगों के दिमाग में इन बच्चों के बारे में कुछ ऐसी बात आ गई है कि काम वासना और सैक्स बढ़ रही है। इस पर बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मैं कहता हूं इसकी परिभाषा आप क्या समझते हैं! क्या परिभाषा है आपकी?

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : Point of order, Sir. Do you think the whole discussion is really relevant to the point in issue?

श्री मूलचन्द डागा : जो नैतिकता की शिक्षा बता रहे थे, मैं समझता हूं हमारी वर्तमान शिक्षा–सहशिक्षा को–एज्युकेशन है जो डिसिप्लिन है वह सब ठीक चल रहा है।

(श्री मूलचन्द डागा)

हमें उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है । पर यह नहीं कि सैक्स या नैतिक और धार्मिक । मैं इन शब्दों के माया जाल में फंसना नहीं चाहता । शिक्षा का शब्द स्वयं में काफी पूर्ण है । शिक्षा मिलनी चाहिये, इसका मतलब यही है । आप धर्म की चर्चाएं क्यों करना चाहते हैं ? आपने-हमने हजार वर्षों का इतिहास देखा है । कहीं भी आप देखिये, क्लर्जी, पोप पादरी का क्या जीवन था । आप देखिये, मठाधीशों और मौलवी, पंडितों का क्या हुआ । क्या सारे धर्म के स्थान कल्याण मार्ग के स्थान बन गये ?

शिक्षा का मतलब आप कहें कि मोरल शिक्षा है, सत्य बोलें, चोरी न करें तो यह तो आज शिक्षा में है ही । कोई शिक्षा पाया व्यक्ति आज भी झूठ बोलना नहीं पसन्द करेगा, चोरी करना पसन्द नहीं करेगा । झूठ, चोरी जहां होगी खुद उसका इन्सान का मन गवाही नहीं देगा । पर झूठ और चोरी कब बढ़ती है ? यह सवाल है हमारी परिस्थितियों का । आज अमेरिका में लोगों को भर पेट खाना मिल जाता है । कोई क्यों चोरी करेगा, क्यों झूट बोलेगा ? ये विषमताएं झूठ-चोरी की क्यों पैदा हुई ? क्योंकि लोग भूखे थे । जो मुल्क गरीब होता है उसमें ये खराबियां पैदा हो जाती हैं । चोर-लुटेरे कचहरी में आते क्यों देखे जाते हैं ? परिस्थितियों ने उनको मजबूर कर दिया इसलिये । तो ये समाज की पैदा की हुई चीजें हैं । ये शिक्षा के न मिलने से होती हों, ऐसी बात नहीं या शिक्षा से होती हों, ऐसी बात भी नहीं । आप परिस्थितियों को बदल दीजिये, उनकी इच्छाओं को पूरा कर दीजिये । ये मिट जाएंगी । हम पुराने हिन्दुस्तान की बातें करते हैं । हिन्दुस्तान पुराने जमाने में कैसा उन्नत था ? मैं कहता हूँ वह कौनसा देश था जहां यज्ञों के नाम पर नरमेध होता था, आदमियों की बलि होती थी होम होते थे ? यह कैसा था ? आदमियों को लेकर हम होम स्वाह कर देते थे । यह कौनसा देश था ? हम कभी अपने पूर्वजों की बातों की दुहाई दें । ठीक है । एक ज़माने में एक व्यक्ति हुआ । मैं मानता हूँ इस मुल्क में समय समय पर महा पुरुष पैदा हुए और जब समय समय पर महा पुरुष पैदा होते हैं तो मान लेना चाहिये कि समय समय पर पाप ज्यादा होते थे । इसीलिये आपने कहा भी है :

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत:"

जुगलकिशोरजी कहेंगे वह पूरा श्लोक तो । तो जब जब पाप ज्यादा होते हैं तो महापुरुष पैदा होते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आप भी मुझ से समझ लेना ।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्यों यह पैदा होता था ? मैं समझता हूँ कि मुल्क में कमी थी और मुल्क में समय समय पर ऐसे लोग पैदा होते थे । तो यह समझने का सवाल है । मेरी तो समझ में नहीं आया कि आप मोरेलिस्ट बनाना चाहते हैं किस रूप में ? आप मोरेलिस्ट का क्या मतलब समझते हैं, नैतिकता किस को कहते हैं ? यह नहीं है नैतिकता कि आपने साष्टांग प्रणाम किया, बड़ी नम्रता से झुके और मन में कोई

(श्री मूलचन्द डागा)

श्रद्धा नहीं, केवल व्यवहार के लिए ऐसा आपने कर दिया। व्यवहार और आडम्बर में कितना फर्क है? आपने शिक्षा दे दी कि सुबह माता पिता को प्रणाम करो और रात में मारो जूते। एज्यूकेशन के ऊपर जैसा मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से सोचा है उससे मैं कहता हूँ। आपने कहा कि जब गुरू आये तो प्रणाम करो। अरे आप खुद घर में सिगरेट पीते हैं तो फिर बच्चों को आप उसके लिए क्या कह सकते हैं? वैज्ञानिक युगमें शिक्षा की बात इस तरह नहीं करनी चाहिए। हम कब बढ़ सकते हैं जब कि हमारी भौतिक इच्छायें पूरी हो जायें? हमारी भौतिक इच्छायें पूरी नहीं होती इसलिए हमारे मुल्क में गिरावट है। ऐसा जमाना था कि राजाओं के गढ़ बन जाते थे और सारा मुल्क गरीब हो जाता था। यह वह जमाना था कि जब हमको पढ़ने का अवसर नहीं था। कई राजाओं का राज्य देख लिया। हजारों लोग अकालों में मर गए, स्त्रियां और बच्चे बेचे जाते थे। आज क्या कोई भूखों मर सकता है? कोई नहीं मर सकता। यह उपदेशक, प्रचारक, पुजारी, मौलवी, संत, साधु और सन्यासी को कहें कि जो हमारी चीजें हैं वे ले लो। अब तो सवाल है कि लोग चन्द्रमा तक पहुँच रहे हैं। उस जमाने की बात करने लगे कि सवेरे उठकर भगवान की प्रार्थना करें। मैं कहता हूँ कि हम २४ घन्टे प्रार्थना करें। मैं कहता हूँ कि मनुष्य २४ घन्टे ही ऐसा काम करे जो कि प्रार्थना का स्वरूप हो। एक जमाना था। आदमी निकम्मे थे। सुबह से शाम तक प्रार्थना करते थे। तो फिर सन्यास आश्रम में चले जाईये, कहीं चले जाईये क्यों जाकर बैठते हैं, क्यों भोजन करते हैं वहां बैठ कर?

श्री सभापति : Shri Anop Singh will speak.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए अपने मन से जो उसका विश्लेषण हो सकता है वह अर्ज करना चाहूँगा।

मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने जिस तरह से इस प्रस्ताव को पेश किया है उसके खिलाफ, विरोध में बोले हैं। उसका कारण यह शायद हो सकता है कि उन्होंने इस प्रस्ताव की असली मंशा को समझा नहीं। उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की है कि हमसे बहुत पहले, कई वर्षों पहले, सदियों पहले इस तरह का प्रचार था, यह होता था। इस तरह की नैतिकता थी और इस तरह के लव अफेयर्स होते थे, इस तरह का रोमान्स होता था कि जहां कई कवियों ने कविता लिख दी है। इस तरह का वातावरण तो पहले भी था। अब उसमें और इसमें क्या फर्क रह गया है और वह यह कहना चाहते थे कि आज का वातावरण ज्यादा अच्छा है। यहां तक कहा कि पहले वाला खराब था और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अच्छा है। हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है वह ठीक प्रकार की है। उसके अन्दर रद्दोबदल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चाँद के पास पहुँचने वाले हैं। इस तरह की, इधर उधर की बातें कह कर मैं समझता हूँ कि अपने दृष्टिकोण को उन्होंने आगे रखा है। पर शायद उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारे आज

(श्री अनूपसिंह)

के वातावरण में, आज के समाज के ढांचे में अगर किसी चीज़ की कमी वाकई अखर रही है, और किसी चीज को बदलने की जरूरत है तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत है। और शायद इतने अर्से के बाद, हमारी आजादी जीतने के बाद भी, और हमारे डेवलपमेंट प्लान्स बनने के बाद भी, इतने एक्सपर्ट्स डेवलपमेंट के लिए रखने के बाद भी और उनसे सलाह मशविरा करने के बाद भी मैं समझता हूँ कि वाकई में कोई भूल हुई हैं तो हम इस हमारी शिक्षा प्रणाली को इस तरह से रिआर्गेनाइज़ करने में भूल हुई है जिससे आगे कुछ नौजवान बच्चे मिल सकें कि आगे जाकर जो हमारे देश के भार को उठा सकें। इस तरह के बच्चे मिलने की संभावना बहुत कम रह गई है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हम कैसे नौजवान हैं ?

श्री अनूपसिंह : मैं मानता हूं कि आज जो शिक्षा प्रणाली है उसका आप जैसे माननीय सदस्य जब समर्थन करते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे रेस्पोन्सिबल आदमी जब इस शिक्षा प्रणाली का समर्थन करने बैठ गये तो शायद इसके सुधार की कोई आशा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मुख इस प्रस्ताव का समर्थन भी करूंगा और साथ ही साथ यह भी अर्ज करना चाहूँगा कि धर्म और नैतिकताका जो शिक्षा प्रणाली के ऊपर जोर दिया जाता है उसे हमारी शिक्षण संस्थाओं को उसको लेना है। तो सवाल यह रह जाता है कि क्या जिस तरह का धर्म, और नैतिकता शिक्षा में लाने की बात हम कहते हैं उससे ज्यादा यह समझते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर कुछ बढ़ जायेगा और हमारे यहां पर जो वातावरण अनैतिकता का या अधर्म का फैल रहा है उसको रोक सकेंगे ? माननीय सभापति महोदय, धर्म और नैतिकता चीज़ क्या है, जिसको आप शिक्षण संस्थाओं में लाना चाहते हैं ? धर्म और नैतिकता, मैं समझता हूँ, इतन ही नहीं है कि कोई आदमी पूजा पाठ कर ले या मन्दिर में चला जाय या किसी के मरने पर श्राद्ध कर ले, पिण्ड रख दे या तीर्थ स्थान पर चला जाय, ब्राह्मण को भोजन करा दे या खाना-पीना करा दे। मैं समझता हूँ कि धर्म इतना ही नहीं है, धर्म इसके सिवाय भी है। यह धर्म का एक दिखावा हो सकता है, मैं मानता हूँ। इसके सिवाय धर्म की जो परिभाषा है उसको आपने इतना संकुचित बना कर रखा है कि आपका धर्म इन्हीं तक कनफाइन्ड है········

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री, शिक्षा): हमारी परिभाषा तो काफी बड़ी है। उधर की तरफ वालों की ज्यादा छोटी है। वह खाने-पीने तक ही सीमित रखते हैं।

श्री अनूपसिंह : आपकी परिभाषा के बारे में भी अर्ज कर दूंगा कि वह परिभाषा कितनी बड़ी होगी। वह भी आपके सामने आ जायेगी।

मैं अर्ज करना चाहूँगा कि दान-पुण्य कर दें या पिण्ड-श्राद्ध कर दिया; यह हो सकता है कि यह भी एक धर्म है। मैं समझता हूँ कि

(श्री अनूपसिंह)

इसके सिवाय और धर्म रह गया है और वह धर्म व्यवहार का धर्म है, समाज का चरित्र है। हरेक आदमी को धर्म बिना पढ़ाये ही आ जाता है। पढ़ने से ही आता हो, ऐसी बात नहीं है। झूठ नहीं बोलें, किसी को धोखा नहीं दें, ईमानदारी रखें, बेईमानी नहीं करें, इस तरह की कई चीजें हैं। अपना काम करें, दूसरों के साथ छेड़-छाड़ नहीं करें, इस तरह का कार्य करें कि किसी को अपने स्वार्थ केलिए कष्ट नहीं पहुंचे, किसी के स्वार्थ में आघात नहीं पहुंचे; धर्म तो यही है। अब इस धर्म को देखते हुए मैं समझता हूँ कि धर्म की परिभाषा को शायद समझे नहीं माननीय उपमन्त्रीजी। मैं समझता हूँ कि मेरी परिभाषा आप से भी बहुत बड़ी है........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : (उपमंत्री जी) चले गये हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : उनकी जगह वह (श्री संपतराम) हैं।

श्री अनूपसिंह : वे धर्म समझते हैं, पर आप समझ नहीं सकते हैं कि यह ड्यूटी है। कर्मकाण्ड की जो चीज़ है रात-दिन....

श्री मूलचन्द डागा : धर्म का काण्ड समझते हैं........

श्री अनूपसिंह : आपने काण्ड बना लिया। आपके वक्त में काण्ड ही रहेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कर्मकाण्ड का, गोड फियरिंग का एक प्रोसेस आपके सामने है। ईश्वर से डरने का तरीका गलत चीजों से बचने का एक तरीका है। वह उसके लिए एक रूटीन है। कर्मकाण्ड एक तरीका है कि जिसमे गोड फियरिंग हो और हम गलत काम नहीं करें।

डॉ० बहादुरसिंह : प्रस्ताव की ऐसी भावना नहीं है।

श्री अनूपसिंह : धर्म एक वकील का होता है। उसकी भी एक लीगेलिटी, मोरेलिटी होती है। वह पैसा लेता है तो उसका काम करता है। पैसा एक से लेता है और दूसरी पार्टी से मिल जाता है, और एक पार्टी से पैसा खा जाता है और दूसरे से भी खा जाता है, और अपने काम को पूरी तरह से नहीं करता है, वह एक वकील के लिए लीगल मोरेलिटी का एथिक्स नहीं है। मैडिकल मैन के लिए मैडिकल एथिक्स है। जिसमें एक डाक्टर को कोई काम सौंपा हुआ है या जिस किसी बीमार को देखने जाता है तो वास्तव में वहां पर दिल में यह महसूस करे कि मेरा धर्म है कि इस आदमी को ठीक करूं, यह नहीं हो कि बीमारी को और बढ़ा दूं या कोई गुप्त बीमारी हो तो दूसरों को कह दूं। ऐसी दवा दूं कि बीमारी ठीक नहीं हो और उसे ज्यादे से ज्यादा पैसा आ सके। मैं अर्ज करूंगा कि यह उसके धर्म के विरुद्ध है और मैडिकल एथिक्स के लिहाज से भी। वकील का कुछ धर्म है। मजदूर का भी कुछ धर्म है। वह जितना पैसा लेता है अथवा जितने वक्त तक उससे काम मांगा जाता है उस काम को अच्छी तरह से करता है या नहीं। बीड़ी पीने बैठ गया, गप्प मारने बैठ गया, पैसा ले लिया और काम पूरा नहीं किया। यह मैं समझता हूँ कि मजदूर के लिए एथिक्स नहीं है, मोरेलिटी

(श्री अनूपसिंह)

नहीं है । धर्म हर आदमी के लिए है, हर जगह है, प्रोफेशन में है और हरेक के वास्ते धर्म है । तो माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि इसका अर्थ यही होगा कि इनमें इस तरह की नैतिकता आये कि हम अपने आपको जिस जगह पर हैं उस जगह के धर्म को पूरा कर सकें। Do your duty where you are placed. इस सिद्धान्त को मानते हुए ड्यूटी वही है जिस पर मनुष्य काम करता है। जिस जगह आपको रख दिया किसी ने उस जगह के जो कर्त्तव्य हैं, ड्युटीज़ हैं, वे पूरी करें तो यह धर्म है । अगर धर्म को पूरा करते हैं तो ऊपर उठते हैं और अगर नहीं करते हैं तो नीचे गिरते हैं। मेरे ख्याल से यही उनका ख्याल था । हमारे यहां यही नैतिकता आज नहीं है ।

इसके साथ हो सकता है कि कई माननीय सदस्य यह कहें कि कौन सी शिक्षा हमारे स्कूलों में रखी जाय ? जो शिक्षा मानव प्रकृति के साथ मानव स्वभाव के साथ हर जाति में हर जगह रहती है वही शिक्षा है । चाहे कोई किसी बाइबल को पढ़े, कुरान पढ़े, जोराष्ट्रियन धर्म पढ़े, जैन धर्म पढ़े, मैं अर्ज करूंगा कि सिद्धान्त में कोई किसी के खिलाफ नहीं है। बेसिक सिद्धान्त सब के एक ही है और कार्डिनल वर्च्यूज़ और सिद्धान्त हैं वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं; सब एक ही हैं। बेईमानी नहीं करो यह सिद्धान्त है। किसी धर्म में नहीं बताया गया है कि बेईमानी करना धर्म है। किसी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि झूठ बोलना चाहिए या धोखा देना चाहिए। यह कार्डिनल वर्च्यूज़ सब धर्मों में एक से हैं । ऐसी बात कहता हूँ कि जो मानव प्रकृति के साथ हरेक आदमी के धर्म की बात है। वह शिक्षा देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इस शिक्षा की हमारी शिक्षण संस्थाओं को वाकई जरूरत है ।

मैं इसके साथ साथ यह भी अर्ज करूंगा कि हमारा आज का जो शिक्षा का ढांचा है वह ढांचा तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि माननीय सदस्य यहां कहना चाहते हैं कि हमारा ढांचा बिल्कुल ठीक है तो यह हो सकता है कि शायद उन्होंने उस ढांचे को देखा नहीं है; उस ढांचे के जो परिणाम निकले हैं उनको देखा नहीं है । मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहां पर लड़कों में भद्रता शिष्टाचार और बोलने-चालने की तहज़ीब नहीं रही और हमारे लड़कों में डिसीप्लिन नहीं है यानि हमारे लड़कों में जो पढ़ने वाले हैं उनमें मोरेलिटी का स्टेण्डर्ड गिर गया है। मोरेलिटी के लिए मैं अर्ज करूंगा कि बहुत तरह की मोरेलिटी होती है। आज जिस शिक्षा के दायरे मे, जिस शिक्षा के विचार में मोरेलिटी की परिभाषा, जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सामने रखी है उनके सामने सैक्स मोरेलिटी क्या होती है, इसका भी एक ख्याल था । मैं समझता हूं कि सैक्स मोरेलिटी के सिवाय कई मोरेलिटीज़ हैं। सैक्स मोरेलिटी के सिवाय कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप मोरेलिटी कह सकते हैं, जैसा कि मैं मानता हूं कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : हरेक काम में मोरेलिटी है ।

श्री अनूपसिंह : हर काम में मोरेलिटी है। पर वे उनका दायरा सैक्स मोरेलिटी तक ही कन्फाइन रखना चाहते हैं। जिस तरह से हेवलाक एलिस का उद्धरण देने को तैयार हुए थे। मैं समझता हूं कि वह मोरेलिटी काम की नहीं है। जिसकी जरूरत है वह पढ़ाई जानी चाहिए। मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के अन्दर इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत होती है तो पढ़ते भी हैं और पढ़ाई भी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : बच्चों की शिक्षण संस्थाओं में इसकी बहुत भारी जरूरत है।

श्री अनूपसिंह : आपको रख दिया जायगा।

श्री हरिप्रसाद यादव(वल्लभनगर-सु.): वह तो सब के लिए कहना चाहते हैं।

श्री अनूपसिंह : माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके द्वारा यह विचार व्यक्त करना चाहूंगा....

श्री हरिप्रसाद यादव : सभापति महोदय....

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री अनूपसिंह : मान लें कि आप अपनी शिक्षण संस्थाओं में धर्म या मोरेलिटी या सोशियल कोड जिसको कहते हैं तो सोशियल कोड के कुछ सिद्धान्त उसमें रखेंगे, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि सोशियल कोड का जो कुछ भी असर होगा वह वाकई घर में होना चाहिए। पेरेन्ट्स सोशियल कोडकी गुन्जायश नहीं रखते हैं और बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है अगर वह चीज़ पेरेन्ट्स में नहीं होगी तो मैं अर्ज करूंगा कि उनके स्कूल के वातावरण में बहुत डिफरेन्स और भिन्नता रहेगी। तो मैं समझता हूं कि बच्चा जो स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख कर आयेगा वह घर में आते ही भूल जायेगा। और घर में आज क्या कहें, जमाने की देन कहें या हमारी रूलिंग पार्टी की देन कहें, कुछ भी हो सकता है। आज घर में माता-पिता भी वैसे ही भ्रष्ट मिलते हैं। उनके पास अगर जाइये तो वे यही कहेंगे कि रिश्वत कौन नहीं लेता है। रिश्वत लेने में क्या है ! आजकल वह चीज़ किसको बतायें कि पहले विवश होकर पाप करते थे। किसी का लड़का बीमार है, किसी की औरत बीमार है, किसी का बाप बीमार है तो उनकी बीमारी के वक्त में विवश होकर किसी ने दो रुपये की रिश्वत दवा प्राप्त करने के लिये लेली तो लेली। बाप बीमार है और उसको वजह से दो रुपये लेना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि वह किसी तरह से क्षम्य हो सकती थी, परन्तु आज तो २)रु० लेना धर्म मान लिया गया है, यह अनैतिकता है।

श्री मूलचन्द डागा : हिन्दू धर्म में तो यह महापाप है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : कांग्रेसी धर्म में पाप नहीं है।

(हंसी)

श्री अनूपसिंह : आपके वक्त में वह जायज़ हो गया है, जिसको देश–काल के लिहाज से कह सकते थे कि क्षम्य है। हमारे

(श्री अनूपसिंह)

धर्म में कहा भी है कि देश-काल के लिहाज से गलत चीज भी कोई करता है तो उनसे सिद्धान्त नहीं टलता है, रूल नहीं बनता है, उसको हम जस्टीफाइड नहीं करते हैं कि वह धर्म हो गया। बच्चा जिस समय अपने बाप से कहता है कि आप गलत तरीके से पैसा क्यों लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वे यही कहेगा कि तू समझता क्या है, तू धर्म को क्या समझता है? रुपया खाने का काम है, भाई। आजकल सभी खाते हैं। आप क्या कहते हैं कि माता-पिता को धर्म की शिक्षा को जरूरत नहीं है। अगर माता-पिता को जरूरत नहीं है तो बच्चे स्कूलों में अच्छी बातें सीख कर आयेंगे और घर में माता-पिता भ्रष्ट मिलेंगे तो मैं अर्ज करूंगा कि शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का प्रचार करके नैतिकता की शिक्षा देकर कुछ होनहार बालक तैयार नहीं कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जहां पर बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए तैयार हुए हैं उसके साथ साथ ऐसा भी प्रत्नय किया जाना चाहिये कि घर का वातावरण भी ठीक हो। और माता-पिता में अधर्म और भ्रष्टाचार है तो उसको भी बन्द किया जाय। उसको बन्द कर देने के हक में हैं हम सभी। मगर सबसे ज्यादा जिम्मा है तो आपका है। आपने उनको करप्ट किया है। आज की जो कांग्रेस सरकार है, आज जो शासन करते हैं, मैं समझता हूं यह उनको मोरेलिटी थी, उनकी ड्यूटी थी, उनके ऊपर एक मोरल इम्पीटस था कि उसको बन्द करते। यदि आपने यह बन्द नहीं किया तो मैं समझता हूं शिक्षण संस्थाओं का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। लड़कों को नैतिकता की शिक्षा मिलती नहीं है तो अपने घर को पहले सुधारिये, फिर बच्चों को सुधारने की बात करिये। मैं कहूंगा कि घर और स्कूल के वातावरण को अच्छा नहीं किया जायेगा, माता-पिता द्वारा बच्चों के सामने धर्म और नैतिकता की बात आचारण रूप में नहीं रखी जायेगी और भ्रष्टाचार किया जायगा तो इससे बच्चों के सुधरने की उम्मीद नहीं है।

कुछ देर पहले एक माननीय सदस्य ने फरमया था कि आज हम ज्यादा नैतिक हैं। तो मैं आपसे यह पूछता हूं कि आज के वक्त ज्यादा घूसखोरी है या अंग्रेजों के समय में ज्यादा घूसखोरी थी, जिनके बारे में आप बात करते हैं? जिसका पेट भूखा है वह भ्रष्टाचार करेगा।

आप कहते हैं यह मानी हुई बात है तो मैं कहूंगा कि अंग्रेजों के समय में घूस खोरी कम थी और आज आप कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया है, लोगों का लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ाया है, लिविंग स्टेन्डर्ड ऊंचा आ रहा है तो आज इतना भ्रष्टाचार क्यों है? आपके पास इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप कहते हैं कि आपकी योजनाएं और आर्थिक ढांचा कुछ दे रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि ये कुछ नहीं दे रहे हैं। आपकी स्थिति नहीं सुधार रही है। यदि यह कहा जाय कि जरूरत पैदा होने पर भ्रष्टाचार करते हैं तो मैं कहूंगा कि आर्थिक ढांचा सुधर नहीं रहा है। आज से १०—१२ साल पहले जिस चीज से लोग घृणा करते थे,

(श्री अनोपसिंह)

जो चीज अभक्ष्य समझी जाती थी उसी चीज को आज खाते-पीते हैं और बच्चों के सामने उसका जस्टिफिकेशन पेश करते हैं कि ठीक काम है। तो सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि दृष्टिकोण में आज बड़ा भारी अन्तर आ गया है। माता-पिता जो बच्चों को धर्म सिखाने वाले थे वे खुद करप्ट हो गये और इसके लिए सबसे ज्यादा आज की कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। इसलिए सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि शिक्षा का स्तर बढ़ाईये, पर बढ़ाने का तरीका आपके पास कौनसा है ? मैं यह नहीं कहता कि मुस्लिम धर्म को पढ़ाईये या हिन्दू धर्म को पढ़ाईये या जैन धर्म को पढ़ाईये लेकिन मैं यह कहूँगा कि मानव धर्म की शिक्षा दीजिए जिससे आदमी ऊपर उठ सके। यदि आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पर है, महामा गांधी के सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं तो उनके सिद्धान्त दुहाई देने के लिए नहीं हैं, उनके अनुसार आप रह कर बताईये। 'Dharma is to be lived upon and not to be taught.' धर्म सीखने की चीज नहीं है, आचरण करने की चीज है।

मैं, सभापति महोदय, यह अर्ज़ करूंगा कि सिर्फ शिक्षा देने से ही धर्म कायम नहीं रह सकता। हरएक आदमी का धर्म है मानव धर्म के नाते शासकों की पूरी तौर से जिम्मेदारी है। पहले वे इसे पूरी करें, फिर दूसरों को कहें।

आखिर में मैं, सभापति महोदय, यहअर्ज़ करूंगा कि भ्रष्टाचार ने संस्कृति पर असर डाला है जिसमें सिनेमा सबसे आगे है। इसके साथ ही नोवल्स या फोर्ज्ड लिट्रेचर या चीप सेलिंग लिट्रेचर का भी सबसे ज्यादा भाग इसमें है और इसको आप रोक नहीं सके हैं। सिनेमा दिखाते हैं लेकिन सेन्सर करने लायक कोई मसाला ही नहीं मिला और आज जो नैतिकता दूषित हो रही है उसके बारे में मैं कहता हूँ कि सेन्सर करने वाले की जिम्मेदारी थी जिसको वे नहीं रोक सके। चीप लिट्रेचर पब्लिश करने वाले पब्लिशरस हैं जिनको सरकार ने नहीं रोका, ऐसा लिट्रेचर निकालने वालों के खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। इसलिये मैं अर्ज करूंगा, सभापति महोदय, आप यदि कहते हैं कि हमने शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा दिया है, धर्म का प्रचार किया है तो वह समय दूर नहीं है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वह वख्त आया है तभी तो यह हालत है।

श्री अनूपसिंह : वह समय आपको चेतानेवाला आ रहा है। सभापति महोदय, मैं आखिर में हालांकि बहुत कुछ अर्ज़ करने वाला था यह कहूँगा कि कहा जाता है। यूरोप में मोरेलिटी नहीं है और मोरेलिटी का ठेका तो हम लेकर बैठे हैं और शायद उस वक्त में लिखा है जिसमें आप और हम हैं, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि यूरोप में धर्म और मोरेलिटी नाम की चीज है....

एक माननीय सदस्य : आप ही तो कहते हैं।

श्री अनूपसिंह : आप ही कहते हैं, मैंने नहीं कहा है। आज सैक्स मोरेलिटी के सिवाय आपके पास क्या है ? शायद पर्दे के पीछे कुछ

(श्री अनोपसिंह)

भी होता है, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में कुछ भी होता है लेकिन यूरोपवालों में ईमानदारी है। दूसरों को धोखा देने की बात उनमें नहीं है। बेईमानी करके धोखा नहीं देते हैं। खाने की मेज पर खाना खाने बैठते हैं तो भगवान् की प्रेयर करके खाना खाना शुरू करते हैं और हाथ धोते हैं तो प्रेयर करके हाथ धोते हैं। इसलिये सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यदि हम धर्म की दुहाई देते हैं तो हमने ठेका नहीं लिया है। यदि आप कहते हैं कि धर्म का ठेका हिन्दुस्तान ने लिया था तो वह अब खत्म हो गया है। पाश्चात्य देशों की अच्छी चीजें आपने नहीं ली हैं, गलत चीजों को अपनाया है और वे शिक्षण में आ रही हैं जिसका उदाहरण सिनेमा है जिसको आपने रोका नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सबसे बड़ी बात यदि आप बच्चों को सिखावें तो यह हो सकती है? "Do unto others what you want others to do unto you." मैं समझता हूँ, इस सिद्धान्त पर किसी ने कोई शिक्षा की चीज नहीं बनाई होगी, नैतिकता का ख्याल नहीं करता होगा। मैं यह नहीं कहता कि पूजा-पाठ की शिक्षा दें। यह धर्म यहां होता है, कर्म काण्ड की शिक्षा दें, लेकिन मानव धर्म की शिक्षा दें, कार्डिनल शिक्षा हो। मैं डीग से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ यह कहूँगा कि आपने जो ढांचा बना रखा है यदि उसको नहीं बदल सके, आप वातावरण आज जो भ्रष्टाचार का है उसको नहीं रोक सके तो इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलने वाला है। विद्यार्थियों पर कलंक लगावें कि वे भ्रष्ट हैं तो गलत बात होगी। इसके लिए माता-पिता को घर में अच्छा वातावरण बनाया होगा। माता-पिता अच्छे हों तो उनका अच्छा असर पड़ सकता है। आपको बच्चों को नैतिक दुष्परिणामों से बचाना पड़ेगा, नहीं तो आगे की पीढ़ियों के लिये ऐसी चीज होगी जो आप पर कलंक का टीका लगायेगी।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापतिजी, अभी सदन के सामने प्रस्ताव यह है कि शिक्षण संस्थाओं में नैतिक और धार्मिक शिक्षण चालू किया जाय। मैं अर्ज करता हूँ कि आज शिक्षण संस्थाओं में क्या नैतिक धर्म नहीं सिखाया जाता ? क्या वहां पर आज चोरी करना सिखाया जाता है क्या वहां पर झूठ बोलना सिखाया जाता है, क्या वहां पर बुरा व्यवहार करना सिखाया जाता है ? फिर मेरी समझ में नहीं आया कि वहां पर नैतिक और धार्मिक शिक्षा किस तरह से चालू किया जाय ? आज जो राम, कृष्ण, प्रहलाद, पैगम्बर, ध्रुव आदि की बातें सिखाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौनसा धार्मिक और नैतिक शिक्षण रह जाता है जिसको बताया जाना चाहिये ? यह बात अलग है कि चरित्र निर्माण विद्यार्थियों का हुआ या नहीं, लेकिन यह कहा जाय कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा अविलम्ब शुरू की जाय, मैं कहता हूँ कि यह तो युगों से चली आ रही है और चालू रहेगी। यह बात और है कि शिक्षक और विद्यार्थी उन पर आचरण करते हैं या नहीं ? जमाना ऐसा है कि लोग किसी ऐसी बात पर आते नहीं, सब की बुद्धि तीक्ष्ण होगई है। ऐसे जमाने में जो आदमी जब तक अपने आपको ठीक नहीं बना लेता वह दूसरों को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

शिक्षण संस्थायें आज हैं, हमें सबसे पहले विचार करना चाहिए कि उनमें जो अध्यापकगण हैं, जो चरित्रहीन हैं, जिनको चरित्रहीन पाया जाय उनको दंड दिया जाना चाहिए, उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा चरित्र निर्माण करने के लिए जो लड़के चरित्रवान् हैं उनको चरित्र के नम्बर दिये जाने चाहिए—यह विद्यार्थी है, इसका चरित्र लायक रहा है, सुच्चरित्र रहा है इसको दस नम्बर या बीस नम्बर दिये जायं। इससे क्या होगा कि शिक्षण संस्थाओं में....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): फिर तो मन्त्रियों को भी छुट्टी देनी पड़ेगी।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: अवश्य मैं तो कहूँगा कि मन्त्रियों को क्या, दुनिया को छुट्टी देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी। आपको भी छुट्टी देनी पड़ेगी। हम खुद सोचते हैं, हमारा धर्म यह है कि यहां ग्यारह बजे से लेकर पांच बजे तक बैठें और फिर पैसे लेवें। लेकिन हम चले जाते हैं। हम खुद धर्म पालन नहीं करते हैं तो दूसरे लोगों को उपदेश देने के अधिकारी नहीं होते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि बात कहना अलग है और उसको उपयोग में लाना अलग है। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव लाने के बजाय यह शिक्षण संस्थाओं में सबसे पहले होना चाहिए कि जहां तक हो जो चरित्रवान् शिक्षक मिलें उनको रखना चाहिए और जो शिक्षक चरित्रहीन हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, उनको दंड दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो चरित्रवान लड़के है उनको चरित्रवान रहने के लिए नम्बर देने चाहिए, जिससे दूसरों को प्रोत्साहन मिले और उनको ज्ञान हो कि चरित्रवान् रहने के कारण नम्बर अच्छे मिलते हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूँ यह कहना कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के अन्दर धर्म की बात नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि जब धर्म का राज्य था तब क्या हो रहा था? आपके धार्मिक राज्य में स्त्रियां लूटी जाती थीं, एक एक आदमी पांच पांच, दस दस, बीस बीस और सौ सौ स्त्रियां रखता था। आज सोचें कि आज कोई भी किसी स्त्री को उड़ा ले जाता है तो उसे दंड मिलता है। पहले कोई राजा स्त्री को ले जाता था तो कोई बोल नहीं सकता था। आज अगर कोई स्त्री को ले जाय तो चाहे वह मन्त्री हो, चाहे प्रधान मन्त्री हो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यहां तक कह डाला कि हमारे प्रधान मन्त्री तो धर्म को जानते नहीं हैं। उनके लिए कहें कि वे धर्म को नहीं जानते, धर्म के नाम को नहीं जानते, धर्म के विरुद्ध हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई धर्मवान् व्यक्ति है इस देश में तो वह नेहरू है। उसने देश के लिए कुर्बानी की, आज अपने शरीर की चिन्ता न करते हुए इस देश के लिए मर मिट रहा है। ऐसी स्थिति में

(४. म. प.)

शिक्षक आचरण करते हैं या नहीं, यह बात अलग हो सकती है। यहां आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक शिक्षा का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। आज का युग ऐसा है, साहब, जिसमें जरूरियात पूरी नहीं की जाती हैं। जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो धार्मिक शिक्षा आ जाती

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

है। आज भी करोड़ों रुपये जिनके पास हैं वे अनाचार करते हैं और जो गरीब है वह धर्म से रहता है, वह चोरी नहीं करता है। आज जिसके घर में दस दस स्त्रियां हैं वह व्यभिचार करता है और जिसके घर में एक भी स्त्री नहीं है वह धर्म से रहता है। आज यह बात है। इसलिए यह कहना कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा शुरू की जाय, मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रस्ताव को लाने की क्यों जरूरत पड़ी है....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभगनर-सु): माननीय सभापति, यहां अश्लीलता की बात कही जाती है। जब हम नैतिकता की बात करने जा रहे हैं तब ये अश्लीलता की बात करते जा रहे हैं, इनको रोका जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सभापति महोदय, यह निश्चित बात है हमें यह अवश्य देखना चाहिये कि हमारे यहां जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षण संस्थाओं का, जो नैतिकता का स्तर है वह गिरता जा रहा है। यह क्या बात है? हमारे यहां शिक्षण संस्थाओं में नैतिकता की शिक्षा अब भी दी जाती है, पहले भी दी जाती थी यह बात अलग है, इसके फर्क के कारण को देखना चाहिए। आज हमारा चरित्र गिर रहा है, इसका कारण सोचना चाहिए और उस तरह अपने चरित्र को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह नहीं कि हम कोई प्रस्ताव उस बात के लिए पेश करें जो पहले से चालू है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में जो शिक्षकगण हैं उनका खुद का चरित्र ठीक नहीं है। अगर उनका चरित्र ठीक हो, जैसे वे आज शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा देते हैं कि बीड़ी पीना खराब है, मद्य पीना खराब है, झूठ बोलना खराब है; लेकिन खुद बीड़ी पीते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी एप्लीकेशन्स देते हैं बीमारी की। खुद बीड़ी पीते हैं और कहते हैं कि बीड़ी मत पीओ। माता–पिता बीड़ी पीते हैं और कहते हैं बच्चो बीड़ी मत पीओ। हमारे यहां पर जो शिक्षण संस्थायें हैं उनमें जो शिक्षा देते हैं, जो नैतिकता की शिक्षा दी जा रही है उस नैतिकता की शिक्षा का क्या प्रयोग होता है? उसका असर नहीं होता। उन्होंने कहा कि वाकई में उन्हें अधिकार है शिक्षा देने का जो अपने आपका आचरण सुधार लें, वे दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। आज वे लोग अहिंसा की बात करते हैं; गऊ मत काटो, लेकिन खुद ढाई सेर शराब पी जाते हैं, ढाई सेर मांस खा जाते हैं, कहते हैं अहिंसा अहिंसा, गऊ कट रही है, गऊ कट रही है। यह स्थिति आज के समय में है। मैं निवेदन करूं कि ऐसे उपदेश देने वाले हैं! उनके उपदेश सुनने वाला कौन है? आज का

श्री अर्जुनदास : टिकट लेने के लिए भाषण है, कांग्रेस का टिकट लेने के लिए भाषण दे रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपको टिकट मिलनेवाला नहीं है, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको टिकट मिल जाय तो हार जाओ।

श्री अर्जुनदास : हमारा टिकट हमारी जेब में है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में यह कह देना कि राज्य में अन्याय हो रहा है, राज्य का सारा दारोमदार राज्य सरकार के ऊपर है, वही धर्म का सुधार करने वाली है, वह देखे कि अलग अलग धर्मों की व्याख्या की जाय। अगर शिक्षण संस्थाओं में धर्म रख देंगे तो मैं कहूँगा कि जो धर्म के झगड़े आज नहीं रहे वे पैदा होंगे, क्योंकि हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य है, हमारे देश का, राज्य का कोई धर्म नहीं है। आज स्कूलों में हिन्दू पढ़ते हैं, ईसाई पढ़ते हैं, सिक्ख पढ़ते हैं, और फिर हिन्दुओं में शैव मत वाले पढ़ते हैं, वैष्णव मत वाले पढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में कोई धर्म, जिस धर्म का रूप बताया वैसा धर्म पढ़ाया जाय तो मैं कहता हूँ कि सारे ग्रन्थों को पढ़ाने के लिए क्या अलग कोर्स बनाया जायेगा। मैं तो कहता हूँ कि आज जो कोर्स बना हुआ है वह ठीक है, उपयुक्त है। यह बात अलग है कि उस पर कहां तक अमल कर रहे हैं। और अमल करने के लिए हमें यथेष्ट चेष्टा करनी चाहिए और अच्छे अच्छे योग्य शिक्षकों का निर्माण किया जाना चाहिए, योग्य शिक्षकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज तक केवल डिग्रियों के आधार पर शिक्षक हमारी शिक्षण संस्थाओं में लिये जाते हैं, लेकिन उनका मोरल नहीं देखा जाता। इसलिए जो चरित्रहीन शिक्षक हैं वे जो शिक्षा देते हैं उनका असर बालकों पर पड़ता है। इसके बारे में एक पहले जमाने की बात की कि हमारे ऋषि मुनि हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाते थे उनका त्याग तपस्या का जीवन था ? उनको देख कर विद्यार्थी लोग उनके माफिक चलते थे। आज समय बदल गया है, स्थिति बदल गई है। इसलिए समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। आज यह नहीं कह सकते कि स्कूलों में ऐसा कोर्स नहीं है। कोर्स अब भी चलता है। ऐसी स्थिति में जो शिक्षक हैं उनमें से जो चरित्रहीन हैं, उनको दण्ड दिया जाना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए और जो चरित्रवान् पुरुष हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी ग्रेड देनी चाहिए, जिससे कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में अच्छे से अच्छे और योग्य व्यक्ति आयें। आज शिक्षण संस्थाओं में अच्छे अच्छे योग्य व्यक्ति क्यों नहीं मिलते ? उसका कारण है कि उनकी तनख्वाह कम है। जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको ५०) रुपये, ६०) रुपये तनख्वाह के देते हैं ५०), ६०) रुपये में आज चपरासी तक अपनी गुजर बसर नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में हम चाहें कि अच्छे चरित्रवाले व्यक्ति मिलें तो हमें कभी नहीं मिल सकते। हम जब तक यह तय न कर लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैड्स हैं उनकी तनख्वाह कम करें, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की वेतन वृद्धि करें तभी चरित्रवान् शिक्षक हमें मिल सकते हैं और विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण का काम हो सकता है। आज योग्य शिक्षक संस्था में नहीं आते। वहां गिरे और निकम्मे लोग आ जाते हैं। जिनको और कहीं नौकरी नहीं मिलती है, जिन्हें कहीं काम नहीं मिलता है, वे शिक्षण संस्थाओं में जाकर अपना जीवन बसर करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षण संस्थाओं में जो वेतन शृंखला है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और दूसरे मदों में कमी हो जाय तो कोई बात नहीं है। हमें शिक्षण संस्थाओं में वेतन वृद्धि करनी चाहिए और जो चरित्रवान् लड़के हैं

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

उनको परीक्षा-फल में चरित्र के नम्बर दर्ज किये जाने चाहिए, जिससे चरित्रवान् लड़के पैदा हों और ज्यादा से ज्यादा अच्छा चरित्र रखने का ज्ञान पैदा हो, यही मेरा निवेदन है।

श्री अर्जुनदास : चरित्रवान् मिनिस्टर भी कहां हैं, यह बताया नहीं इसने।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर स्वाभाविक था, दोनों ओर से आकाश पाताल के कुलाबे लगाये गये. धर्म के शब्दों को खींचने में शब्दों की बाल की खाल निकालने में, शब्दों की व्याख्या करने में, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में। अगर धर्म को ऊपर उठाने में शब्दों का सहारा लेते तो अच्छा होता, इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते। जितना महत्वपूर्ण राज्य के अन्दर शिक्षा का स्थान है, उतनी महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, सुसंस्कृत, सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा बनानी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो प्रस्ताव रखा गया है वह सुरुचिपूर्ण प्रस्ताव है और मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव के अन्दर किसी को ऐतराज होने के बजाय इसका समर्थन करना चाहिए।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

(घंटी)

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री तनसिंह : हमारा दुर्भाग्य तो यह है कि शिक्षण की अवस्था के लिए अच्छा तो यह होता है कि हम राजनैतिक दावपेच खेलने और राजनैतिक भाव फैलाने के बजाय हम निष्पक्ष दृष्टि से इस पर विचार करते। किसी किसी ने बढ़ते बढ़ते यहां तक कह दिया, इसमें सवाल नहीं था राम राज्य परिषद् का, जनसंघ का या कांग्रेस का, कोई भी आय, एक सुव्यवस्थित रूप से शिक्षण की व्यवस्था हो। लेकिन लोग हाथ आये मौके से चूकने वाले नहीं थे। इसलिए हर एक ने अपने अपने पैंतरे बदले। कई महानुभावों ने अनावश्यक रूप से बातें कहीं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूं कि धर्म का या धार्मिक शिक्षण का जहां तक सम्बन्ध है यह शब्दों मे नहीं है और इसलिए शब्दों पर जाने की आवश्यकता नही है। आवश्यकता तो यह है कि हम नैतिकता को सिखाना चाहते हैं, धर्म को सिखाना चाहते हैं, धर्म को समझाना चाहते हैं तो व्यवहार से समझा सकें, आचरण से सिखा सकें। इसमें किताब मदद नहीं दे सकती। मैं कहता हूँ कि आप लाख किताबें पढ़ा दें, इससे आदमी बनेगा, वह ज्ञानी बन सकता है लेकिन वह आचरणहीन बनेगा। ऐसे आचरणहीन ज्ञानी समाज क्षेत्र में, जो स्वयं बात कहते हैं उसके अनुसार आचरण नहीं करते। वे सबसे ज्यादा अपने को बदनाम करते हैं, ईश्वर को बदनाम करते हैं और मनुष्य को बदनाम करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, जो बात आप कह रहे हैं, बजाय किताबों में देखने के, बजाय पार्टी के मेनीफेस्टों में देखने के स्वयं अपने अन्दर देखने की कोशिश करें। आखिर हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसका कारण क्या है? और जो प्रस्ताव रखा गया है इसके कारण उन कारणों का निवारण हो सकता है कि नहीं ? यदि यह कहा जाय कि धर्म तो अब केवल

(श्री तनसिंह)

कुछ लोगों की ठेकेदारी मात्र रह गया है या यह कहा जाय कि केवल दाढ़ी रखाने में धर्म रह गया है तो मैं कहूँगा कि यदि मूंछें मुंडाने में दाढ़ी कटाने में ही धर्म है. यदि खड़े खड़े पेशाब करने में ही धर्म है, यदि कम्मोड पर लंगूर की तरह लटकने में ही धर्म है तो कर लीजिये आप यह धर्म । मैं कहता हूँ न दाढ़ी मूंछ रखने में धर्म है और न मूंछ मुंडाने में और दाढ़ी कटाने में धर्म है । जो चीज हम कहते हैं उसका सीधे रूप में हम आचरण करते हैं कि नहीं ? सत्य चीज के आचरण में ही धर्म है । सही सत्व, चीज के शुद्ध रूप में आचरण करते हैं वही धर्म है ।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, किस प्रकार की शिक्षा हो इस बात का प्रश्न है, जहां तक मैथेमेटिक्स, केमिस्ट्री, हाइजीन, फिजियोलॉजी का सम्बन्ध है, इसके रुपे सधाये नियम हैं। इनके सम्बन्ध में हमें विशेषज्ञों की बात को मानना पड़ता है । वह यदि धर्म पर, आचरण पर बात कहना चाहे तो कह सकता है । यदि कोई आदमी, जिसने कभी केमिस्ट्री, फिजिक्स की बात पढ़ी ही नहीं वह इस पर भाषण करने लगे तो वह कामयाब नहीं हो सकता। उसी तरह आज हर एक आदमी आचरण का उपदेश करना चाहता है पर उसके उपदेश के पीछे उपदेश के अनुसार आचरण नहीं है । तो उसका इस प्रकार का उपदेश करना निरर्थक है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि अध्यापकों का दोष है; विद्यार्थियों का दोष नहीं । मैं कहता हूँ, सभी का दोष है। जो आज अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में फैल रही है, जो नैतिकता का पतन आज विद्यार्थियों में हो रहा है वह हमारे लिये एक गम्भीर चिन्ता का विषय बना हुआ है । जो इनमें नैतिकता का पतन हो रहा है उसको रोकें, जो अनुशासनहीनता बढ़ी रही है उसको रोकें, इसके लिये प्रयास करें । पर साथ ही साथ हमें देखना होगा कि हमारे समाज में कुछ इस प्रकार का वातावरण पैदा हो गया है कुछ इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और चरित्रहीनता पैदा हो रही है उसको भी हमें रोकना होगा । उसके लिये मास्टरों को दोषी ठहराया जाय, मास्टरों को सजा दी जाय, यह उचित नहीं होगा । हमें सोचना होगा कि आखिर ये मास्टर भी आये कहां से हैं, मास्टर भी बने कहां से हैं । जो कल के विद्यार्थी थे वे पढ़ने-लिखने के बाद में मास्टर बने हैं, आखिर ये लोग भी समाज में से ही आये हैं ।

सभापति महोदय, स्टेशन पर एक आदमी टिकट लेने के लिये खड़ा है । उसको यदि पूछा जाय कि तुम कहां जाना चाहते हो और वह व्यक्ति यदि इस प्रश्न का उत्तर न दे सके तो वह यह नहीं बता सके कि वह कहां जायेगा तो पूछने वाला और आसपास खड़े सभी आदमी उस पर हंसेंगे, टिकट बाबू भी उस पर हंसेगा । तो आज हम स्वयं इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं कि हम स्वयं किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा कैसा आचरण है। इसका कोई पता नहीं । जो कर्म हम करते हैं वह कर्म करने में हम पागल आदमी की तरह दौड़ लगा रहे हैं, कर्म की विश्रृंखल, ऊटपटांग दौड़ धूप में आज हम लगे हुए हैं । तो जितना ध्यान इन पंच वर्षीय योजनाओं में और और योजनाओं की तरफ दिया जाता है उतना ही ध्यान इस दिशा में भी दिया जाना आवश्यक है ।

Page No.104

(श्री तनसिंह)

आज जितने विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनसे पूछिये कि पढ़ने के बाद क्या करोगे? तो पढ़ने-वाला कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं इन्जीनियर बनूंगा, कोई कहेगा मैं थानेदार बनूंगा, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस बनूंगा, कोई कहेगा कि मैं कलेक्टर बनूंगा। पर आखिर उनका उद्देश्य क्या है? चाहे डॉक्टर बने या थानेदार बने या कोई अधिकारी बने। इन सब के पीछे रुपया कमाने के सिवाय और कोई बात नहीं है। तो ग्रामीण आदमी जो खेती करता है उसमें और इस पढ़े-लिखे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। एक आदमी चर्खा चला चला कर दिन भर में दो तीन छटांक सूत कातता है और मिल में कुछ ही क्षणों में ढेरों सूत कात लिया जाता है तो यह मिकदार का अन्तर है और कोई अन्तर नहीं। उसी तरह आर्थिक दृष्टिकोण से गांव में रहने वाला साल भर में दो ढाई हजार रुपया कमा लेता है और पढ़ा-लिखा आदमी महीने में ढाई हजार रुपया कमा लेता है, पर पढ़े-लिखे आदमी में और गांव वाले व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं; अन्तर रुपयों का है। यदि शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य यह हो कि पैसा कमाया जाय, जैसा कि आज-कल के विद्यार्थी चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख कर पैसा कमायें तो यह शिक्षा का अवगुण है, इसे सच्ची शिक्षा नहीं कहा जा सकता।

आज स्थिति यह है कि चारों तरफ लोग पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं। तो वह मानवता कहां गई? आज लोग बड़ी बड़ी अहिंसा की, सत्य की और मानवता की बातें करते हैं पर आज-कल ये सब बातें केवल किताबों की बातें रह गई हैं। इनके अनुसार आचरण नहीं हो तब तक इस प्रकार का उपदेश दिया जाय उसका कोई असर नहीं हो सकता।

यह जो प्रस्ताव रखा गया है इसको स्वीकार करने के बाद भी एक दम कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होने वाला नही है क्योंकि हमारे चारों ओर सारा का सारा वातावरण रुपया-पैसा कमाने की तरफ है। धर्म का नाम लेकर राजनीति के दृष्टिकोण से इसको इधर-उधर उछालने की कोशिश करेंगे तो आप मानवता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आज आपके ऊपर एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व है कि मनुष्यता को विकसित करें, शिक्षण देकर मानव को सही माने में मानव बनायें और यह तभी हो सकता है जब व्यवहार और अच्छे आदर्श व रिवाज हमारे यहां पर हों, जो बच्चों के दिमाग में बचपन से ही भरे जा सकें। जो भावना और विचार बच्चों के दिमाग में बचपन से ही भरे जावेंगे वे आगे जाकर उसके चरित्र-बल को बनाने वाले होंगे। मैं पुराने जमाने की बातों को अधिक नहीं कहना चाहता? लेकिन मैं यह कहूंगा कि बहुत कुछ लिखने-पढ़ने के बाद जब उसको विद्यालयों से सीख दी जाती थी तो उस समय कन्वोकेशन भाषण दिया जाता था और जो कन्वोकेशन भाषण दिया जाता था उसमें सब धर्मों की बातें आ जाती थी :

सा विद्या या वि मुक्तये।

सत्यमेव जयते।

यदा यदहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः।
अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

ये सारे जीवन के सार की बातें थीं। ये चीजें

(श्री तनसिंह)

जो जीवन में सार की होती थीं वे सब उसमें आ जाती थीं ।

आज यह कहा जा सकता है कि अमुक धर्म में यह गलती रही है और अमुक धर्म में यह गलती है । आप देखेंगे कि सब धर्मों में कोई न कोई दोष तो बताया ही जा सकता है; कोई न कोई दोष तो मिलेगा ही: लेकिन इसके साथ ही साथ यह तो सत्य है कि जो मूल सिद्धान्त हैं वे सभी धर्मों में आपको एक ही मिलेंगे; जैसे सत्य बोलना अच्छी बात है, सत्य बोलना चाहिये । इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सत्य बोलना अच्छा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे राम राज्य की सरकार आवे या और कोई सरकार आवे, मगर कोई यह नहीं कहेगा कि झूठ बोलना अच्छी चीज है । अब आप यह कहेंगे कि झूठ बोलना किसी को सिखाया नहीं जाता है फिर भी लोग झूठ बोलते हैं । मैं कहूंगा कि मनुष्य को यह सिखाया नहीं जाता लेकिन मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह ढलाव की तरफ जाती है । मनुष्य को शराब पीना कौन सिखाता है ? बीड़ी व सिगरेट पिलाने के लिये किसी को कोई शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है; न किसी को इसके लिये भाषण देने की जरूरत है । भाषण और शिक्षा देने की जरूरत तो निम्न स्तर से ऊपर उठाने के लिये होती है । मगर मनुष्य जो पशुता की ओर जाना चाहता है तो उसके लिये कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है । उसको मनुष्य बनाने के लिये शिक्षा दी जाती है । आप यह भी कहेंगे कि शिक्षा में झूठ बोलने की शिक्षा तो नहीं दी जाती है मगर फिर भी वह झूठ बोलता है । मैं यह कहूंगा कि यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो हमेशा ढलाव की तरफ मनुष्य को ले जाती है ।

अब आप यह कहेंगे कि अनुशासन-हीनता बढ़ती जा रही है, इसलिये इसको रोकने के लिये दंड का प्रावधान होना चाहिये; लेकिन यह हमारी कमजोरी का परिचायक है । यह इस बात को प्रकट करता है कि शिक्षा के अन्दर योग्यता और व्यक्तित्व नहीं होने से यह होता है कि वह इस प्रकार के दण्ड का आश्रय लेना चाहता है । इसलिये और भी कई बातें है जो हमारी मनोवृत्ति बनाने की ओर होती हैं । इसके लिये मानव को मानव बनाने की शिक्षा हमारे यहां पर होनी चाहिये । इस चीज से इधर या उधर बैठने वाले कभी भी इन्कार नहीं कर सकते । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जैसा यह प्रस्ताव रखा गया है उसमें प्रस्तावक महोदय ने जैसा कहा वैसे इसको राजनैतिक दृष्टि-कोण से देखने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि हम आज कल इस अवस्था पर पहुंच गये हैं कि मानव के विकास के लिये देश में शिक्षा होनी चाहिये । इसमें हम पिछड़ रहे हैं । इसलिये अब भी समय है कि इसके लिये कोई हल निकाला जाए । मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इसमें किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हों । मैं इस पर अधिक नहीं कह कर यही निवेदन करूंगा कि शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार की शिक्षा अवश्य हो जो आदमी बनाती हो । जो बकवास है उसको छोड़ दें । वह प्रोपेगेन्डा है । अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से या माननीय मिनिस्टर के दृष्टिकोण से धर्म की शिक्षा देना उचित नहीं हो तो वह छोड़ दी जाए

(श्री,तनसिंह)

लेकिन दूसरी सदाचार आदि की शिक्षा तो अवश्य दी जाए।

समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री शिक्षा) : सभापति महोदय, इसके उत्तर देने में मुझे आधा घंटा लगेगा ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्र '.सभापति : अब समय कहां है ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सभापति महोदय, We can speak till 5 P. M. and then the resolution will be treated as talked out by the House.

श्री सभापति : माननीय मन्त्री कुछ बोलना चाहते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : यह जरूरी नहीं है । बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ,तो उनको बोलने दिया जाए और समय हो जाता है तो यह संकल्प टॉक्ड आउट हो जाता है ।

श्री सभापति : But if the Government wantu.to.express its views with regard to the resolution then it should be given a chance. दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो यह कि रिज़ोल्यूशन पैन्डिग रहे ।

एक माननीय सदस्य : पैन्डिग नहीं रह सकता ।

श्री सभापति : पैन्डिग रह सकता है । रिप्लाई अगर कन्वल्यूड नहीं हो वह फिर कभी भी आगे आ सकता है । दूसरी स्थिति यह है कि आधा घंटा और बढ़ा दिया जाना चाहिये और तीसरा तरीका यह हो सकता है कि आप पांच पांच मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दें, अगर इस पर आप यह समझते हों कि बोलना बहुत आवश्यक है तो ।

श्री श्रीभानसिंह : रिज़ोल्यूशन तो पैन्डिग नहीं रह सकता क्योंकि जब हाउस एडजोर्न हो जाता है तो जितने भी रिज़ोल्यूशन्स होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं ।

श्री सभापति : I remember of a resolution which related to Nath Dwara Temple Board, the reply to which was not given in that particular Session. That resolution remained pending and the reply was given by Hon'ble Shri Bhairon Singh in the next Session. Anyway, I am not particular that the resolution may remain pending. It is just a proposal. Yes, Shri Kala Badal.,

श्री भैरवलाल 'काला बादल'(अकलेरा सु०) : सभापति महोदय, आज हाउस में जब माननीय सदस्य इस संकल्प पर बोल रहे थे तो मैं ऐसा डूबा हुआ था मानो राम और रावण के युद्ध में कोई बह रहा हो ?

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

और उधर माननीय सभापति महोदय, नैतिकता व मैत्री पर व राष्ट्र प्रेम और व्यवहार कुशलता पर जो कहा गया, यह मैं समझता हूँ कि वह बहस का मुख्य अंग है। नैतिकता अच्छी चीज है, मगर धर्म को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से माना है। चोरी करने वाले हैं वे लोग चोरी को अपना धर्म मान बैठे, शराब पीने वाले से पूछा जाय तो वह कहेगा शराब पीना अच्छा है। व्यभिचार करने वालों से पूछो तो वे कहेंगे कि मेरा यह धर्म है। असल में यह धर्म नहीं है, यह असली धर्म नहीं है। नैतिकता धर्म है, चरित्र-बल धर्म है, राष्ट्र प्रेम धर्म है, व्यवहार-कुशलता धर्म है। मगर यह चीज हमारे यहां से उठती जा रही हैं। व्यभिचार करने वाले कहते हैं कि यह धर्म नहीं है, क्योंकि जो शराब पीता है, चोरी करता है उसको कितना ही समझाया जाये मगर वह नहीं मानता है........

श्री अर्जुनदास : (अजमेर-पश्चिम) वे लोग झूठ बोलते हैं........

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : वह तो यह कहता है कि झूठ बोलना धर्म है; चोरी करना धर्म है।

सभापति महोदय, हमारे पुराने जमाने में कुछ संत लोगों ने एक मुख्य मन्त्र बनाया था और वह यह बनाया था कि 'दया धर्म का मूल है'। इस मूल की जगह लोगों ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो धर्म माना इस मूल मन्त्र को तोड़ मरोड़ कर किस प्रकार बिगाड़ा, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मन्त्र को बिगाड़ कर दूसरा मन्त्र बनाया और दुनिया को धोखा दिया ...

श्री सभापति : आपके पास लिखा हुआ है तो आप दे दें। मेज पर रख दें।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : भाषण लिखा है। मेज पर रखने के लिए नहीं है। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है।

श्री अर्जुनदास : यह खुद का लिखा हुआ नहीं है और किसी से लिखवाया हुआ है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल': यह तो सभी जानते हैं। इस मूल धर्म को बिगाड़ कर नया मन्त्र बनाया और यह बनाया "करो पाप और खाओ धाप"। पहले यह था कि जो धर्म से रहता है उसको मिलना चाहिये। मगर उन्होंने पाप करने को धर्म समझा। यह कह दिया कि 'करे धर्म और फूटे कर्म'। असली मूल धर्म को बिगाड़ने के लिए यह कह दिया कि 'करेगा धर्म तो फूटेगा कर्म'। यह नारा लगा कर मूल धर्म को बिगाड़ा। इस प्रकार दो तरह के इन्सान हुए। आसुरी यानी राक्षस–प्रकृति के और दूसरे देवी प्रकृति के। राक्षस लोग जिस प्रकार से देवता बनना चाहते थे वे राक्षस लोग उसको अच्छा नहीं समझते और उनको वह अच्छा नहीं लगता और यही कारण है कि शुरू में राम और रावण का युद्ध हुआ। यह कहा जाता है कि रावण ने सीता को उड़ाया; उसको समझाया गया कि रावण मान यह रास्ता अच्छा नहीं है, मगर उसने नहीं माना। युद्ध

(श्री भैरवलाल 'कालाबदल')

हुआ । राम की विजय हुई । आज दुनिया तो राम और रावण को याद करती है । आज हाउस में माननीय सदस्य ने नैतिकता और धर्म पर, माननीय चतुर्वेदीजी ने, प्रस्ताव रखा है । श्री चतुर्वेदीजी का कहना वाजिब होगा लेकिन जिस प्रकार से तोड़-मरोड़ कर, मूल मन्त्र को बिगाड़ कर लोगों ने अपने अपने धर्म बनाये हैं तो मैं, सभापति महोदय, कहूँगा 'कि सबै भूमि गोपाल की' यह धर्म सबके लिए था, लेकिन अपने अपने धर्म लोगों ने अलग अलग बना लिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : कहिये, श्री हरिप्रसाद जी ! आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०): माननीय सभापतिजी, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उस पर सदन में बहस चल रही है । इतिहास काल से आंख फाड़ कर देखें तो धर्म सब जगह है । धर्म नहीं है तो हम नहीं हैं, हमारे सहयोगी मित्र नहीं हैं । धर्म तो है । हमारे माननीय चतुर्वेदी, जो इस सदन के माननीय मन्त्री भी रहे हैं....

कई माननीय सदस्य : सदन के मन्त्री नहीं ।

श्री हरिप्रसाद यादव : उन्होंने जो संकल्प रखा है उस पर बहस हो रही है । उस पर मुझे खुशी हुई । सभापति महोदय, मैं जहां से चुन कर आया हूँ वह मेवाड़ की वीर भूमि है जहां महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हैं । आज की सरकार में बैठे लोग भले ही उनके अनुयायी होने का दम भर रहे हैं पर वे आज खाली राग अलाप रहे हैं । राजस्थान देश के इतिहास की परम्परा में वीरता का एक प्रतीक रहा है । भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलालजी भी यह कहते हैं कि जब मैं राजस्थान में आता हूँ तो क्रांतिकारी बन जाता हूँ । धर्म के ऊपर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहस की । मुझे उस समय मेवाड़ का, चित्तौड़ का वह किला नजर आया जिसमें धर्म के लिए रानी पद्मिनी जल कर मर गई । महाराणा प्रताप की कहानी और सम्पूर्ण मेवाड़ की कहानी एक धर्म की कहानी है । वह क्या है : "जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार" ! आज हम धर्म की और नैतिकता की बात करने के लिए सवेरे से यहां आये हैं । माननीय मित्रों की बातें सुनी, उनकी कहानियां सुनीं, व्यभिचार, अनाचार, अश्लीलताओं के दृश्य उन्होंने दिखाये । उनसे कोई सदन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा हो, ऐसी कोई बात नहीं है । सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करूं कि धर्म इतिहास काल से आज भी है । धर्म आज अलग अलग जातियों में बंटा हुआ है । परन्तु धर्म आज है । देश के अन्दर मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, वे सब धर्म के प्रतीक है । किसी जाति का व्यक्ति हो, हम भी अलग अलग क्षेत्रों से यहां चुन कर आते हैं और अलग अलग जाति के हैं पर धर्म का आचरण करते हैं; इसलिए एक ही हैं । जिसका बाप धर्म को मानता है, परिवार जिस धर्म को मानता है, माता-पिता जिस धर्म को मानते हैं उस परिवार के लड़के-लड़की भी उसको

(श्री हरिप्रसाद यादव)

मानेंगे और उनमें धार्मिक प्रवृत्ति फैलेगी। मैं आपको उदाहरण दूं। लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम सदन में अनुसूचित जाति की सीट से चुन कर आये हो। लेकिन मैं बताऊं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। रामायण का फायदा हमको भी मिला है। नैतिकता और धर्म की बात है, कृष्ण के वंशज होते हुए भी हमारा रिज़र्वेशन किया है। सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि का जब सिर काट डाला तो उसके लड़के परशुराम ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं यादवों का नाश करूंगा। उसने स्त्रियों के गर्भ गिरा दिये। यह ऐतिहासिक बात है और धार्मिक बातें ही बता रहा हूँ ताकि माननीय सदस्यों को ज्ञान हो।

(व्यवधान)

तो यादव लोग कहने लगे कि हम तो जादव हैं, कोई कहने लगे कि हम जाटव हैं। कोई जादव बने और कोई जाटव। उनको अपना धर्म बदलना पड़ा। उस धर्म के लिए....

श्री सभापति : आप जाटव से फिर यादव हो गये ?

श्री हरिप्रसाद यादव : धर्म की बात है। जैन धर्म भी है। सत्य और अहिंसा का नारा भी सुनते हैं। श्री मूलचन्द डागा ने कहा। जैन समाज, ब्राह्मण समाज को ले आते हैं। मेरे श्वसुर हैं भीमारामजी यादव-भीन्डर के हैं। जैनी हैं २५ वर्षों से। वे जैन धर्म को निभाते हैं। सही बता रहा हूँ। धर्म एक ही है, अलग अलग नहीं है।

नैतिकता स्कूलों में लाना चाहते हैं। माननीय मित्रों ने कहा कि स्कूलों में व्यभिचार होता है, अनाचार होता है। ऐसी बात नहीं होती। हम भी स्कूलों में पढ़े थे।

श्री सभापति : ये बातें कॉलेजों में होती हैं, चटशालाओं में नहीं।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापतिजी भी चरित्रवान हैं, एज्युकेशन मिनिस्टर साहब भी चरित्रवान हैं। नैतिकता का सवाल है। मैं

(व्यवधान)

निवेदन करूं कि भारतवर्ष के इतिहास को पढ़ लीजिये। धर्म धर्म ही रहेगा, इतिहास काल से यह सही है। धर्म की निन्दा करने वाले व्यक्ति शैतान हैं और यह पुराने शास्त्रों और ग्रन्थों में लिखा हुआ है। इसलिए आज धर्म और नैतिकता की बातें आयें तो अच्छी बात है। उनको मानना चाहिये। आज हमारा सदन किसी अन्य परिस्थिति में है इसलिए इसको वापिस लेना पड़ेगा, यह दूसरी बात है। वैसे चतुर्वेदीजी चाहते तो स्कूलों के हैडमास्टरों को, शिक्षण संस्थाओं को, सहायता प्राप्त संस्थाओं को लैटर लिख कर उनमें सुधार लाते तो धर्म की बातें ठीक हो सकती थीं। यहां आज राजनैतिक तबके के लोग कानून बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, धर्म की बात यहां आई; इसलिए मैं फिर दोहराऊं कि : "जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार।" धर्म और नैतिकता के ऊपर चलना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्रों में हम धर्म और नैतिकता की बात करें; तो राजस्थान का सुधार हो सकता है। इतना ही कह कर

(समय समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री हरिप्रसाद यादव)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि खुद चरित्रवान बनें।

श्री सभापति : वे सब ही हैं, आप मान कर चलें।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री (आमेर-सु०) : माननीय सभापति महोदय....

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : माननीय सभापति महोदय, कुछ समय दीजिये।

श्री सभापति : अब समय नहीं है।

श्री रामचन्द्र : पांच मिनट ही दे दीजिये।

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : I will make only one request. The House has devoted full one day to this resolution. So let the matter be decided finally at about 5.

श्री सभापति : मुझे दुख है कि आपको समय नहीं मिलेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैं मेरी बात का उत्तर चाहूँगा। दो मिनट ही दे दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं समझता हूँ कि दो मिनट में आप कह नहीं सकेंगे अपनी बात। ऐसी शकुन की बात कोई होनी भी नहीं चाहिये।

श्री रामचन्द्र : विषय के ऊपर शीर्षक रूप में ही कुछ रखूंगा।

श्री सभापति : यस, मास्टर रामचन्द्र जी ! आप कहिये ! दो मिनिट में।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, वैसे संकल्प रखा गया है उस पर विचार प्रकट करने के लिए काफी सोचा था, लेकिन समय की कमी है इसलिए विषय को शीर्षक रूप में ही रखना चाहूंगा। पहला तो यह है कि कोई राष्ट्र अपने बच्चों को अनैतिकता के रूप में बना कर कभी फल-फूल नहीं सकता है। इसलिए नैतिकता आवश्यक है।

दूसरी बात है नैतिकता और धार्मिकता की। मेरा मतलब उस धर्म से नहीं है जो आम तौर पर बाजारों में सोचा करते हैं; मेरा मतलब मानव धर्म से है। नैतिकता और मानव धर्म प्रत्येक विद्यार्थी में आना चाहिये और यह ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु खरीद कर लाकर बच्चों को दे दी हो। इसका डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की है और उसके बाद उसके गुरु की। गुरु केवल पुस्तकों द्वारा शिक्षा दे सकता है और परिवार के लोगों पर उसको प्रेक्टिकल रूप देने के लिए जिम्मेदारी है। केवल शिक्षक पर इसका भार रख कर माता-पिता अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जावें, यह उचित नहीं है।

तीसरी बात यह है कि यह जो दोष है उसका जिम्मेदार कौन है ? सबसे पहले राज-

Page No.111

(श्री रामचन्द्र)

नैतिक पार्टियां। कोई राजनैतिक पार्टी किसी आन्दोलन को उठाती है तो विद्यार्थियों को टूल बना लेती है जो कि नहीं बनाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने एज्यूकेशन के अन्दर जितने भी नियम डाल रखे हैं उन सब के लिये बराबर प्रबन्ध नहीं होता। उसमें बहुतसी चीजों का प्रबन्ध नहीं होता अध्यापकों का प्रबन्ध नहीं होता, इसलिये भी लड़के आजाद हो जाते हैं और इसीलिये उनमें अनुशासन नहीं होता। अगर आप यह चाहें कि हमारे बच्चे नैतिक और धार्मिक प्रवृत्ति वाले हों तो हमें यह चाहिये कि सरकार एक प्रकार से जो प्रोग्राम बनाया करती है समाज कल्याण आदि का, कोऑपरेटिव आदि का उसमें होता क्या है सरकार इन बालकों को उसमें शरीक कर लेती है और राज्य के कर्मचारी उनसे नारे लगवाया करते हैं, इसलिये वे अपने आपको एक प्रकार से नेता बने हुए मान लेते हैं; मैं समझता हूं इस प्रकार से लड़कों का सहयोग किस ... प्रोग्राम को सफल बनाने के लिये है वह कतई बन्द हो जाना चाहिये। यही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु.): माननीय सभापति महोदय, आज जो संकल्प उपस्थित किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं जो कुछ भी इस बारे में कहना चाहूँगा वह दो मिनट में कह दूंगा। इस सम्बन्ध में कई बातों का उल्लेख किया गया है। मैं उनमें जाना नहीं चाहता। अगर जाऊं तो तीन घंटे का समय लग सकता है। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यह बीमारी आखिर कहां से आई। इस पर हमें विचार करना होगा। इसके लिये मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि आज के शिक्षा शास्त्रियों का इस प्रकार के नैतिक पतन में कितना हाथ है ? इस बारे में प्रमाण पेश करना चाहता हूं। आज जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं दुनिया के, संस्कृत के उन विद्वानों को जाकर पूछ लीजिये कि पहले पहल बच्चे को कहां से पढ़ाया जाता है ? हमारे लघु सिद्धान्त कौमुदी में लिखा है....

'अकुहु विसर्जनीयानां कंठ' यानि अ क ह इनका स्थान कंठ है। लेकिन आजकल का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहले पहल 'मा' शब्द से शिक्षा दी जाती है जो बच्चा बोल नहीं सकता। शिक्षा शास्त्रियों को इस बात का ज्ञान नहीं कि शुरू में बालक को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिये....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उसमें भी सिद्धान्त शास्त्री लेने चाहिये थे।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री: संस्कृत की पुस्तकों को उठा कर देखिये। जिन पुस्तकों को ऋषि महर्षियों ने रचा है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। आज हालत यह हो रही है 'अपूज्या यत्र पूज्यन्ते' यानी जिस समाज के अन्दर जो लोग पूजने लायक नहीं उनकी पूजा होती है और जो पूजने लायक हैं उनका तिरस्कार होता है। तो उस समाज का क्या हाल होता है ? आज हम देखते हैं पत्नी पति का कहना नहीं मानती, सिनेमा देखती है 'मधुमती' अच्छा चल रहा है उसे देखना है। आज हम स्कूलों में देखते हैं, आज जो अध्यापक सीधे सादे वेश में रहता है उसका

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

कोई आदर नहीं करता और जो लोग अपटू-डेट सिगरेट पीते हुए क्लास में जाते हैं और अपना रौब छात्रों पर डालते हैं उनकी पूजा होती है और इसके साथ साथ पीकर चले जायं तो और ही निराली पूजा होती है। अगर हम इस बीमारी को मिटाना चाहते हैं तो पहले हमें स्कूलों में अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था करनी होगी। उसके साथ साथ चरित्रवान् अध्यापकों की व्यवस्था करनी होगी तभी जाकर लड़कों में नैतिकता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इतना ही मेरा इस पर निवेदन है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री, शिक्षा) : माननीय सभापति महोदय, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसमें सरकार से मांग की गई है कि सरकारी जितनी भी संस्थायें हैं उनमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा अविलम्ब लागू कर दी जाय। इस पर सदन ने काफी गंभीरता से विचार किया और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी सामने आये। कई बातें ऐसी भी कही गई जिनमें किसी ने अनैतिकता का कारण छात्रों को बताया, किसी ने कांग्रेस को बताया, किसी ने समाज को बताया। इस पर मेरा निवेदन यह है कि पहली बात तो यह सोचना गलत है कि हमारे विद्यार्थियों में अनैतिकता ज्यादा है और दूसरी जगह पर कम है या इस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है कि अनैतिकता यहां बढ़ती जा रही है, नैतिक स्तर गिरता जा रहा है दूसरा समाज बहुत ऊंचा है, यह कल्पना गलत है। मेरा इस बारे में नम्र निवेदन है कि समाज का जैसा स्तर है वैसा ही हमारे विद्यार्थियों का है। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है वह इसी उद्देश्य से रखा है कि देश में नये नागरिकों का जो निर्माण होता है, जहां से होता है वहां पर इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाय जिससे वहां की हालत सुधर सके। अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सके। इसी भावना से यह प्रस्ताव रखा गया है। इस सम्बन्ध में जिस प्रकार से यहां विचार और वाद-विवाद हुआ उसका मतलब मानो यह हो कि नैतिक स्तर यहां के बच्चों का अधिक गिर गया हो। हमारे देश के अन्दर नैतिक स्तर कुछ गिर गया हो या दूसरे देशों की अपेक्षा हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों का नैतिक स्तर गिर गया हो, यह बात मैं नहीं मानता।

आज दुनिया के सामने एक समस्या है, जो समय से चली आ रही है। नैतिक स्तर आम तौर से गिरता जा रहा है। इसका कारण मैं समझता हूँ न तो धार्मिक शिक्षा की कमी ही है और न अन्य कारण हो। इसका मुख्य कारण तो यह है कि आज के जमाने में जहां शिक्षा का प्रसार अधिक हो गया है उसके साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा का उतना ही प्रसार हो रहा है। आज ऐसा युग आ गया है जिसमें आवागमन के साधन बहुत बढ़ गये हैं; अखबार तार आदि की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि एक जगह के समाचार दूसरी जगह फौरन प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, बुराइयां-अच्छाई की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं और यही कारण है कि आज के जनतन्त्रवाद के अन्दर पढ़ाई-लिखाई के कारण लोगों का हौसला बढ़ गया है और इस पर नियन्त्रण न

Page No.113

श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रखने के कारण यह दुनिया के लिये एक समस्या बन गई है। नैतिक स्तर को कायम रखना वहां के दार्शनिक और धर्म गुरुओं पर रहा करता है लेकिन जो विज्ञान और वैज्ञानिकों ने चैलेन्ज दिया है उसके कारण हमारे दार्शनिक और धर्म गुरु पीछे रह गये हैं। पहले एक ऐसा समय था कि लोग अपने दायरे से, एक घेरे से बाहर जाते हुए डरते थे लेकिन आज का समय है कि हर व्यक्ति अपना ज्ञान बढ़ाने के लिये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि एक से दूसरे देशों की दूरी बहुत कम हो गई है। इसके कारण वैज्ञानिकों ने हमारे दार्शनिकों और धर्म गुरुओं को बहुत पीछे रख दिया है। यह एक बड़ी समस्या है। आज जो सोचने का तरीका है उसका हम मुकाबला पुराने तरीकों से नहीं कर पा रहे हैं। आज लोगों को सोचना पड़ेगा कि सच हम किसलिये बोलते हैं इसलिए कि सच्चाई हमारी तरक्की के लिये और हमारे खुद के लिये आवश्यक है। आज अगर किसी को यह कहा जाय कि झूठ बोलने से नारकी मिलेगी तो कोई इसको मानने वाला नहीं। यदि कहीं नारकी बता भी दी जाय तो लोग वहां पर जाकर भी आ सकते हैं। ऐसी हालत में जरूरत इस बात की है कि धर्म से जो हम सेन्स लेते हैं उसके लिये युनिवर्सल कोड ऑफ मोरल कन्डक्ट की आवश्यकता है, वह जांचने की जरूरत है। खास तौर से जो हमारे सामने समस्या है उसकी बुनियाद ही यही है। यह भी कहा गया कि सिकुलरिज्म होने के कारण नैतिक स्तर में इतनी गिरावट आई है। सिकुलरिज्म का यह मतलब नहीं कि हम कोई अधर्म का प्रचार करते हैं। इसका मतलब केवल यही है कि हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है। इसके सीधे से मायने यह हैं कि सरकार किसी एक धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देती। सरकार द्वारा किसी एक धर्म को राज्य का आश्रय प्राप्त नहीं। यही मतलब सिकुलरिज्म का है। आज इस पर किसी प्रकार की बन्दिश नहीं। हर धर्म का मानने वाला चाहे वह मन्दिर में जाय, मस्जिद में जाय, गुरुद्वारों में जाय, कोई कहीं जाय, हरेक को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतन्त्रता है। यहां सिकुलरिज्म का मतलब केवल इतना ही है। किसी एक धर्म का पक्ष नहीं कर सकते। किसी एक धर्म को राज्याश्रय नहीं दे सकते। राज्य किसी एक धर्म को नहीं मान्य कर सकता। यह भी कहा गया कि कांग्रेस के राज्य में खास तौर से यह कमी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ—कांग्रेस राज्य को हुए केवल १३ साल हुये हैं, १९४७ से लेकर ६० तक यह १३ साल का शिशु हुआ है इस शिशु अवस्था में ही उसने इतनी अनैतिकता का प्रचार कर दिया हो, यह बात नहीं। जो राज्य बहुत पुराने चले आ रहे हैं; पचास, साठ सत्तर वर्ष से चले आ रहे हैं उनके लिये यह न कह कर कांग्रेस के १३ साल के शिशु के लिये यह कहना कि अनैतिकता का प्रचार कर दिया है वह बिल्कुल ही असंगत बात मालूम होती है। अब वह खुद हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं वे सब अनैतिक हैं और पुराने सभी लोग नैतिक हैं। मैं पूछता हूँ आज जो भ्रष्टाचारी हैं, चोरी डकैतियां करते हैं तो वे तो सभी बुजुर्ग पुराने युग के ही लोग हैं, इस युग में नहीं जन्मे हैं, वे सब उस युग में जन्मे थे जब कि पुरानी व्यवस्था थी। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

है । यह गम्भीर समस्या है । इसे हमें सुलझाना है । जब शुरू में प्रस्तावक को मैं सुन रहा था तो यह समझ रहा था कि धर्म से उनका मतलब किसी विश्व धर्म या मानव धर्म से या एक ऐसा नैतिक धर्म कहिये जिसको मानकर मनुष्य अच्छे कार्यों को करने के लिये प्रेरित हो, से है । पर धीरे धीरे बहस के दौरान में जो बातें सुनने में आईं तो मालूम हुआ कि इस धर्म को और भी संकुचित रूप में समझा जाने लगा है । आज देश की जैसी परिस्थिति है उसमें इस प्रस्ताव के अनुसार धार्मिक शिक्षा अविलम्ब रूप से लागू करने से अनेकों शंकाएं पैदा हो सकती हैं ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या मतलब है ? कुछ और सदस्य बोले उसके बाद में संकुचित लगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप मेरी जितनी ही सब्र रखें । खास तौर से माननीय सदस्य को सुना, तो ऐसी बात सामने आई । तो मैं समझता हूँ कि इसमें 'धार्मिक' शब्द उपयुक्त नहीं है क्योंकि कोई भी इसको पढ़ने वाला अपना धर्म जो आज प्रचलित अर्थ में है, से ही अर्थ लेगा । जैसे उदाहरण के तौर पर आज बोलने वाले हिन्दू मत वाले ज्यादा थे तो सती सीता, सावित्री और उनकी संस्कृति की बड़ी बड़ी बातों और गीता और रामायण को ही अधिक चुना । शायद अगर मुसलमान अधिक बोलने वाले होते तो वे कुरान से ज्यादा प्रेरणा लेते, सिख या जैन होते तो वे अपने अपने धर्म ग्रन्थों को ज्यादा महत्व देते । तो मनुष्य की कुछ प्रकृति ही ऐसी है कि उसका अपने अपने धर्म से अधिक लगाव होता है और उस सीमा से बाहर निकलना उसके लिये मुश्किल हो जाता है । और फिर राजनीतिज्ञों के हाथ में ऐसी बातें पड़ जावें तो सबको खुश करने की बात वे करते हैं; पुराने विचार और नये विचार वाले दोनों को साथ लेने की बात करते हैं । तो मैं समझता हूं कि यह 'धार्मिक' शब्द इसमें लगाना उपयुक्त नहीं होगा । होना यह चाहिये धार्मिक की जगह आध्यात्मिक शिक्षा, ये शब्द हम प्रयुक्त कर सकते हैं । इसमें हमारा सारा आशय समा सकता है । तो इस तरह का शब्द कुछ होता तो मेरे ख्याल से ज्यादा उपयुक्त और अच्छी चीज हो सकती थी ।

फिर यह बात कही कि राणा प्रताप और शिवाजी ने भी कोशिशें कीं और ऐसी बातें कही गईं कि मानो माननीय सदस्य ही उनके उत्तराधिकारी हों । शिवाजी और राणा प्रताप स्वतन्त्रता के लिये लड़े और उस दल में बैठने वाले भी स्वतन्त्रता के लिये लड़े । मैं निवेदन कर दूं कि इस तरह की बात करने वाले माननीय सदस्य और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य तो उस समय जब कि इधर वाले लोग अंग्रेजों के वक्त में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो माननीय सदस्य तो उस वक्त थोड़ा बहुत विरोध ही कर रहे थे और अंग्रेजी शासकों के ज्यादा भक्तों में से थे उस वक्त तो । इस तरह का आक्षेप किया गया मानो शिवाजी का और प्रताप का हम विरोध करते हैं या हमारी विचाराधारा उनसे अलग है । उनकी विचाराधारा भी आजादी की थी और हमारी भी । वे राष्ट्र की धरोहर हैं । उन देश की आजादी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

को लड़ाई लड़ने वाली हस्तियों को इस छोटे से मामले में खींचने की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : Have I the leave of the House to extend 15 minutes' time ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : There will not be any need of it.

श्री सभापति : Even then to dispose of the business it will take 15 minutes.

(स्वीकृत)

Yes, time is extended to 5.15 P. M.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तो मैं निवेदन कर रहा था। इस समस्या के प्रति भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों समान रूप से जागरूक हैं। आज से चार साल पहले राजस्थान सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया था कि शिक्षण संस्थाओं में हम किस तरह से नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हैं। संविधान की धाराओं को देखते हुए क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया धार्मिक शिक्षा, उस माने में इन धाराओं को देखते हुए नहीं दी जा सकती थी तो उसका क्या स्वरूप हो, ताकि उसका दुरुपयोग न हो और जो संविधान की गारन्टी है वह भी नहीं टूटे और हम अपने विद्यार्थियों का नैतिक स्तर भी ऊंचा उठा सकें और समाज को भी उनके द्वारा ऊपर उठा सकें। तो हमने इस उद्देश्य से एक समिति का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट सदन के सामने पेश हुई। इसके लिए हमने कॉलेजों और स्कूलों को लिखा भी। इसके बाद में भारत सरकार ने आज से डेढ़ साल पहले एक कमेटी और कायम की थी जिसके अध्यक्ष श्री श्रीप्रकाश जो बम्बई के राज्यपाल हैं, थे। उन्होंने अपनी एक सिफारिश पेश की और वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को और बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन को को पेश हुई।

तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग ने भी करीब करीब जितनी उनकी सिफारिशें थीं उनको मन्जूर करके राज्य सरकारों के पास भेज दिया। आज से तीन–चार महीने पहले और उसमें राज्य सरकारों की राय भी मांगी है कि वह अगर नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जावे तो उसका क्या स्वरूप हो। उनके पास लिट्रेचर कोई है या नहीं तो वह भी भेजे। तो इसके बारे में भारत सरकार ने भी राज्य सरकारों से जानकारी चाही है और जो जानकारी उसके पास थी वह राज्यों को दी है। इसका उद्देश्य यही है कि इस काम को हाथ में लेने से पहले कुछ इस तरह की पुस्तकें या साहित्य का निर्माण होना चाहिये ताकि आज जो हमारे देश की धार्मिक दृष्टि से विचित्र परिस्थिति है, उसमें उसका दुरुपयोग न हो पावे। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। यह आशंका भी केन्द्रीय सरकार की बिल्कुल वाजिब है क्योंकि धर्म के नाम पर जो आज कुरीतियां और ढकोसले का

Page No.116

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

बोलबाला है उनका भी निराकरण हो सके, देश का नैतिक स्तर भी ऊंचा उठे और साथ ही देश में धार्मिक कुरीतियों और धार्मिक कुप्रवृत्तियों से जो शोषण हुआ है उससे भी बचा जा सके। तो यह सोचने समझने की जरूरत है। इसमें समय लगेगा। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और सदन को यह विश्वास दिलाने की स्थिति में है कि इसमें उचित कदम उठाया जावेगा। मैं उन माननीय सदस्य से, जिन्होंने इस संकल्प को रक्खा है, निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सरकार इस मामले में इतना कुछ कर रही है और जो वे चाह रहे हैं वही बात हो रही है और उसकी कार्यवाही चालू है तो वे अपने रिज़ोल्युशन को वापिस ले लें।

श्री सभापति : Will the Government make available to the Hon'ble members the copies of this report ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, we shall make. We have only one copy, but it can be cyclostyled.

श्री सभापति : Later on, not now. That would be desirable.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, जो सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने....

श्री सभापति : You will please make a short speech.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): जो संकल्प के सम्बन्ध में सूचना दी है उससे मैं समझता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को रखने का आशय पूरा हो जाता है और 'धार्मिक' शब्द के स्थान पर 'आध्यात्मिक' शब्द का जो सुझाव दिया है वह मुझे स्वीकार है। साथ ही मैंने भी यह चाहा था कि इसको प्रारम्भ करने से पूर्व जो आज तक इस सम्बन्ध में पुस्तकें और साहित्य निकल चुका है उसको भी देखा जावे और कुछ नई इस प्रकार की पुस्तकें बनाई जावें कि जिससे हम धर्म के नाम पर अधर्म की ओर न जा पावें और वास्तविक मानव धर्म का विकास हो।

इसमें जब पहले से ही केन्द्रीय और राज्य सरकारें तत्पर हैं तो मैं यह सर्वथा उचित समझता हूं कि अपने इस संकल्प को इस समय वापिस लूं और आशा करूं कि शीघ्र ही मेरे उद्देश्य को लाने की पूर्ति में सरकार अग्रसर होगी।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : I would like to oppose his motion for withdrawal.

श्री सभापति : I have not participated in the debate for the whole day, I thought that the motion would be put to the House......

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, सवाल यह है कि अगर वोट हों तो उस वक्त खिलाफ दे सकते हैं।

श्री सभापति : I have not yet put the motion.

श्री अर्जुनदास : I am opposing it before you put it to the vote. I oppose the very motion for withdrawal.

Page No.117

श्री सभापति : Let me put the motion, Hon'ble member.

श्री अर्जुनदास : Then I cannot speak alter the motion is put. When the motion is put to the House nobody can speak. We can speak only before that.

श्री मदनसिंह : Hon'ble Minister has agreed to the word, that means we are passing it. He has agreed and there is no qnestion of withdrawal.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have disagreed with the word 'religious'.

एक माननीय सदस्य : Let the resolution be passed.

श्री सभापति : Mr. Arjandas, I would like to know under what particular rule you are opposing this motion of withdrawal.

श्री अर्जुनदास : Unfortuuately I have not brought my copy of the rules.

श्री सभापति : Then I cannot help.

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की उनको अनुमति प्रदान की जावे।

श्री अर्जुनदास : We need a division, Sir. We have wasted 4,000 rupees on his resolution today unnecessarily and he is taking it so lighty. We have lost one full day and I believe the Rajasthan Government has lost about Rs. 4,000 on this resolution. And now he says he wants to withdraw it. Let us not play hide and seek with the House. If he is not serious about it why should he move it.

श्री सभापति : There should be no talks while sitting, and I would request the Reporters not to take down.

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५.०५ बजे दिनांक १३ अप्रेल, १९६१ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, १२ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७८१६

ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित कैटल पॉन्ड्स।

मद्य निषेध।

अधिक आबादी वाली पंचायतों (अलग अलग यूनिट वाली) की एक से अधिक पंचायतों में परिणति।

बांसवाड़ा जिले की सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण।

पंच गांव (धौलपुर) के ब्लॉक्स मे गेहूँ की फसल को निभी की नहरों से पानी मिलने में विलम्ब।

सहकारी समितियों वाले ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में बीज भंडारों की व्यवस्था।

ग्राम पंचायत बैर को मिली धनराशि का दुरुपयोग व गबन।

तहसील परबतसर के ग्राम बंवाल के जीर्ण-शीर्ण दो बांधों का पुनरोद्धार।

बीकानेर में कम्पाउन्डर्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

खारची व सोजत पंचायत समिति में नल लगाने की योजना।

पाली जिले के पशु चिकित्सालयों की संख्या में अभिवृद्धि की अपेक्षा।

लेखापाल प्रशिक्षण विद्यालय।

प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल, बीकानेर का स्टाफ।

प्रान्त में प्रस्तावित केन्द्रीय भेड़-ऊन अनुसन्धान कार्य।

ग्राम मीणों की झुपड़ियां, मालियों की झुपड़ियां. गौड़ों की झुपड़ियां, भाट-नाड-पागडी (उनियारा) का पंचायत क्षेत्र से पृथक करना।

बानियावास (पाली) सिरियारी कन्टालिया, रेणीया व कोलपुरा

(खारची) बांध ।

प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल अस्पताल, बीकानेर को प्राप्त दवाइयां ।

भूमि बंधक बैंकों को समय पर एनकम्बरेन्स सर्टिफिकेट न मिलने से गत्यावरोध ।

महिलाओं के लिये आयुर्वेदिक शिक्षण की व्यवस्था ।

रानी, खारची मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी व बूसी वृहत बहुधन्धी सहकारी समिति में सरकारी व्यक्तियों का मनोनयन ।

तहसील पदमपुर के भूमिहीनों के प्रार्थना–पत्रों पर कार्यवाही ।

पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक का सिरोही जिले में बकाया दायित्व ।

ग्राम वाटिका (सांगानेर) में बन्ध का सर्वेक्षण ।

मकराना पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था ।

हरिजन रिफ्यूजी टिन एन्ड आयरन फेब्रीकेटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, अजमेर ।

जिला कोटा के चम्बल क्षेत्र के खेतीहर मजदूरों को नीलाम की जाने वाली भूमि का आवंटन ।

राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन रूल्स, १९५७ के संशोधन रूप की कार्यान्विति ।

स्थगन–प्रस्ताव

विक्टोरिया अस्पताल, अजमेर में दिनांक ३१ मार्च, १९६१ की रात्रि की ड्यूटी पर तैनात कम्पाउन्डर्स से सम्बन्धित घटना के बारे में जिस स्थगन–प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दी थी उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति सभापति महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री, ने स्थिति का स्पष्टीकरण किया ।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित विधेयक ७८७६

पुरःस्थापित किया गया विधेयकः– श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य

मन्त्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित किया।

गैर सरकारी सदस्य कार्य-संकल्प

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :-

"सदन यह सिफारिश करता है कि समस्त सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा अविलम्ब आरम्भ कर दी जाय।"

उपरोक्त संकल्प पर डॉ० बहादुरसिंह ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये :-

(१) शब्द "का मत" को शब्द "यह सिफारिश करता" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे,

(२) शब्द "धार्मिक" के स्थान पर शब्द "सामाजिक" प्रतिस्थापित किया जावे, तथा

(३) शब्द "यथा-सम्भव" को शब्द "अविलम्ब" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावे।

इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

८०७९ (१) श्री मदनसिंह

(२) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

(३) श्री मुरलीधर व्यास

(४) श्री मूलचन्द डागा

(५) श्री अनूपसिंह

(६) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

(७) श्री तनसिंह

(८) श्री भैरवलाल 'काला बादल'

(९) श्री हरिप्रसाद यादव

(१०) श्री रामचन्द्र

(११) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप-मन्त्री, शिक्षा ने बहस का उत्तर दिया। तत्पश्चात् श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने अपना संकल्प वापिस ले लिया।

सदन की बैठक ५ बज कर ५ मिनट पर गुरुवार, दिनांक १३ अप्रेल, १९६१ को प्रातः ११

बजे तक के लिये स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक १३ अप्रेल, १६६१ की कार्य–सूची

(१) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त विधेयक :

(२) राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श।

(३) विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६११ का उत्तर देखिये)

पाली जिले में पशु चिकित्सालयों तथा डिसपेन्सरीज़ सम्बन्धी सूचना

जिला पाली १	नाम हॉस्पिटल व डिसपेन्सरी २
	(१) पाली
	(२) सोजत
	(३) बाली
	(४) देसुरी
	(५) सुमेरपुर
	(६) जैतारण
	(७) सादरी
	(८) मारवाड़ जंक्शन
	(९) रायपुर
	(१०) तखतगढ़

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT GIVING DETAILS OF SANCTIONED STRENGTH AND STAFF WORKING AGAINST SANCTIONED STRENGTH P. B. M. MEN'S HOSPITAL, BIKANER.

S. No.	Name of post.	Sanctioned Strength	Number Working at present.
1	2	3	4
1.	Senior Specialist.	5.	4.
2.	Jr. Specialist.	4.	3.
3.	C. A. S. Class I.	11.	11.
4.	C. A. S. Class II.	10.	[illegible] .
5.	Matron Gr. I.	1.	1.
6.	Sister.	6.	5.
7.	Staff Nurses.	13.	1.
8.	Compounders Gr. I.	42.	42.
9.	Compounder Gr. II.	4.	4.
10.	Compounder Gr. III.	28.	28.
11.	Tech.	4.	4.
12.	Office Supdt. Gr. III	1.	1.
13.	Accountant	1.	1.
14.	Steno.	1.	1.
15.	U. D. C.	2.	2.
16.	L. D. C.	8.	8.
17.	Driver.	2.	2.

1	2	3	4
18.	Tailor.	4.	4
19.	Mistri.	2.	2.
20.	Class IV Servant.	162.	162.

STATEMENT SHOWING SANCTIONED STRENGTH OF DOCTORS, NURSING STAFF IN CLASS I HOSPITAL IN RAJASTHAN.

1. GENERAL HOSPITAL, UDAIPUR.

1.	Senior Specialist.	3.
2.	Jr. Specialist.	6.
3.	C. A. S. Class I.	9.
4.	C. A. S. Class II.	8.
5.	Sister Tutor.	2.
6.	Sister.	4.
7.	Staff Nurse.	18.
8.	Compounder Gr. I	40.
9.	Compounder Gr. II.	4.
10.	Compounder Gr. III.	27.
11.	Technician.	3.
12.	Midwife.	3.
13.	Office Supdt. Gr. III.	1.
14.	Accountant.	2.
15.	U. D. C.	2.
16.	L. D. C.	11.
17.	Steno.	1.
18.	Driver.	3.
19.	Tailor.	2.
20.	Mistri.	2.
21.	Pump Driver & Elec.	2.
22.	Class IV Servant.	165.
23.	Fitter.	1.
24.	Matron Gr. I.	1.

2. M. G. HOSPITAL, JODHPUR

1.	Senior Specialist.	3.
2.	Jr. Specialist.	8.
3.	C. A. S. Class. I.	13.
4.	C. A. S. Class II.	18.
5.	Matron Gr I.	1.
6.	Sister Tutor.	3.
7.	Sister.	7.
8.	Staff Nurse.	22.
9.	Compounder Gr. I.	67.
10.	Compounder Gr. II.	6.
11.	Compounder Gr. III.	43.
12.	Tech.	4.
13.	Ocupational Thrapist.	1.
14.	Office Supdt. Gr. III.	1.
15.	Accountant.	1.
16.	Steno.	1.
17.	U. D. C.	3.
18.	L. D. C.	8.
19.	Driver.	3.
20.	Tailor.	5.
21.	Mistri.	1.
22.	Class IV Servants	231.

3. P. B. M. MEN'S HOSPITAL, BIKANER.

1.	Senior Specialist.	5.
2.	Jr. Specialist.	4.
3.	C. A. S. Class 1.	11.

4.	C. A. S. Class II.	10.
5.	Matron. Gr. I.	1.
6.	Sister.	6.
7.	Staff Nurse.	13.
8.	Compounder Gr. I.	42.
9.	Compounder Gr. II.	4.
10.	Compounder Gr. III.	28.
11.	Tech.	4.
12.	Office Supdt. Gr. III.	1.
13.	Accountant	1.
14.	Steno.	1.
15.	U. D. C.	2.
16.	L. D. C.	8.
17.	Driver.	2.
18.	Tailor.	4.
	stri.	2.
20.	Class IV Servants.	162.

5. S. M. S. HOSPITAL, JAIPUR.

1.	Senior Specialist.	10.
2	Jr. Specialist.	7.
3.	C. A. S. Class I.	31
4.	C. A. S. Class II.	7.
5.	Registrar.	10.
6.	Matron Gr. 1.	1.
7.	Elec. Med. Tech.	1.
8.	Sister Tutor.	3.
9.	Sister.	16.

10	Staff Nurse.	32.
11.	Compounder Gr. I.	69.
12.	Compounder Gr. II.	7.
13.	Compounder Gr. III.	56.
14.	Tech.	4.
15.	Plyth.	2.
16.	Occupational Therapist.	1.
17.	Artigeon Gr. II.	2.
18.	Office Supdt. Gr III.	1.
19.	Accountant.	1.
20.	Steno.	1.
21.	U. D. C.	5.
22.	L. D. C.	9.
23.	Driver.	2.
24.	Tailor.	4.
25.	Mistri.	2.
26.	Pump Driver & Elec.	2.
27.	Sanitary Sargent.	2.
28.	Class IV Servant.	303.
29.	Time Keeper.	1.
30.	Coller.	1.
31.	Fitter.	4.
32.	Helper.	33.
33.	Wireman.	4.
34.	Fireman.	4.
35.	Coal Kuli.	2.
36.	Welder Gr. II.	1.

37.	Black Smith.	1.
38.	Carpanter.	2.
39.	Mason.	1.
40.	Foreman Gr. I.	1.
41.	Foreman Gr. II.	1.
42.	Boiler Attendant.	1.
43.	Painter.	1.

5. VICTORIA HOSPITAL, AJMER.

1.	Senior Specialist.	2.
2.	Jr. Specialist.	8.
3.	C. A. S. Class I.	14.
4.	C. A. S. Class II.	18.
5.	Matron Gr. II.	1.
6.	Sister Tutor.	1.
7.	Sister.	7.
8.	Staff Nurse.	26.
9.	Compounder Gr. I.	43.
10.	Compounder Gr. II.	4.
11.	Compounder Gr. III.	26.
12.	Tech.	8.
13.	Midwife.	13.
14.	Plyth.	1.
15.	Student Nurse.	36.
16.	Lady Social Worker.	1.
17.	Office SuPdt. Gr. III.	1.
18.	Accountant.	1.
19.	Steno	1.

20.	U. D. C.	5.
21.	L. D. C.	7.
22.	Driver.	3.
23.	Tailor.	2.
24.	Mistri.	1.
25.	Class IV Servants.	170.
26.	Dictician.	1.
27.	Telephone Operator.	4.
28.	Radio Attendant.	1.

6. UMAID HOSPITAL, JODHPUR.

1.	Senior Specialist.	1.
2.	C. A. S. Class I.	5.
3.	C. A. S. Class II.	8.
4.	Matron Gr. I.	1.
5.	Sister.	5.
6.	Staff Nurse.	48.
7.	Compounder Gr. I.	3.
8.	Compounder Gr. II	1.
9.	Compounder Gr. III	1.
10.	Midwife.	10.
11.	U. D. C.	2.
12.	L. D. C.	4.
13.	Driver.	2.
14.	Tailor.	2.
15.	Mistri.	1.
16.	Class IV Servants.	137.
17.	Fitter.	1.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ का उत्तर देखिये)

पाली जिले की रायपुर तहसील की ग्राम पंचायत बैर को विकास कार्यों के लिए पंचायत समिति द्वारा दी गई रकम की सूची

क्र. सं.	कार्य	रकम	कार्य पूरा या अधूरा या प्रारम्भ नहीं हुए
१	२	३	४
१.	बिरांटिया खुर्द के रास्ते की बेरी पर	२,०००)	अधूरा
२.	सार्वजनिक शोचालय	५००)	शुरू नहीं हुआ
३.	भांकड़वाली की बेरी	१,०००)	सम्पूर्ण
४.	बाल उद्यान	१,०००)	,,
५.	ताराबाई आश्रम की बेरी पर	१,०००)	अधूरा
६.	धोलीपेड़ की बेरी पर	७००)	सम्पूर्ण
७.	मगड़दा की बेरी पर	५००)	शुरू नहीं हुआ
८.	काथाभीला के स्कूल भवन के लिए	१,०००)	,, ,, ,,
९.	बिरांठिया कल्लां स्कूल भवन के लिए	१,०००)	,, ,, ,,
१०.	आशन तिलालिया स्कूल भवन के लिए	१,०००)	सम्पूर्ण
११.	ग्राम सेवक भवन के लिए	२,७००)	,,
१२.	हरिजन बेरी बर के लिए	५००)	,,
१३.	हरिजन बेरी बिराटियां कल्लां	५००)	अधूरा
१४.	नायकों की कॉलोनी बिरांटिया कल्लां की बेरी के लिए	२,०००)	शुरू नहीं हुआ
१५.	माता के बाड़िये की बेरी के लिए	१,५००)	सम्पूर्ण
१६.	डाक बंगला बर की बेरी के लिए	२,०००)	अधूरा

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क)

क्रम संख्या १	नाम सदस्य २	इसका कितना दायित्व है । ३	दायित्व में कितनी रकम वसूल हुई ४
१.	श्री आईदान	३,२००)	—
२.	श्री भोलाराम	३,२००)	—
३.	श्री गुलाबचन्द	३,२००)	—
४.	श्री लीलाराम	६,६००)	—
५.	श्री गिरधारीलाल	६,६००)	१,४२७-२५
६.	श्री धानाराम	६,८००)	—
७.	श्री चन्द्रालाल	३,२००)	—
८.	श्री लछमनदास	५,४००)	—
९.	श्री हरचन्द	५,०००)	—
१०.	श्री रामसुख	३,२००)	—
११.	श्री नारायण	३,२००)	—
१२.	श्री डूंदामल	३,२००)	—
१३.	श्री जीवनराम	१०)	—
१४.	श्री झामनदास	१०)	—
१५.	श्री सोचन्द	१०)	—
१६.	श्री मूलचन्द	१०)	—
१७.	श्री हेमराज	४,४००)	—

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १२ अप्रेल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७८२५	१२	श्री सतीश चन्द्र अग्रलाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
७८२६	५	श्री सतीशचन्द्र आग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
७८२७	अन्तिम से ८	१ एक या आधा।	एक या आधा
७८३१	८	श्री सूबेदारसिह	श्री सूबेदारसिंह
७८३४	५	में	मैं
७८३८	अन्तिम से ७	मेज	भेज
७८४०	अन्तिम से ८	प्रिन्स विजयसिह	प्रिन्स विजयसिंह
७८४२	७	स्ट्रेंग्थ	स्ट्रेन्थ
७८४४	४	रिचर्च	रिसर्च
७८४४-४५	शीर्षक	१२ अतेल, ६१	१२ अप्रेल, ६१
७८४४	३	लेंड	लैंड
७८४६	१३	बानियावास	बानियावास
,,	१५	श्री बेनराम	श्री बेनाराम
७८५६	४	करता	करती
७८५७	२१	श्री सभापत	श्री सभापति
७८५९	शीर्षक	तारांकित प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
७८६४	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री सभापति)
७८६४-६५	शीर्षक	१२ अप्रल, ६१	१२ अप्रेल, ६१
७८६४	४ व ११	श्री धन्नालाल हारित	श्री धन्नालाल हरित
७८६६	२	कुछो	कुछ एक
,,	१७	समितियो	समितियां
७८६९	अन्तिम से ५	व्यक्तियों	व्यक्तियों
७८७२	१५	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
७८७३	अन्तिम से ८	कम्पोन्डर्स सम्बन्धित	कम्पाउन्डर्स सम्बन्धी
७८७५	२२	पूर्णयता	पूर्णतया
७८७८	शीर्षक	कम्पाउम्डर्स से सम्बन्धिय	कम्पाउन्डर्स से सम्बन्धित
७८७८-७९	,,	१२ अप्रेल, ६०	१२ अप्रेल, ६१
७८७८	शीर्ष	(श्री मैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
७८८०	५	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह

१	२	३	४
७८८२	शीर्ष	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)
७८८२	१८	श्री श्रीभानसिह	श्री श्रीभानसिंह
७८८३	३ व ६	,,	,,
७८८४	५	नूल	मूल
७८८५	१	पग्सेन्ट	परसेन्ट
७८८६	अन्तिम से ६	रिकमन्डशन	रिकमन्डेशन
७८८७	५	bar	bar to
,,	७	श्री सनीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
७८८८	अन्तिम से ७	Chairmon	Chairman
७८६१	१२	श्री पूनचन्द बिश्नोई	श्री पूनमचन्द बिश्नोई
७८६७	अन्तिम से ८	श्री श्रीभानसिह	श्री श्रीभानसिंह
७६०२	शीर्ष	(श्री पुरूपोत्तमलाल शर्मा)	(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)
,,	१५	धार्मिक	धार्मिक
७६०८-६	शीर्षक	१२ अप्रेल, ६०	१२ अप्रेल, ६१
७६०६	३	अन्थेरा	अन्धेरा
७६१२	१५	Bhadur Singh	Bahadur Singh
,,	२२	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)
७६१३	६	श्री अर्ज दास	श्री अर्जनदास
,,	१३	Condemr	Condemn
,,	,,	Deprtment	Department
७६१४	अन्तिम से ६	घृति	धृति
७६१७	६	हास	ह्रास
७६१८	८	मा ा-पिता	माता-पिता
७६१६	१६	उकी	उसकी
७६२१	शीर्षक	सन्बन्धी	सम्बन्धी
७६२४	१८	मुकावले	मुकाबले
७६२५	शीर्षक	संकल्प	संकल्प
७६२६	५	टैक्किल	टैक्निकल
,,	२०	प्रोत ाहन	प्रोत्साहन
७६२६	१४	भुताति	भुतानि
७६३०	शीर्ष	(श्री जुगलनिशोर चतुर्वेदी	(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)
७६३२	३	डॉ० बहादुसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
७६३८	अन्तिम से १०	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह

१	२	३	४
७९३९	अन्तिम से ४	श्री मदनसिह	श्री मदनसिंह
७५४२	९	की	के
७९४४–४५	शीर्षक	१२ अप्रल, ६१	१२ अप्रेल, ६१
७९४४	१४	श्री सभापि	श्री सभापति
७९४५	शीर्षक	संकल्प	संकल्प
७९५२	२१	स्कूलों	स्कूलों
७९५४–५५	शीर्षक	११ अप्रेल, ६१	१२ अप्रेल, ६१
७९५४	५	अच्खे	अच्छे
७९५६	४	जाय	जायगा
७९६४	अन्तिम से ५	श्री मदनसिह	श्री मदनसिंह
७९६९	९	Lamgnagc	language
७९७३	शीर्षक	संकल्प	संकल्प
७९७८	शीर्ष	(श्री मुरलीधंर व्यास)	श्री मुरलीधर व्यास
७९८०	,,	,,	,,
७९८२	,,	श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा	श्री मुरलीधर व्यास
७९८४	,,	,,	,,
७९८५	अन्तिम से १०	चतुर्वदी	चतुर्वेदी
७९८६	१३	धामिक	धार्मिक
७९९३	शीर्षक	गर सरकारी	गैर सरकारी
७९९८–९९	,,	१२ अप्रेल, ६०	१२ अप्रेल, ६१
७९९८	६	प्रणाली	प्रणाली को
,,	१२	इस	द्वारा
७९९९	१२	इतन	इतनी
८०००	अन्तिम से ५	श्री अनूपसिह	श्री अनूपसिंह
८००१	७	,,	,,
८००२	३	हरेएक	हर एक
८००५	अन्तिम से ४	(दंसी)	—
८००६	अन्तिम से ११	प्रत्नय	प्रयत्न
८००८	शीर्ष	(श्री अनोपसिंह)	(श्री अनूपसिंह)
८००९	१७	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
८०१०	शीर्ष	(श्री अनोपसिंह)	(श्री अनूपसिंह)
८०१०–११	शीर्षक	१२ अप्रल, ६१	१२ अप्रेल, ६१
८०११	२	बनाया	बनाना

१	२	३	४
८०१८	अन्तिम से २	श्री तनसिह	श्री तनसिंह
८०२०	स्कम्भ	०२०	८०२०
,,	१३	सत्व	सत्य
८०३०	शीर्ष	(श्री मैरवलाल 'कालाबदल')	(श्री भैवरलाल 'कालाबादल')
८०३४	,,	(श्री हरिप्रसान यादव)	(श्री हरिप्रसाद यादव)
८०४०	,,	(श्री पूनमचन्द विश्नोई)	(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
८०४२	स्कम्भ	८ २	८०४२
८०४५	१३	को की	को भी
८०४८	४	alter	after
८०५०	१०	ब्रैंक	बैंक
८०६५	अन्तिम से ३	Suppdt.	Supdt.

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७८६४	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री सभापति)
७८७४ व ७८७५	शीर्षक	१२ अप्रैल, ६०	१२ अप्रैल, ६१
७९६६ ७९६७	,,	,, ,, ,,	,, ,, ,,
८०२६	११	श्र सभापति	श्री सभापति